खण्ड-102, अंक-5
शुक्रवार, 9 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(30 मई, 1952 ई0)

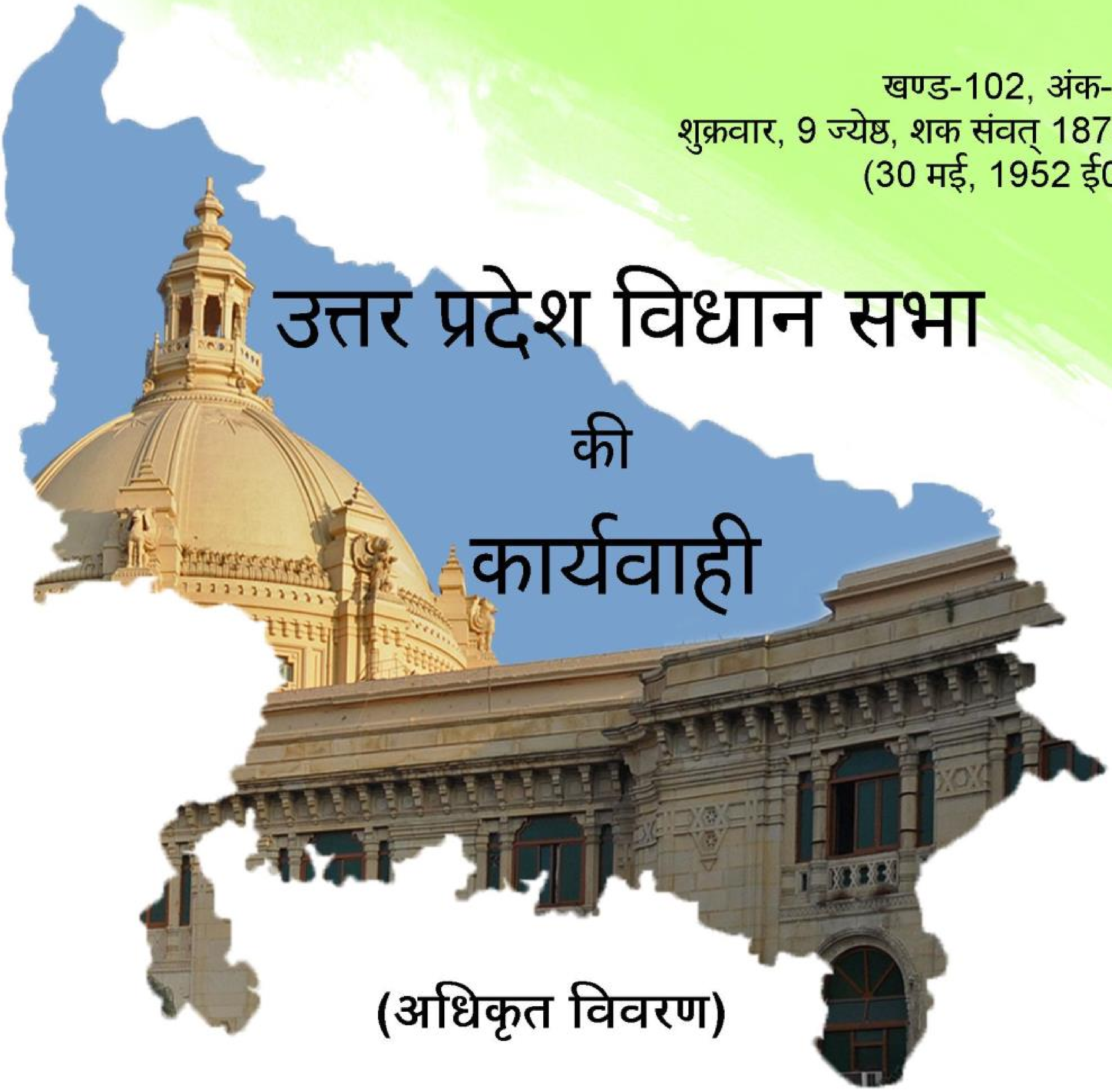

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज ख़ां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद, पाण्डेय, श्री
किदरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
ख्यालीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद श्री,
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धरमसिंह, श्री
नन्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, श्री.
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह,महाराजकुमार,
बेचनराम , श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मक़सूद आलमख़ां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल गौतम, माननीय श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार; श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप श्री (कुंडा)
रामस्वरूप श्री (इंधौ)
रामस्वरूप गुप्त श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह वाइयप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
बिश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी महरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवसरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिनानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मद्य-निषेध योजना के सुधार निमित्त समिति का निर्माण

*१---श्री सुल्तान आलम खां---क्या माननीय मादककर मंत्री ने इस भवन में पिछले बजट (१९५१-५२) के अवसर पर घोषणा की थी कि मद्य निषेध योजना के कामों की छान बीन तथा सुधार के लिये एक कमेटी बनायी जायगी ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---(न्याय मंत्री) जी हां।

*२---श्री सुल्तान आलम खां--- क्या उक्त कमेटी बनायी गई ? यदि हां तो उसके मेम्बरों ने इस वर्ष में क्या छान बीन और सुधार की बातें माननीय मंत्री के सामने पेश कीं ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---जी नहीं। दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां---सरकार क्या कृपा करके यह बतलायेगी जिस वक्त इस भवन में यह ऐलान किया गया था कि इस मसले की छान बीन के लिये कमेटी बनायी जायगी क्या उस वक्त इस मामले में सरकार ने विचार नहीं किया था ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---सरकार उस वक्त भी विचार कर रही थी और अब भी विचार कर रही है।

३---श्री सुल्तान आलम खां---यदि यह कमेटी नहीं बनी, तो क्या इसकी भविष्य में बनाये जाने की आशा है ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---इस विषय पर सरकार ने अभी कोई अंतिम निश्चय नहीं किया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या माननीय मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि कमेटी के बनने में अभी कितनी देर और लगेगी ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---देर का अन्दाजा तो अभी दिया नहीं जा सकता लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस कमेटी के सिलसिले में जरूरी काम हो रहे हैं और जो फैक्ट्स और फिगर्स (तथ्य तथा आंकड़े) इसके मुताल्लिक जमा करना चाहिये वह सब जमा किये जा रहे हैं।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार यह बतला सकेगी कि सन् १९५३ तक यह कमेटी बन जायगी ?

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर---इसके मुताल्लिक कोई आखिरी जवाब नहीं दिया जा सकता।

विशेषाधिकार समिति का निर्माण

माननीय अध्यक्ष—निम्नलिखित सदस्यों की विशेषाधिकार समिति बनायी गयी है—

१—श्री हर गोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)	सभापति
२—श्री आचार्य जुगल किशोर	सदस्य
३—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	,,
४—श्री राधामोहन सिंह	,,
५—माननीय श्री चरण सिंह	,,
६—श्री अब्दुल मुईज खां	,,
७—श्री गेंदा सिंह	,,
८—महाराजकुमार बालेन्दु शाह	,,
९—श्री फूल सिंह	,,
१०—श्री लीलाधर अष्ठाना	,,

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर महामान्य राज्यपाल का उत्तर

माननीय अध्यक्ष—महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर इस भवन ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था उसे मैंने कुछ माननीय सदस्यों के साथ महामान्य राज्यपाल के सामने पेश किया था, उसके ऊपर महामान्य राज्यपाल की तरफ से यह उत्तर आया है—

प्रियवर अध्यक्ष महोदय,

मैं आपको तथा उन साथियों को जिन्होंने विधान सभा द्वारा २३ मई के पारित संकल्प को स्वयं आकर मुझे देने की कृपा की है, धन्यवाद देता हूं। इस संकल्प की मैं अत्यन्त सराहना करता हूं।

उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार जारी रहेगा।

श्री फूल सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि कल जब दूसरे पक्ष की ओर से इस विषय पर चर्चा हुई मैं भवन में मौजूद नहीं था। इस विषय की महत्ता निर्विवाद है। जब सन् १९३८ में पहिले पहल शुगर कंट्रोल ऐक्ट लाया गया तब देश में शुगर इंडस्ट्री के चालू होने से एक नई स्थिति पैदा हो गई थी और किसानों की रक्षा के लिये तथा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये और फैक्टरियों के नियंत्रण के लिये यह कानून पास किया गया था। उसके बाद जितनी जितनी यह इंडस्ट्री (उद्योग)

[श्री फूल सिंह]

की तरक्की करती गई नई नई समस्यायें उपस्थित होती चली गईं। सरकार ने एक कमेटी शुगर कंट्रोल ऐक्ट और शुगर कंट्रोल रूल्स में संशोधन करने के लिये बैठाई लेकिन किन्हीं कारणों से उस कमेटी ने इस विषय की चर्चा होते हुए भी अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। जब यह कानून बना तो उसकी बुनियाद कोआपरेटिव बारगेनिंग (सहकारी रूप से सौदा तय करना) पर रखी गई थी। किसान अकेला ठीक तरह से फैक्टरी से अपने गन्ने की कीमत वसूल नहीं कर पाता था इसलिये यह तय हुआ कि कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर उनके हुकूक की रक्षा की जाय। आज में इस कानून पर कुठाराघात पूर्वी जिलों में हुआ। वहां पर फैक्टरीज ने किसानों से व्यक्तिगत तौर से गन्ना खरीदना शुरू किया। इसके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां इस दौरान में सामने आईं मसलन यह कि फैक्टरीज व्यक्तिगत तौर से किसानों को रुपया, खाद तथा और रिआयतें देने लगीं। इसके अलावा इस कानून में जो दूसरी खामी नजर आई वह यह थी कि फैक्टरियां खुद खरीदना छोड़ कर फर्म के नाम से खरीदने लगीं। इस तरह से कोआपरेटिव बारगेनिंग के कानून से यह साबित हुआ कि वह किसानों का कोई खास फायदा नहीं कर रहा है। इसलिये इस बात की आवश्यकता पड़ी कि फैक्टरियों को मजबूर किया जाय कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज (सहकारी समितियों) के जरिये से गन्ना खरीदें और यह कि वह स्वयं गन्ना तय न करें। कोआपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिये इस बात की आवश्यकता पड़ी कि फैक्टरियों को मजबूर किया जाय कि वे व्यक्तिगत रूप से रिआयतें और कर्जा देकर अपने ताल्लुकात पैदा न करें और जो कुछ करना हो वह सोसाइटीज की मार्फत ही करें। और भी कई कठिनाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से इस बिल में भारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं जो गन्ना तो यू० पी० से लेती हैं मगर फैक्टरियां प्रान्त के बाहर हैं। वे फैक्टरियां उन कायदों के मुताबिक अपने रजिस्टर नहीं बनातीं जो कायदे कि यू० पी० में लागू हैं। उन फैक्टरियों से सेस उपकर वगैरह वसूल करने में भी काफी कठिनाइयां होती हैं। तो इस नुक्ते से भी इस ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता थी।

कोआपरेटिव बारगेनिंग के अलावा गन्ने की खरीदारी के सिलसिले में कई नयी नयी अड़चनें किसानों के सामने आयी हैं जिनका सदन के सामने चर्चा करना जरूरी है और जिनका इलाज उस ऐक्ट में होना चाहिये। एक बड़ी कठिनाई तो यह है कि शायद सभी लोग यह जानते हैं कि जो बेचने वाले हैं वे अपनी चीज को खुद तौलते हैं। शायद किसान ही अकेला एक ऐसा आदमी है जिसकी चीज को खरीदने वाला तौलता है। अगर किसी हलवाई के पास आप मिठाई लेने के लिये जायं और कहें कि लाला जी आप एक तरफ हट जाइये, मैं अपने लिये सेर भर मिठाई तौल लूंगा तो यह नहीं होने का है। या आप सोने की दुकान पर ही चले जाइये तो वहां भी खरीदने वाला सोने को नहीं तौल सकता है। लेकिन किसान ही गरीब ऐसा है जिसके गन्ने को तौलने के लिये फैक्टरियों की तरफ से कांटे लगे रहते हैं और वे मनमाने तरीके से तौल लिया करते हैं। तो इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि इस ऐक्ट में संशोधन किया जाय जिसमें अगर सोसाइटी चाहे तो अपना खुद प्रबन्ध करे कि किस वक्त गन्ना तौलना चाहिये।

आज कल लोग खूब समझते हैं कि इस बिल की कितनी आवश्यकता है। किसानों के लिये नयी नयी कठिनाइयां पैदा करके फैक्टरी वाले उनसे खुद नफा उठाते हैं। बाज बाज दिन तो चौबीस चौबीस घंटे तक किसान और बैल खड़े रहते हैं तो समय मुकर्रर करके इसको लागू करने के लिये भी इस ऐक्ट में संशोधन करना होगा। मगर सब से बड़ी कठिनाई जो इन पिछले ५ सालों में मालूम हुई वह कीमतों के सम्बन्ध में है। जब किसान फैक्टरियों को गन्ना दे देता है तो फैक्टरियां उसका दाम काफी दिनों के बाद देती हैं।

बाज मर्तबा तो सीजन (मौसम) खत्म हो जाने पर भी दो चार महीने के बाद देती हैं। और इस साल तो यह मुमकिन है कि यह सीजन खत्म हो जाने के बाद भी दाम मिलने वाला न हो। मुमकिन है कि अगला सीजन शुरू हो जाने के बाद भी दाम न मिले। बाज बाज फैक्टरियों की तरफ पचास पचास लाख रुपये तक किसानों के गन्ने के दाम बाकी हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिये कि अगर किसानों के गन्ने का दाम फैक्ट्रीज फौरन अदा न कर सकें तो उस कीमत के ऊपर फैक्ट्रीज को सूद देना चाहिये। एक तरह से फैक्टरी वाले किसानों के फाइनेंसेज (वित्त) से नफा उठाते हैं। गन्ने के दामों के सम्बन्ध में एक और भारी अड़चन है। जब फैक्ट्रीज सोसाइटी की मार्फत पूरा गन्ना लेती हैं तो उनके कुल गन्ने की कीमत सोसाइटी को दे देना चाहिये मगर वे ऐसा नहीं करती हैं। वह सब रुपया फैक्ट्रीज में ही रखा रहता है। यह रकम भी एक बड़ी भारी रकम होती है। मैं चाहता हूं कि इस कानून में संशोधन हो जाय कि किसी एक मुक़र्ररा मियाद के बाद किसानों का कुल रुपया कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जाय। मनीआर्डर उनके पास भेजा जाय और मनीआर्डर की फीस उनके पैसे से काट ली जाय। तो इन दोनों हालतों में यह मुमकिन हो जायगा कि किसान अपने गन्ने का दाम हासिल कर ले। तो इस वजह से इस शुगर कंट्रोल ऐक्ट में गहरे परिवर्तन की आवश्यकता थी। मगर इससे और दो वजूहात पैदा होंगे जिनसे यह जानना जरूरी है कि जो परिवर्तन इस ऐक्ट में करें उससे कहीं ऐसा न हो कि शक्ल और खराब हो जाय। एक तो बड़ी भारी बात यह है कि इस साल गन्ना इतना ज्यादा खड़ा है कि अगर पहली जून तक भी फैक्टरी चलें तो ३०, ४० लाख मन गन्ना किसानों का खड़ा बाकी रह जायगा तो ऐसी हालत में कोई ऐसा संशोधन करने से जिससे कि फैक्ट्री की वर्किंग (कार्य) पर बुरा असर पड़े, शायद किसान खराब हालत में पड़ जायंगे। सब से बड़ी बात यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो इसके मुताल्लिक़ ऐक्ट बना हुआ है उससे इस प्रान्त के शुगर के उद्योग को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। इसकी पहली वजह तो यह है कि शुगर का उद्योग और उद्योगों से बिल्कुल भिन्न है इसलिये कि उसमें हर फैक्टरी के लोगों से किसानों का ताल्लुक़ है। इस कानून के अन्दर शुगर कंट्रोल सेन्टर के हाथ में चला जायगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रोजमर्रा की कठिनाइयां किसानों की होंगी और उन कठिनाइयों को सुलझाने के लिये प्रान्तीय सरकार फैक्टरी पर दबाव डालेगी कि इसको ठीक कर लिया जाय तो उनको ठीक करने में प्रान्तीय सरकार असमर्थ नहीं होगी। जो हालत आज है, आज हम भी यह नहीं कहते कि प्रान्तीय सरकार का पूरा काबू है।

इसके अलावा एक और कानून है। जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है और वह तम्बाकू का है। मैं अपने दोस्त से अर्ज करना चाहता हूं कि जिन किसानों का वास्ता पड़ता है वे इस बात को जानते हैं कि जो कानून का रूप है उसमें इस बात की गुंजायश है कि चाहे उसमें १०० मन पैदा हो जाय या एक मन पैदा हो जाय, किसान लोग बेचारे अपना इन्साफ पाने के लिये असमर्थ हैं। मुझे डर है कि शुगर ऐक्ट के निफाज के बाद गन्ने वाले किसानों का भी वही हशर न हो जाय। जहां तक तम्बाकू का ताल्लुक़ है उसके लिये यह कहा जा सकता है कि वह अगले साल तम्बाकू न बोयें लेकिन इस प्रान्त का गन्ने का उद्योग बहुत खतरे में पड़ जायगा।

मैं वैसे तो विरोधी दल के साथ इत्तिफाक करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये लेकिन मुझे एक डर मालूम होता है और वह यह है कि यह विधेयक जो हमारे

[श्री फूलसिंह]

सामने है उसमें मामूली हथियार की आवश्यकता नहीं है बल्कि तमाम ऐक्ट को बदलने की जरूरत है। अब जो ऐक्ट है यह शुगर फैक्ट्रीज़ ऐक्ट है। यू० पी० शुगर फ़ैक्ट्रीज़ ऐक्ट तो ग़ायब हो गया उस दिन से जिस दिन से सेंटर ने शुगर फ़ैक्ट्रीज़ के मुताल्लिक़ क़ानून बना दिया। तो हमें शुगरकेन सप्लाई और लेबर (गन्ने की सप्लाई और श्रम) या इस प्रकार का ऐक्ट बनाना होगा जो मौजूदा ऐक्ट से बिल्कुल भिन्न होगा। हम अगर मुख़ालिफ बेंचों की ख़ातिर इस बात पर इत्तिफ़ाक भी कर जावें कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और जैसा कि उनकी राय है अगर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस भवन में पेश होकर ३० जून तक क़ानून नहीं बनता तो इस अर्से के लिये गवर्नर महोदय आर्डिनेंस जारी कर दें, तब भी मुझे डर है कि उनका मंशा पूरा नहीं होता। जब सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जायगा और ये सब संशोधन पेश होंगे तो ये उस बिना पर ख़त्म हो जावेंगे कि इस बिल के जो बेसिक प्रिंसीपिल्स (आधारभूत सिद्धान्त) हैं वे भवन ने मान लिये। इसलिये उसकी लिमिट (सीमा) के अन्दर हमें रहना होगा।

जहां मैं यह जानता हूं कि गन्ना बोने वाले किसान दिक्कत में हैं, और जहां मैं यह जानता हूं कि इस बिल में बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता है, वहां मैंने हर बार जब भी शुगर फ़ैक्ट्रीज़ ऐक्ट इस भवन के सामने आया सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि महज़ एक्सटेंशन करने (बढ़ाने) से किसानों की कठिनाइयां हल नहीं हो सकतीं बल्कि इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बिल हर दूसरे तीसरे साल भवन के सामने आता रहा है। खुशी की बात है कि हमारे पूज्य मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिलाया कि वह एक कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं जो रिपोर्ट दे कि इस बिल में क्या क्या चेंजेज़ (परिवर्तन) करने की आवश्यकता है जिसकी बिना पर कार्यवाही की जाय। मैं समझता हूं कि जो सुझाव मुख्य मंत्री जी ने दिया है हमें उसे मान लेना चाहिये ताकि इस बिल को तो हम पास करें और जल्दी से उन तमाम बातों की ओर ध्यान दें जिन कठिनाइयों से किसान परेशान हैं और जिनका हल हमें निकालना है।

कल इस भवन में यह भी चर्चा हुयी कि ये जो शुगर मिल्स हैं उन्हें कोआपरेटिव बेसिस (सहकारिता के आधार) पर चलाया जाय। मैं समझता हूं कि यह सुझाव भी अच्छा है पर इसका उतना ही बड़ा रुतबा है जितना कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारी कृषि) का। एक या दो मिल कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने से तमाम प्रान्त की दिक्क़तें सौ वर्ष में रफ़ा होंगी और इस प्रान्त का किसान सौ साल तक इन्तजार नहीं कर सकता। इन मिलों को किसी और तरीक़े से...

एक सदस्य—राष्ट्रीयकरण किया जाय।

श्री फूल सिंह—मेरे दोस्त कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया जाय। वह भी अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि रोडवेज़ का मामला हमारे सामने है और हमें उससे सबक़ लेना चाहिये।

मगर एक बात और है कि आज जो हम दाम मुक़र्रर करते हैं गन्ने और शुगर के उससे सब से खराब फैक्ट्री जो है उसे भी घाटा नहीं होता। ऐसी फैक्ट्रीज के नाम मुझे मालूम हैं जिन्होंने एक या दो साल की ही कमाई से दूसरी मिलें खड़ी कर ली हैं। यह सब कीमत कंज्यूमर (उपभोक्ता) पर पड़ती है। तो ऐसा क्यों न किया जाय कि जब तक आप तमाम फैक्ट्रीज को नेशनलाइज़ करें तब तक, जैसा कि विलायत में है, यहां कोई शुगर मिल्स एसोसियेशन बनावें या एक कम्पनी बना कर तमाम शुगर मिल्स को उसके मातहत कर दिया जाय ताकि मिल्स को जो घाटा

हो उसे उन फैक्ट्रीज से पूरा कर सकें जो एफीशेंट (दक्ष) हों। किसानों की भी एक संस्था होनी चाहिये और गन्ने का भाव और यह सब चीजें म्यूचुअल बारगेनिंग (आपसी बातचीत) से तय होनी चाहिये। सरकार का काम महज मध्यस्थ का होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि आज इसका मौका भी है या नहीं कि इस मसले पर बात की जाय मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसानों के लिये खास तौर से बड़ा नाजुक मौका है। वैसे ही उनका काफी बंटाधार हो गया है और अगर जरा भी गलत कदम उठाया गया तो उनकी बहुत दुर्दशा हो जायगी। इसलिये जल्दी में या कोई किताब पढ़ करके कोई बात नहीं तय करनी चाहिये। आज हमें इस बिल को पास करना चाहिये और एक कमेटी बैठा करके, सब मामलों पर गौर करके, एक नया बिल पेश करना चाहिये जो सब कठिनाइयों को दूर करे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने मित्रों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें और इस बिल को पास करें।

श्री धनुषधारी पांडेय——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल के बारे में हाउस के सामने पेश है इसके बारे में मेरे अन्य साथियों ने काफी प्रकाश डाला है। मुझे थोड़े शब्दों में आपके सामने जो दिक्कतें शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित किसानों तथा मजदूरों की हैं उन्हें रखना है। सन् १९३१–३२ से हमारे पूर्वी जिलों में शुगर फैक्ट्रियां बनीं और दो तीन साल के अन्दर उन मिल पतियों ने एक एक शुगर फैक्ट्री के (प्राफिट) मुनाफा से दो-दो तीन-तीन शुगर फैक्ट्रियां बनवा लीं। जब आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट आई और उसने ध्यान दिया, तो सन् १९३८ में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट बना करके शुगर फैक्ट्रीज के मालिकों की नकेल को अपने हाथ में लिया। जब यहां अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों के खास पिट्ठू मिल पति थे। जो अंग्रेज कहते थे वही मिलपति करते थे और मिल पतियों के कहने के अनुसार अंग्रेजों का शासन चलता था लेकिन उनकी नकेलको हमारी कांग्रेस सरकार ने कुछ अंशों में अपने हाथ में लेने का रास्ता निकाला और वह ऐक्ट अब भी लागू है। आज दुनिया बहुत आगे है। किसान तथा मजदूर आज तक मिल पतियों की चक्की में पीसे गये हैं। आज यह भी सोचने की चीज है कि मिल पतियों ने एक मिल से कई मिल बनवाये परन्तु क्या किसान तथा मजदूर जितना आगे थे उतना आगे हैं या नहीं। यह तौलने की चीज है कि एक तरफ हमने जमींदारी एबालीशन (उन्मूलन) को पास किया और पहली जुलाई को लागू करने जा रहे हैं, परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इन मिल पतियों के लिये क्यों इतनी छूट है। क्या जमींदार और ताल्लुक़ेदार ने कोई पाप किया था कि उनके साथ यह बर्ताव किया जाय और मिल पतियों को इतनी छूट दी जाय? पिछले सालों में हमने देखा कि इन मिल पतियों ने चीनी में ब्लैक (चोर बाजारी) करके हमारी सरकार को कितना बदनाम किया। फिर भी हम कितना सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से चलते हैं, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो सचमुच इसकी उपाय यही होनी चाहिये कि इनका तत्काल हम राष्ट्रीयकरण करें। यह कैसे हो, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि राष्ट्रीयकरण कैसे हो, कोआपरेटिव बेसिस (सहकारिता के आधार,) पर हो या सरकार स्वयं इन मिलों के चलाने के लिये अपना रास्ता अख्तियार करे, इसके बारे में विचार करना है।

अब दूसरी समस्या हमारे सामने उन किसानों और मजदूरों की है जो इन मिलों से सम्बन्धित हैं। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि जो किसान मिलों पर गन्ना लाते हैं उनको २४ घंटे पड़ा रहना पड़ता है। मैं कहता हूं कि २४ घंटे नहीं बल्कि चार-चार दिन तक पड़ा रहना पड़ता है। जाड़ों की रातों में किसान मैदान में पड़ा रहता है। न उनके लिये कोई शेड (छाया) का इन्तजाम है और न जाड़े को दूर करने के लिये कोई इन्तजाम है, वर्षा हो चाहे ओला पड़े। पेमेंट (भुगतान) के लिये भी कोई इन्तजाम नहीं है, न उसके लिये गाड़ी, बैल खड़े करने का इन्तजाम है। मेरे सामने दो, तीन फैक्ट्रीज हैं। मैं भी एक फैक्ट्री के लेबर यूनियन (श्रमिक संघ) का

[श्री धनुषधारी पांडेय]

सेक्रेटरी हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि अगर एक भी ग़लती किसी मजदूर ने कर दी तो उसके लिये पचासों कानून बने हुये हैं, वह निकाल दिया जाता है। मगर मिल स्वामी पचासों कानून का उल्लंघन करते हैं तो भी उनके लिये कोई कानून नहीं है। खैर यह बात दूसरी है। अब यह प्रस्ताव आया हुआ है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। इसकी मुझे खुशी है और मुझे आशा है कि इस ओर उनका ध्यान अवश्य ही जायगा और देश का कल्याण होगा। अगर ३० जून के अन्दर इस बिल को हम पास नहीं करते हैं तो यह समस्या बड़ी टेढ़ी हो जायगी। ऐसी दशा में मैं उन दोस्तों से जो अमेंडमेंट (संशोधन) लाये हैं अपील करूंगा कि वे उनको वापस लें और इसको पास कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यों तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट की बाबत काफी वादविवाद इस सदन में हो चुका है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर दो एक बातें ऐसी सदन के सामने रखना चाहता हूं जिनसे हमारे माननीय सदस्यों को इस बात के समझने में ज्यादा आसानी होगी कि जो संशोधन हमारे साथी, श्री नारायणदत्त तिवारी, ने रखा है वह बहुत ही उचित है। जहां तक शुगर का उद्योग का ताल्लुक है यह हमारे सूबे का प्रमुख उद्योग है। इसमें करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लगी हुई है जिसमें हमारे सूबे के किसान और खास तौर से जो शक्कर को खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनका बहुत बड़ा हित है। इसलिये हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन होने के लिये प्रवर समिति के पास इसका जाना निहायत जरूरी है।

मैं टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट से कुछ आंकड़े इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९४७ में गन्ने का दाम १ रुपये ४ आने मन था जब कि चीनी का दाम २० रुपये १४ आने मन था। सन् १९४८ में गन्ने का दाम २ रुपये मन हो गया जब कि शक्कर का दाम ३५ रुपये ७ आने हो गया। यानी गन्ने के दाम १२ आने ही एक मन में बढ़े लेकिन शक्कर के दाम एक मन में १४ रुपये ९ आने बढ़ गये। शक्कर की कीमत में बहुत काफी वृद्धि हो गयी लेकिन गन्ने की कीमत में अधिक वृद्धि नहीं की गयी और इसके साथ ही साथ सन् १९४७ में जब डिकंट्रोल (विनियंत्रण) हुआ तो ४८ हजार टन शुगर बची हुई थी जो २० रुपये ४ आने मन के हिसाब से बिकनी चाहिये थी लेकिन वह ३५ रुपये ७ आने के हिसाब से बेची गयी। जब यह पता सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो ९ रुपये ३ आने फी मन उसने अपने कोटे में ले लिया और एक रुपया फी मन मजदूरों को बोनस देने के लिये मिल मालिकों को मजबूर किया। लेकिन ४ रुपया, ६ आने फी मन मिल मालिकों को मिला। इस प्रकार ४८ हजार टन शुगर की कीमत ५७,७५,००० रुपया मिल मालिकों के पास रही और १,९२,२५,१०० रुपया कंज्यूमर्स, (उपभोक्ताओं) को नुकसान उठाना पड़ा।

सन् १९४९-५० ई० में ११ लाख टन शक्कर बनाई गयी। उस समय शक्कर का भाव गवर्नमेंट ने २८ रुपया ८ आना निर्धारित किया जब कि टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार २७ रुपया ८ आना होना चाहिये था। इस प्रकार सरकार ने १ रुपया मन अधिक शक्कर का मूल्य निर्धारित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि ११ लाख टन शक्कर बनाने पर मिल मालिकों को ३,०२,२५,००० रुपया मिल गया। अगर यह रुपया जो मिल मालिकों के पास गया, सरकार के पास ही आया होता तो भी राष्ट्र के हित का कोई भी जरूरी काम किया जा सकता था। यही नहीं एक मन शक्कर बनाने में १० मन गन्ना खर्च होता है और एक मन गन्ने की कीमत सरकार ने दो रुपये रखी थी। इस प्रकार से १० मन गन्ने की कीमत २० रुपया हुई। यानी एक मन शक्कर २० रुपये के गन्ने में बनती है। और एक मन शक्कर के बनाने में ५ रुपये और खर्च होते हैं। इस खर्च में ईंधन, पैकिंग, सेस, मुनाफा और

सूद सभी शामिल हैं। तो इस तरह से जब कि शक्कर की कीमत २५ रु० मन होनी चाहिये थी वह सरकार ने ३५ रु० ७ आने फी मन रखी। सन् १९४९–५० ई० में ११ लाख टन शक्कर बनी। एक मन शक्कर पर मिल मालिकों को १० रु० ७ आने अधिक मिला। इस प्रकार ११ लाख टन शक्कर पर ३१,५७,३४,३७५ रु० मिल मालिकों को अधिक मिला। मैं सदन के सामने यह आंकड़े रखते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक अनन्त धनराशि किसानों के करों से निकल कर मिल मालिकों के हाथ में चली गयी। मैं समझता हूं कि इतने रुपये से कोई भी सिंचाई की योजना इस देश में चालू की जा सकती थी जिससे पूर्वी जिलों की समस्या को हल किया जा सकता था। मैं तो समझता हूं कि शक्कर का उद्योग हमारे सूबे का बहुत बड़ा उद्योग है जो कभी भी मिल मालिकों के हाथ में नहीं रहना चाहिये। जनता के हित में यह ज्यादा उपयोगी होगा कि इस तमाम उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले ले और प्रवर समिति को यह बिल सिपुर्द करे। उसके द्वारा तमाम मिलों का राष्ट्रीयकरण होना निहायत ज़रूरी है।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने और रखना चाहता हूं जिसमें किसानों और कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) के हितों पर कुठाराघात किया गया है। एक मन शक्कर के बनाने में साढ़े चार रुपया खर्चा होता है लेकिन सरकार ने एक मन शक्कर पर चार रुपये दस आने सेस और एक्साइज डियूटी लगा रखी है। यह एक बहुत ग़लत चीज है। यह किसानों पर बेजा बोझ डाला जाता है। इसके साथ ही साथ टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि दस लाख टन शक्कर पर साढ़े सात करोड़ रुपया एक्साइज डियूटी वसूल हुई यानी शक्कर के मूल्य में ग्यारह फी सदी एक्साइज डियूटी सरकार को मिली। यह भी जनता के हित के विरुद्ध है। यही नहीं है टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि ४७–४८ में १ करोड़ ८७ लाख रुपया सेस सरकार को मिला। इसमें से कुल २२ लाख रुपया किसानों के ऊपर सरकार ने खर्च किया। ४८–४९ में कुल सेस ३ करोड़ १२ लाख वसूल हुआ जिसमें से ३७ लाख रुपया ख़र्च किया गया। इस प्रकार १९४८–४९ तक कुल १० करोड़ ७८ लाख रुपया सेस के रूप में वसूल किया गया और इसमें से १ करोड़ ७२ लाख खर्च किया गया। इसी तरह से सरकार ने इसको रेवेन्यू (आय) का एक साधन बना लिया है, यह चीज भी ग़लत है।

इस तरह से मैं सदन के सामने माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करके हमारे साथी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार कीजिये और इस बिल को प्रवर समिति में जाने दीजिये। मैं सिफारिश करूंगा कि आप इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये सिफारिश करें। इससे हम बहुत बड़े मसले को हल कर सकते हैं। हमारे एक साथी ने यह कहा कि अगर इसका राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो इसका भी वही हाल होगा जो कि रोडवेज का हुआ है। हो सकता है कि रोडवेज में कुछ गलती हुई हो और इसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। लेकिन इसके यह मानी नहीं कि रोडवेज की गलतियों की वजह से हम राष्ट्रीयकरण की योजना को समाप्त कर दें। राष्ट्रीयकरण की योजना से सरकार का हित होता है, जनता का हित होता है और किसी व्यक्ति के हाथ में देने से उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का हित होता है। इसलिये मैं सिफारिश करूंगा कि राष्ट्र के हित को दृष्टिकोण में रखते हुये इस उद्योग का शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाय।

श्री अब्दुल मुईज़ खां—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री की तकरीर के बाद मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी और मैं खयाल करता था कि उनके आश्वासन के बाद विरोधी दल के हमारे भाई अपनी तरमीम को वापस ले लेंगे । लेकिन अभी हमारे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझ पर यह असर हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी हमारे मित्रवर अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हैं । हमारे मित्र गजेन्द्र सिंह जी ने कुछ आंकड़े पेश किये और इस बात का भी इजहार किया कि यह शुगर इंडस्ट्री नेशनेलाइज हो तो बहुत अच्छा है । कल भी मैंने नेशनेलाइजेशन (राष्ट्रियकरण) का लफ्ज सुना था और आज भी मैंने सुना है । मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे इत्तफाक न करता हो लेकिन सवाल इस बात का है कि आया इस सदन के या इस स्टेट के यह अख्तियार की बात है कि वह शुगर इंडस्ट्री को नेशनेलाइज करे । कंट्रोल ऐक्ट पास हो जाने के बाद इस इन्डस्ट्री का कंट्रोल तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में गया लिहाजा ऐसी हालत में दिल खुश करने के लिये हम यहां एकेडेमिक डिसकशन भले ही इस बात पर कर लें और मन की बातें कह लें लेकिन जहां तक वाकई नेशनेलाइज करने की बात है हमें यह देखना जरूरी है कि हमें वह अख्तियार है भी या नहीं । लिहाजा इन सब बातों को प्रोपेगन्डा (प्रचार) के नुक्ते ख्याल से अगर कहा गया है तो मुझे इस बारे में कुछ कहने को नहीं है ।

मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी जी ने, संशोधन को पेश करते हुये और उसकी ताईद में तकरीर करते हुये दो चार बातों का संकेत किया है । एक बात उन्होंने यह फरमाई कि शुगर केन (गन्ने) की कीमत स्टेट गवर्नमेंट तै करे और शुगर की कीमत केन्द्रीय सरकार तै करे, यह बात ठीक नहीं बैठती । मैं भी चाहता हूं कि अगर यह दोनों अधिकार इस सरकार को होते तो अच्छा होता लेकिन अब इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद अगर मैं चाहूं भी तो यह मुमकिन बात नहीं है । लिहाजा हम को तो इस ऐक्ट को देखते हुये जो अख्तियार हम बरत सकते हैं उन्हीं पर क़नाअत करना है क्योंकि हमें अधिकार नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई नुक्ताचीनी करें । वह पास भी हुआ और लागू भी हो गया लिहाजा उस के लागू हो जाने के बाद संविधान के शिड्यूल (अनुसूची) ७ की लिस्ट १ में ५२ नम्बर पर इंडस्ट्रीज (उद्योगों) के मुताल्लिक़ कानून पास करने का अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को है और उसी शिड्यूल की लिस्ट २ के नम्बर २४ पर यह लिखा है कि वह जो स्टेट लिस्ट है ?

"Industries subject to the provisions (सूची १ की प्रविष्टि ५२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उद्योगधन्धे) of entry 52 of list." हम वही कानून बना सकते हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक़ होंगे । इस संबंध में यह साफ जाहिर है कि सेन्ट्रल ऐक्ट जो बना है वह हमारे ऊपर हावी रहेगा और हम जो कानून बनायेंगे वह उसके मातहत होगा । लिहाजा अगर उन्होंने अपने इस कानून के ही जरिये शुगर की कीमत निश्चित करना अपने अख्तियार में रखा है तो ठीक न होते हुये भी हम उसको मानने के लिये मजबूर हैं । लिहाजा हमारे मित्र तिवारी जी का वह एतराज ऐसा है जिसकी तलाफी न उनके अख्तियार में है, न मेरे अख्तियार में है । हमको आपको इस पर अमल करना है । ख्वाह कोई दिक्कत पैदा हो उन दिक्कतों का मुकाबला करना है ।

इसके अलावा तिवारी जी ने यह भी फरमाया था कि अध्याय ३ निकाल देने से बहुत नुक़सान होने का अहतमाल है क्योंकि लाइसेंस देने के मुताल्लिक़ जो प्राविजन (उपबन्ध) अध्याय ३ में है वह भी खत्म होता है और अगर लाइसेंस के मुताल्लिक कानून खत्म होता है तो लाइसेंस देते वक्त जो कंडीशन्स (शर्तें) रखी जाती हैं वे भी खत्म होती हैं और नतीजा यह होता है कि लेबर के मुताल्लिक हम कोई कंडीशंस ले डाउन (शर्तें नियत) नहीं कर सकेंगे जिससे लेबर को नुकसान होने का अहतमाल है । अगर मैंने ठीक समझा है तो इस आशय की बात नारायण दत्त जी ने कही थी । इसके मताल्लिक़ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो कानून सेंटर ने बनाया है, हम पर उसकी पाबन्दी

लाजमी है और उस कानून में यह नहीं रखा गया है जैसा कि हर साल गन्ने की क्रशिंग (पेरने) के लिये लाइसेंस का रिनुअल (नवीकरण) हुआ करता था अब इस कानून से कोई ऐसी बात नहीं रह गयी है। उन्होंने नई इंडस्ट्रीज के लिये तो लाइसेंस जरूरी रक्खा है लेकिन जो मौजूदा इंडस्ट्रीज हैं उनके लिये महज रजिस्ट्रेशन रक्खा है जिसके लिये गालिबन दफा १० है। लिहाजा अब हम लाइसेंस के मुताल्लिक़ कोई कानून रख भी नहीं सकते। जब हम नहीं रख सकते हैं तो देखना यह है कि आया जैसा कि हमारे मित्र के दिल में खतरा है ऐसा न हो कि इस लाइसेंस के प्राविजन के निकाले जाने के बाद लेबर का कोई प्रोटेक्शन (संरक्षण) न रहे। हमारे मित्र को यह खतरा था। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई खतरा हमारी नजर के सामने नहीं पड़ता है। सेंट्रल ऐक्ट में ऐसे प्राविजन्स (उपबन्ध) मौजूद हैं जिनसे लेबर के इंट्रेस्ट (हित) को सेफगार्ड (रक्षित) किया जा सकता है। यह कहना कि सेंट्रल ऐक्ट में कोई ऐसी बात नहीं रक्खी गयी है यथार्थ में ठीक नहीं है। मैं श्रीमान् के जरिये से अपने मित्र की तवज्जह सेंट्रल ऐक्ट की धारा ६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके अन्दर क्लाज 'सी' में दिया है—

"The Central Government may, by notified order, establish for any scheduled industry or group of scheduled industries, a body of persons to be called a Development Council which shall consist of members who in the opinion of the Central Government are persons capable of representing the interests of persons employed in industrial undertakings in the scheduled industry or group of scheduled industries."

[केन्द्रीय सरकार विज्ञप्त आदेश द्वारा किसी अनुसूचित उद्योग अथवा अनुसूचित उद्योग समूह के लिये ऐसा निकाय स्थापित कर सकती है जो विकास परिषद् कहा जायेगा और जिसके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो केन्द्रीय सरकार की राय में अनुसूचित उद्योग या अनुसूचित उद्योग समूह में, औद्योगिक प्रयासों में काम करने वाले व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये सुयोग्य व्यक्ति हों।]

लिहाजा इस कानून के आधार पर जो डेवलपमेंट कौंसिल (विकास परिषद्) बनेगी उसमें लेबर (श्रमिक समुदाय) के प्रतिनिधि भी जा सकते हैं। उसके आगे उसी सेक्शन ६ के सबक्लाज (३) में यह है:

"Every development Council shall be, by virtue of this Act, a body corporate by such name as may be specified in the notified order establishing it, and may hold and transfer property and shall by the said name sue and be sued."

[प्रत्येक विकास परिषद् इस अधिनियम द्वारा ऐसे नाम का निगम होगी जो कि उसको स्थापित करने वाले विज्ञप्त आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, तथा ऐसी विकास परिषद् सम्पत्ति को रख सकती व हस्तांतरित कर सकती है और उसी नाम से अभियोजन करेगी व अभियुक्त की जायगी।]

अब मैं श्रीमान् जी की इजाजत से अपने मित्र की तवज्जह शिडयूल सेकन्ड (द्वितीय अनुसूची) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस शिडयूल के आइटम (मद) नम्बर ७,९ और १४ की तरफ उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आइटम नंबर ७ इस तरह से है कि—

"Promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation"

[प्रबन्ध व श्रमोपयोग तथा सामान के विषय में व उत्पादन की रीतियों के विषय में जांच का आभार लेना या जांच को उन्नति प्रदान करना।]

आइटम नंबर ९ इस तरह से है कि "Promoting the retraining in alternative occupations of personnel engaged in or retrenched from the industry."

[उद्योग में लगे हुये या उसमें से हटाये गये लोगों को अन्य धन्धों में लगाये रखने के कार्य को उन्नति प्रदान करना]

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

आइटम नंबर १४ इस तरह से है "Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, inculding measures for securing after and better working conditions and the provision and improvement of eminities and incentives for workers."

[श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये ऐसे कार्यारम्भों को उन्नति प्रदान करना जिनमें कार्य करने की उच्चतर व सुरक्षापूर्ण अवस्थायें प्राप्त करने के तथा कर्मचारियों के लिये उत्साह तथा सुविधाओं में उन्नति करने के हेतु आरब्ध कार्य भी सम्मिलित हैं।]

इस तरीके से इस सेंट्रल ऐक्ट में भी लेबर के मुताल्लिक ऐसे प्रावीजन्स (उपबंध) रखे गये हैं कि जिनकी रू से उनके हकूक की तरफ तवज्जह की जा सकती है। हमारे मित्र ने गालिबन चैप्टर ३ की दफा ११ के (ई) के मुताल्लिक यह बात कही थी जिसमें लिखा हुआ है कि:—

"A license granted under sub-section (3) of section 10 shall be subject to such conditions as the state Government may, after consulting the board, impose in respect of all or any of the following matters at the time when the license is granted."

(e) Such other matter as may be prescribed including conditions of labour

[धारा १० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दी गयी लाइसेंस पर वे शर्तें लागू होंगी जिनको राज्य सरकार बोर्ड से परामर्श करके, निम्नलिखित सब विषयों पर या उन में से किसी विषय पर, लाइसेंस देने के समय लागू करे :

[(ङ) श्रम की अवस्था को समाविष्ट करके, अन्य ऐसे विषय जो निर्धारित किये जायं,]

गालिबन हमारे मित्र सोचते थे कि जब लाइसेंस दिया जाता है तो उनके ऊपर इस धारा ११ के सब क्लाज (इ) से लेबर के मुताल्लिक कुछ कंडीशंस (शर्तें) ले की (रक्खी) जाती हैं। लेकिन आज तक यह कभी काम में आया ही नहीं बल्कि लेबर के हुकूक के तहफ्फुज के लिये और बहुत से ऐक्ट हैं जिनके आधार पर उनको प्रोटेक्शन (संरक्षण) दिया गया है। वह अब भी लागू हैं। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, वर्कमेन्स कम्पेंसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, इंडस्ट्रियल लेबरर्स इम्पलायमेंट ऐक्ट, फैक्ट्री ऐक्ट और ट्रेड यूनियन ऐक्ट, यह सब ऐक्टस बदस्तूर लागू हैं। इनके आधार पर लेबर के हुकूक का प्रोटेक्शन और तहफ्फुज हर तरीके से हो सकता है। दफा ११ की सब क्लाज (ई) का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और इसलिये इसके निकाले जाने से कभी नुकसान नहीं हो सकता है। लिहाजा हमारे दोस्त के दिल में जो ख्याल था, जो डर था वह महज इमेजीनिरी (काल्पनिक) है, इसमें कोई तत्व नहीं है। इसके साथ साथ हमारे मित्रवर ने यह भी फरमाया था कि अगर यह चैप्टर निकाल दिया गया तो खंडसारी व्यापार में एक किस्म की बड़ी भारी गड़बड़ी पैदा हो जायगी। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि मैंने प्रिंसपल ऐक्ट और नये ऐक्ट का अध्ययन किया तो यह पता चला कि खंडसारी व्यापार पर यह ऐक्ट लागू ही नहीं होता। यह ओपिन पैन (खुली कड़ाही) में बनती है, वैकुअम पैन (हवा रहित कड़ाही) में नहीं बनती है। अगर फैक्ट्री ऐक्ट की डेफिनीशन (परिभाषा) में देखा जाय तो उसमें खंडसारी का उद्योग आता नहीं है। इसलिये यह ऐक्ट उसपर लागू ही नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि जो खतरा हमारे दोस्त को दिखाई देता था और जिसके आधार पर उन्होंने यह फरमाया कि अध्याय ३ बदस्तूर कायम रखा जाय और उसके निकाल देने से बुरे नतायज होंगे, इसके कोई वजूहात दिखाई नहीं पड़ते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और इन्हीं बातों के आधार पर हमारे मित्र ने यह फरमाया था कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह सोच विचार करके जो दिक्कतें वह देख रहे थे उनका इन्तिजाम कर दे ताकि वह परेशानियां पैदा न हों लेकिन मैंने यह अर्ज किया कि वह परेशानियां जो वह देख रहे थे वह अब भी पैदा नहीं होती हैं; लिहाजा कोई माकूल वजह नहीं है जिनके आधार पर यह बिल सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय।

इसके अलावा जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि अगर यह बिल ३० जून तक पास नहीं होता तो ऐक्ट की जिन्दगी ३० जून तक है वह खत्म हो जायेगी और इसकी जिन्दगी खत्म हो जाने के बाद क्या नतायज होंगे उसका हम आप अन्दाजा इस वक्त नहीं कर सकते। लिहाजा जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया था कि यह बिल जैसा है वैसा ही पास कर दिया जाय ताकि गन्ने की कीमत वगैरह के निर्धारित करने में कोई दिक्कत न हो और जो की जा चुकी हैं वह कानून कायम रहे और जब तगइयुर और तबद्दुल करने का वक्त आये उसके भी करने का अधिकार रहे, लेकिन अगर यह ऐक्ट खत्म होता है तो सारा काम बेकार हो जाने का खतरा है।

बहुत से माननीय मित्रों ने जो इजहार ख्याल किया है उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं और संभव है उसमें से बहुत सी बातों में तथ्य हो। यह ऐक्ट कुछ अंशों में नाकिस भी है जिसका ठीक होना अपने सूबे के हित के लिये और किसानों के हित के लिये और इस उद्योग के लिये निहायत जरूरी है लेकिन जल्दी में फौरी राय कायम कर लेना ठीक नहीं है। इसलिये जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था सरकार एक कमेटी कायम करना चाहती है और उसमें हर पार्टी के लोगों को जो इस उद्योग में दिलचस्पी रखते हों कमेटी में रखना चाहती है ताकि सब लोग बैठ करके ठंडे दिल से सोचें और व्यापक ढंग से सोचें और अत्युत्तम कानून बनाने का प्रयत्न करें। उस की रिपोर्ट आ जाने पर सरकार उस पर गौर करके ऐसा बिल लाना चाहती है जो सर्वमान्य हो और जो सारे नुकायस बताये गये हैं जिनमें कुछ तथ्य हैं वह सब दूर कर दिये जायं जिससे जो मंशा लोगों का है वह पूरा हो, किसानों का कल्याण हो और इस उद्योग की भी तरक्की हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे मित्र, मैं कैसे जुर्रत करूं, कि अपना संशोधन वापिस लें लेकिन जो बातें मैंने अर्ज की हैं अगर उन्होंने तवज्जह से सुनी होंगी तो अवश्य वापस लेने की दरख्वास्त सदन के सामने पेश करेंगे और अगर सुनने में कोताही की है तो फिर समझने की गुंजाइश पैदा नहीं होती और फिर वापस लेने के लिये तैयार नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं इसके पूर्व कि यह कहूं कि मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं या नहीं यह जान लेना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल और अभी हमारे उद्योग मंत्री जी ने यह फरमाया कि चूंकि प्रिंसिपल ऐक्ट (प्रधान अधिनियम) से फैक्ट्रीज कंट्रोल नहीं हो सकतीं तो क्या वे इस ऐक्ट का नाम भी बदलने को तैयार हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मेरी समझ में उनकी बात नहीं आयी।

माननीय अध्यक्ष--उन्होंने यह कहा कि इस बिल के ऊपर जो नाम दिया हुआ है यानी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट अगर आप कंट्रोल नहीं रख सकते हैं तो फिर उसको आप बदल दीजिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह--नाम तो उसका बिल्कुल ठीक ही है। हम कंट्रोल (नियंत्रण) कर सकते हैं। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है उसको वह करती है और जितना हमारे स्कोप (कार्यक्षेत्र) में आता है हम करते हैं। यह नहीं कि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं भवन के आदर्णीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री को एकपत्र भेजा गया था और उसके बाद हम उनसे मिले भी थे। उस बातचीत में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये एक कमेटी बनायी जायेगी जो इन नियमों और बिल पर विचार करेगी। कमेटी का आश्वासन हमें मिला है, जैसा कि माननीय मंत्री ने भी कहा, चाहे वह सेलेक्ट कमेटी न भी हो। इसलिये आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री इस विषय पर विचार करेंगे। इस बात का विश्वास है कि यह कमेटी शीघ्र ही बनायी जायगी और उसके निर्णयों पर ध्यान दिया जायगा मैं आशा करता हूं कि इसी जून में यह कमेटी बन जायगी और इसी आशा से अपना संशोधन वापस लेता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैंने इसी जून का विश्वास नहीं दिलाया है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--यू० पी० शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० (जो आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के लंबे शीर्षक (Long title) में :--

(क) शब्द "to provide for the licensing of sugar factories and" निकाल दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द 'in' और 'factories' के बीच आनेवाले शब्द 'such' के स्थान पर शब्द 'sugar' रख दिया जायगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में

(क) शब्द "to provide for the licensing of sugar" निकाल दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द 'in' और "factories and" के बीच आनेवाले शब्द 'such' के स्थान पर शब्द "sugar" रख दिया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) के पश्चात् एक नया उपखंड, (क क) जोड़ दिया जाय--

"(कक) शब्द "for regulating" के स्थान पर शब्द 'to regalate' रख दिये जायें।

यह एक शाब्दिक संशोधन है आशा है आप स्वीकार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष--खंड ३ के उपखंड (क) के पश्चात् एक नया उपखंड (कक) जोड़ दिया जाय।

"(कक) शब्द 'for regulating' के स्थान पर शब्द' to regulate' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "and shall remain in force until the 30th June 1952" निकाल दिये जायंगे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम का अध्याय ३ निकाल दिया जायगा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ५ रखा जाय--

> "५--मूल अधिनियम के अध्याय ३ की धारा ११ तथा ११ ए को छोड़ कर शेष अध्याय निकाल दिया जाय।"

इस संबंध में मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन के मान लेने पर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर वे कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं तो फिर वैसी हालत में जो कमेटी मुकर्रर होगी वह इस पर विचार कर लेगी। मैं तो यही चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें। अगर इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई दिक्कत है तो मैं अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं करूंगा और चाहूंगा कि इसे भी उसी कमेटी के विचाराधीन छोड़ दिया जाय।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र की बात जरूर मान लेता क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ऐटिच्यूड (मनोभाव) रखा, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इसमें दिक्कतें हैं जिनका जिक्र मैंने अभी अपनी तक़रीर में किया है। इस वजह से यह तरमीम अगर हमारे मित्र नहीं पेश करते तो अच्छा था। इन सब बातों पर विचार करने के लिये जो कमेटी है वह सब पर विचार करेगी जो चीज कि उसके सामने आयेगी और इस कमेटी के विचार करने के बाद अगर यह तय हुआ कि नहीं ऐसा हो सकता है तब तो मुझे जरा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बिल में ऐसा प्राविजन (उपबंध) लाने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में फिलहाल इस वक्त यह तरमीम वापस ले ली जाय।

श्री गेंदा सिंह--इस विश्वास के साथ कि कमेटी जल्द मुकर्रर होगी और उसका जल्दी काम शुरू होगा मैं इस अमेंडमेंट (संशोधन) को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा २६ निकाल दी जायगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७--मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (१) और (२) निकाल दी जायगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८--मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (२) में:--

(क) खंड (c) निकाल दिया जायगा,

(ख) खंड (d) निकाल दिया जायगा,

(ग) खंड (e) में शब्द और अंक "section 13 (1) and 19 (5)" के स्थान पर शब्द और अंक "section 19 (5)" रख दिये जांयगे, और

(घ) खंड (f) में शब्द और अंक "section 13 and 23" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23" रख दिये जांयगे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

यह उचित है कि आगे दिये गये प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल ऐक्ट, १९३८ ई० में संशोधन किया जाय,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधक) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरप्रदेश में शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

मुझे इस संबंध में केवल इतना कहना है कि मैं अपने मित्रों का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने मेरी बड़ी सहायता की और जो तरमीम पेश की थीं, माकूल वजूहात के पाने पर उनको वापस ले लिया और इस विधेयक को पास करने में हर तरह की सहूलियत दी। इसके लिये मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज़ कण्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय जैसा कि इस बिल के आबजेक्ट्स (उद्देश्यों) और रीज़न्स (कारणों) को देखने से मालूम होगा कि यह संशोधन इसलिये पेश किया जा रहा है कि थोड़े ही दिन हुये हाई कोर्ट से फैसला हुआ है, जिसमें हमारे उस नियम को जो कि हमने अभी अदालती पंचायतों के संबंध में पास किया था उसको गैर-कानूनी करार दिया है। जैसा कि पंचायत राज ऐक्ट से मालूम होगा धारा ४९ में यह दिया हुआ है कि अदालती पंचायतों का कम्पोजिशन (निर्माण) कैसे हो। धारा ७७ में वह पंचायतें जो फैसला करेंगी उसका प्रोसिजर (प्रक्रिया) दिया हुआ है। धारा ४९ में जो प्रोसिजर है कि अदालती पंचायतों का कम्पोजिशन कैसे हो उसमें यह है कि ५ पंच होंगे और वे पंच वहां बैठे और जो कार्यवाही वहां पर होगी उस पर फैसला देंगे। वे कार्यवाही सुनें और फैसला दें, ऐसा धारा ७७ से मालूम होता है। बाद में यह महसूस हुआ कि गांव के पंच सारा समय अपना सिर्फ अदालती पचायतों के लिये नहीं दे सकते, क्योंकि वे आनरेरी (अवैतनिक) हैं और उनको और भी काम हैं। इसलिये हमने यह नियम बनाया कि पंचायत का कोरम (गण संख्या) तीन हो। इस नियम के अनुसार मुकद्दमे होते रहे और उनके फैसले होते रहे। एक मामला जो कि हाईकोर्ट में गया उसमें हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि यह तीन के कोरम का नियम गैर-कानूनी है। इसलिये जब तक यह फैसला है और जब तक कि उसका कोई संशोधन इस भवन में नहीं होता तब तक वे सारे फैसले जो अब तक अदालती पंचायतों के किये हैं वे गैर-क़ानूनी करार दिये जावेंगे। ऐसे फैसले काफी संख्या में हैं। लगभग ८०,००० मुकद्दमे अदालती पंचायतों के सामने आये और लगभग ५०,००० फैसले ऐसे हैं जो पंचायतों ने अब तक किये हैं। उसमें कई किस्म के फैसले हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फैसले हैं जो इन अदालती पंचायतों द्वारा हो चुके हैं। अब सवाल यह होता है कि जो फैसले अब तक इन अदालतों ने किये और जो हमारे उस नियम के अनुसार भी जायज हैं जो अब तक हमने किये थे कि अदालती पंचायतोंका कोरम तीन हो, लेकिन जो हाई कोर्ट के फैसले से गैरकानूनी क़रार दिये गये हैं, उनका क्या होगा? मुख्य प्रश्न इस समय यही है।

इस भवन में कोई भी ऐसी व्यक्ति न होगा जो यह समझता हो कि पंचायतों का काम नहीं होना चाहिये या वह गैर-जरूरी है और हमारी यही राय है कि पंचायतों का काम होना चाहिये। अगर आप यह मानलें कि पंचायतों की जरूरत है और उन्हें यह अधिकार होना चाहिये तब हमारी जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज (वास्तविक कठिनाइयां) हैं उन पर गौर करना होगा। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफीकल्टी यह है कि शुरू से लेकर आखिर तक पांच पंचों का रहना मुश्किल

[माननीय श्री मोहन लाल गौतम]

है। इसलिये बहुत से फैसले ऐसे हैं जो तीन जजों ने किये हैं। उन्होंने उस समय यह समझ कर फैसला किया था कि हमारा एक कानून था। हमारा यह नियम था कि वह तीन जजों का कोरम काफी है। इसलिये इस बिल का असली मक़सद यही है कि जो अब तक मुकद्दमे फैसल हुये हैं उन्हें कानूनी क़रार दिया जाय और जो हाईकोर्ट के फैसले से इनवैलिड [अवैध] होते हैं। इल्लीगल (अवैध) फैसले माने जा चुके हैं, उनको वैलीडेट किया जाय। यह इस बिल का मुख्य अर्थ है।

मैं आपके द्वारा इस भवन से इस प्रार्थना करूंगा कि यह मामला ऐसा अहम है कि इसमें देर नहीं की जा सकती, अर्थात् इसमें देर करने की गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें देर की गयी तो हजारों मामले जो अदालती पंचायतों ने फैसले किये हैं, उनकी अपीलें होंगी और न मालूम क्या फैसले हो जायं। इसलिये सारे देहाती इलाके में जहां जहां पंचायतों ने ये फैसले किये, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ होने का अन्देशा है। इसलिये यह जरूरी है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास कर दिया जाय। अगर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार है इस भवन को कि इस बिल को जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया जाय तो फिर आप यह देखेंगे कि जो अमेंडमेंट हैं उनमें से एक यह है कि सेलेक्ट कमेटी (विशिष्ट समिति) को यह बिल रिफर (निर्दिष्ट) कर दिया जाय। तो उन सदस्य साहब से मेरी यह प्रार्थना है कि वे इस को वापस ले लें। इस जनरल बहस के वक्त में इन अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ी सी रायजनी इसलिये करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट देने वाले साहबान का मतलब है उसका उत्तर मैं पहले दे दूं ताकि अगर मेरी बात समझ में आ जाय तो शायद बहुत से अमेंडमेंट्स वापस ले लिये जायं और इस भवन का बहुत सा समय बच जाय। इसलिये अगर आप की आज्ञा हो तो मैं इन अमेंडमेंट्स के बारे में जनरल तरीके से कुछ अर्ज कर दूं। आज या कल यह भवन उठ जायगा और फिर उसके बाद जुलाई में यह भवन बैठेगा और शायद सबसे पहले बजट का मंजूर करना जरूरी होगा। इस तरह कई महीने के लिये यह बिल टल जायगा और इन कई महीनों में हजारों मुकदमों की अपीलें हो सकती हैं और उससे बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिये सेलेक्ट कमेटी की बात को इस वक्त न उठाया जाय तो अच्छा है। यहां मैं इतना और कह दूं कि यह बिल एक बहुत ही सीमित बात के लिये है। मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत से सदस्य ऐसे होंगे जिनको बहुत सी कमियां इसमें नजर आ रही होंगी और यह जरूरी है कि जब इतने दिन तक पंचायत राज ऐक्ट पर अमल हो चुका है तो जो कुछ उसमें कमियां हैं, उनको फिर दोबारा देखा जाय और सारे ऐक्ट को फिर एक दफा रिवाइज किया जाय। लेकिन ऐसी सब बातें उस वक्त मौजूं होंगी जब सारा ऐक्ट इस भवन के सामने हो। इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक सीमित बात को लेकर ही यह बिल लाया गया है और इस लिये सेलेक्ट कमेटी की बात से बहुत देर हो जायगी और जो असली मतलब इस वक्त इसके पेश करने का है वह दबा हो जायगा।

दूसरे इसके ये अमेंडमेंट्स हैं जो कानूनी ढंग से हो सकते हैं। .....

श्री बेचन राम गुप्त—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) इसके मुताल्लिक रेज करना (उठाना) चाहता हूं। वह इस प्रकार से है कि इस अमेंडमेंट बिल (संशोधन विधेयक) के द्वारा सेक्शन ७७, पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, को अमेंड किया जा रहा है और उसमें एक धारा ७७ (ए) को जोड़ दिया जा रहा है। इसकी मंशा यह है कि पंचायत के पंचों के ३ पंच, जिनमें एक सरपंच और एक पंच जो कि प्रोसीडिंग (कार्यवाही) को लिख सकता हो और एवीडेंस (गवाही) को रिकार्ड (लिख) कर सकता हो, जरूरी है। मैं इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सेक्शन ४९, पंचायत राज ऐक्ट,

१९४७ की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सेक्शन ४९ जो, कि अंग्रेजी में है पढ़ दूं।

माननीय अध्यक्ष--आप पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) बतला दें।

श्री बेचन राम गुप्त--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह बिल अल्ट्रा वायरस (अवैध) है। सेक्शन ४९ का मंशा यह है कि एक पंच तो उसी ग्राम सभा का होना चाहिये जहां कि मुद्दई रहता हो और दूसरा पंच वहां का होना चाहिये जहां कि मुद्दालय रहता हो। अगर हुजूर आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ दूं। (एक सदस्य--हिन्दी में पढ़िये।) यह ऐक्ट अंग्रेजी में ही है, हिन्दी में नहीं है। इसलिये मैं अंग्रेजी में पढ़कर बाद में हिन्दी में उसका तर्जुमा कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष--वह ऐक्ट अंग्रेजी में ही है इसलिये वह पढ़ सकते हैं।

श्री बेचन राम गुप्त--"Every such Bench shall include one Panch who resides in the area of the Gaon Sabha in which the plaintiff of a suit or proceeding or the com- plainant of a case resides and likewise one Panch residing in the area of the Gaon Sabha in which the defendant or the accused resides, and three Panches residing in the area of the Gaon Sabha in which neither party resides; provided that in police cases on Panch shall be such as may be residing in the area of the Gaon Sabha in which the offence was committed, one Panch residing in the area of Gaon Sabha in which the accused resides and three panches residing in the areas other than those mentioned above."

मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि यह सेक्शन ४९ का जो सब-क्लाज (२) है कि एक पंच उस गांव सभा का होना चाहिये जिसमें मुद्दई रहता हो---

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य कह रहे थे कि अल्ट्रा वाइरस है। अल्ट्रा वाइरस का मतलब यह होता है कि यह सदन इसको पास नहीं कर सकता। इस सदन को अधिकार नहीं है कि इस तरह का संशोधन करे। तो इसके लिये आप जो कहना चाहते हों वह कहिये।

श्री बेचन राम गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बिल का प्राविजन (उपबंध) जो है और १९४७ के ऐक्ट के सेक्शन ४९ का प्राविजन एक दूसरे के कंट्राडिक्शन (विरोध) में हैं।

माननीय अध्यक्ष--किसी खंड या धारा के विपरीत या उसके विरोध में अगर संशोधन पेश होता है तो उसके औचित्य के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उचित नहीं है। कई ऐसी धारायें रह जाती हैं जो कि नजर के सामने से ओझल हो जाने की वजह से उनमें परस्पर विरोध रह जाता है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि भवन को कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है। जिस वक्त इस बिल पर खंड खंड करके विचार होगा और इस धारा के ऊपर विचार होगा तो माननीय सदस्य को यह अधिकार होगा कि जो नुक्स उसमें रह गया है उसे भवन के सामने पेश करें और उसको सुधारने के लिये सुझाव रखें। लेकिन भवन के सामने यह विधेयक लाने का अधिकार नहीं है, यह कहना सही नहीं है और मैं इसको इस सदन के अधिकार के बाहर नहीं समझता।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत से अमेंडमेंटस ऐसे हैं जिनपर क़ानून की रू से अगर बहस की जाय, एक राय हो या दूसरी हो, हो सकता है दो रायें हों, लेकिन जो अब तक फैसले हुये हैं उनमें से दो शर्तें पूरी हुई हों तो आप उन तमाम पुराने फैसलों के खिलाफ जो अब तक हो चुके हैं अपील दायर करने के लिये मौका दे देंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा तमाम अमेंडमेंट मूव (प्रस्तावित) करने वालों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वक्त मौका नहीं है कि बहुत सी ऐसी शर्तें लगाकर, जो अब तक फैसले हुये हैं उनको अपील का मौका देकर, गांव वालों को परेशान किया जाय और वकीलों के लिये मौका दिया जाय कि वे आगे अपील दायर करके गांव वालों को परेशान करें। इसलिये इस वक्त यह मौका नहीं है कि इसमें ज्यादा संशोधन किया जाय। मैंने जैसा कहा, एक मौका आने वाला है। पंचायत राज ऐक्ट का संशोधन हमारे विचाराधीन है और उसपर शुरू से लेकर आखिर तक बहस हो, ऐसा मौका इस भवन को होना चाहिये। उस वक्त हर एक को यह मौका होगा कि एक एक लफ्ज़ को देखें और जितने भी संशोधन मुनासिब हों उसमें करें। मैं इस भवन के सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त जो भी मुनासिब तरमीमें होंगी उन सब पर विचार किया जायगा और कोई तरमीम, इसलिये कि वह किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति की तरफ से आई गयी, इसलिये नामंजूर कर दी जाय, ऐसा नहीं होगा। मैं उन सब मित्रों से जिन्होंने इसमें संशोधन दिये हैं एक प्रश्न को छोड़ कर, यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल में बहुत ज्यादा कठिनाईयां पेश न करें और इस बिल को जैसा है, वैसा पास होने दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस भवन के सामने यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री केशव गुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ जून तक प्रस्तुत करे। जो विधेयक हमारे सामने आज पेश है उसके उद्देश्य आदि को देखकर यह बात बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ और जो नियम ८७ पंचायत राज ऐक्ट के अधीन बना था उसको उन्होंने अवैध करार देते हुये यह निर्णय दिया कि तीन पंचों का फैसला किया हुआ उचित नहीं। इसके कारण सरकार को कठिनाई पड़ी और सही कठिनाई पड़ी कि वह बहुत से फैसले, ५०, ००० हों, ६०,००० हों जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, अगर कोई तरमीम या संशोधन मौजूदा ऐक्ट में नहीं होता और उनकी अपील या रिवीजन (पुनरीक्षण) होता है तो उससे एक बहुत बड़ी खलबली ग्रामों की जनता में फैलने की आशंका है। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री से इस बात से तो सहमत हूं कि जितनी जल्दी भी संशोधन किया जा सके और उस फैसले से जो कठिनाइयां पड़ी हैं दूर हो सकें, उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर इस संशोधन से उस कठिनाई का समाधान न हो और आगे कठिनाई पड़ने की भविष्य में सम्भावना हो, तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं होगा कि हम जल्दी से जल्दी से इस विधेयक को पास करें।

मेरा ख्याल है कि जो विधेयक आपके सामने आया है उससे हाई कोर्ट के फैसले से जो कठिनाई पड़ी उसके दूर होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती। अभी मैं आपके सामने दो एक धारा रख देना चाहता हूं। पंचायत राज ऐक्ट की दफा ४९ में साफ तौर से लिखा है कि एक पंच उस गांव सभा का होगा जहां का मुद्दई है, एक उस गांव सभा का होगा जहां का मुद्दालेह है और एक उनमें पढ़ा लिखा होगा जो कि कार्यवाही लिख सके, लेकिन वह तो यदि मुद्दई या मुद्दालेह के गांव सभाओं में रहने वाले पंचों में से यदि कोई लिखने की योग्यता रखता है तो वह अनावश्यक हो जाता है। और तीन उन गांव सभाओं के होंगे जिन का संबंध मुद्दई या मुद्दालेह की गांव सभाओं से न हो। इसलिये दफा ४९ में पांच पंचों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दफा ५४ यह है --

"In the event of any disagreement between the Panches theopinio n of the majority shall prevail."

दफा ८४ में आपने यह लिखा है कि अगर उनमें कोई मतभेद होगा तो उनमें से जो बहुमत होगा उसी का निर्णय माना जाय। इस प्रकार दफा ४९ में आपने पांच पंचों का होना अनिवार्य किया और दफा ८४ में आपने यह कह दिया कि बहुमत का निर्णय मान्य होगा। तो इसके साफ मानी यह हुये कि चूंकि बहुमत तीन का ही होगा, इसलिये तीन का निर्णय माना जायगा। इसलिये जब तक दफा ४९ और ८४ कायम हैं मैं समझता हूं कि यह भूल हुई कि हमने ८७ नियम बनाकर, इस कोरम तीन का रखा और जो भावना ऐक्ट की थी उसको हम भूल गये अगर वह नियम न होता तो हमारे पंच इस बात की परवा करते कि पांचों पंच इकट्ठे हो जायं या अगर न इकट्ठे होते तो हमे बहुत जल्द आवश्यकता पड़ती कि उसको संशोधित किया जाय और वही संशोधन अब तक हो जाता। लेकिन उस नियम के होने की वजह से वह सब भूलें हुईं। इसलिये जब तक आप दफा ८४ को तरमीम नहीं करते, दफा ४९ को तरमीम नहीं करते, दफा ७७ में आकर हो सकता है कि जो आप यह जोड़ रहे हैं कि उसमें तीन ही पंच आयेंगे और तीनों में भी मतभेद हो तो उस दशा में दो का फैसला माना जा सकता है, इसलिये वहां तीन का फैसला नहीं रहता और दफा ८४ के प्रतिकूल पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि यह भी कहना तो हो सकता है कि दफा ७७ (ए) के होने से आप यह कर दें कि चार या तीन पंच बैठें, वही मुकदमें को सुन लें। लेकिन उससे यह नहीं होता कि फैसले के वक्त वह पांचों मौजूद न हों। इन दोनों दफाओं के होते हुये पांचों पंचों का होना आवश्यक है। वह हमने ठीक ही रखा था क्योंकि हमारे देश में पंचायत के जरिये ही निर्णय हुआ करता था। पंच गांवों में बैठा करते थे। न वहां पर कोर्ट फीस होती थी, न स्टैम्प होता था, न आधुनिक वकील होते थे, न कानून की पेचीदगियां होती थीं, बल्कि सद्भावनाओं को लेकर जो तथ्य होता था उसी के अनुसार हमारे यहां निर्णय हुआ करता था और इसीलिये कहा जाता है कि पंच वहां परमेश्वर था। लेकिन धीरे धीरे वह परिपाटी बदली और ब्रिटिश हुकूमत के आने पर वह बिल्कुल खत्म कर दी गयी। उसकी जगह पर इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीड्योर कोड और दूसरे मोटे मोटे पोथे हमारे सामने रख दिये गये और हम जैसे वकीलों को भी वहां पैदा किया गया जो उसमें अड़ंगा लगाते रहे। जिन कारणों से पंचायतें कायम हुई थीं और जो निर्णय लोगों को मिलता था वह दूर हो गया। फैसलों में देरी होने लगी, इंसाफ बहुत खर्चीला हो गया, इंसाफ बिकने लगा। इसलिये जिस भावना को लेकर यह पंचायत राज ऐक्ट लागू किया गया था वह भावना तो बिल्कुल सही थी। उस भावना की कद्र भी की गई। मैं समझता हूं कि अगर ४६ में जो विधेयक हमारी सरकार की ओर से इस भवन में आया था उस समय के जो सदस्य इस भवन में मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि पंचायत राज ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, दो ऐसे विधेयक थे और वह परिस्थिति एक क्रांति पैदा करने वाली थी। दुर्भाग्य से जमींदारी विनाश ऐक्ट इतनी जल्दी कार्यान्वित नहीं हो सका और वह तो अब १ जुलाई से कार्यान्वित होगा लेकिन पंचायत राज ऐक्ट कार्यान्वित हुआ और उस पर काम भी हुआ और उसके द्वारा फैसले भी हुये और लोगों को एक सीधा मार्ग दिखाई दिया और वह परेशानी और खर्च से भी बचे। परन्तु आप इस पर विचार कर लें कि जो संशोधन आप कर रहे हैं वह इन दोनों धाराओं के प्रतिकूल पड़ रहे हैं जिन का मैंने अभी जिक्र किया।

[श्री केशव गुप्त]

इसके अतिरिक्त भविष्य में एक और चीज भी गड़बड़ हो सकती है। यह हो सकता है कि एक मामले में कई कई तारीखें लगें और एक तारीख पर हो सकता है कि तीन में से दो ही पंच मौजूद हों और हो सकता है कि किसी तारीख पर तीनों मौजूद हों। एक तारीख पर यह राय हो सकती है कि सजा हो और दूसरी पर मेजारिटी (बहुमत) की राय हो सकती है कि छूटना चाहिये और एक्विटल (मुक्ति) होना चाहिये। लेकिन किसी और तारीख को यह भी हो सकता है कि सरपंच की राय बदल जाय। उस रोज मान लीजिये कि सरपंच के दिल में आवे कि उसके दो साथी कहते हैं कि छूटना चाहिये लेकिन उस दिन सरपंच ने चाहा कि सजा होनी चाहिये तो वह फैसला लिख सकता है और अपने साथी की राय को, जिन्होंने सुना था केस को नजरअन्दाज कर सकता है और इस तरह से नजाय न्याय के अन्याय हो सकता है। इस शंका का समाधान भी किसी तरह से हो जाना चाहिये। भविष्य के लिये आप कुछ करें लेकिन जो कानून बन रहा है उस का रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्वगामी प्रभाव) होगा। यह हो जाय तो ठीक है। इस वक्त तो जैसा मैंने कहा दफा ८४ के मातहत काम होता है और जो नियम बने थे उनके अनुकूल तमाम काम हो सकता है। पुराने फैसले अनियमित करार दिये जा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो कानून बन रहा है वह फैसलों के लिये लागू किया जा सकता है और भविष्य के लिये दूसरा बना दें जिसका आप वादा कर रहे हैं। हमारा पंचायत राज ऐक्ट जो पास हुआ था वह बहुत जल्दी मे पास हुआ था और उसके पास होने में बहुत कठिनाई पड़ी थी। २ महीने में १२ दफा हो सकी थीं और विशेष परिस्थिति के कारण १२ दफा से अगली दफा गिलोटीन हुई थी और उन पर गौर नहीं हो सका और उसमे जो जो गलतियां रह गई वह अभी मौजूद हैं और उनका समाधान होना बहुत जरूरी है। अभी कल हाई कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया है उसपर भी गौर करना है उससे भी पंचायतों के काम में गड़बड़ हो जाने की आशंका है और उसका ठीक होना जरूरी है।

मौजूदा स्थिति में विधेयक में जो शब्द हैं उनको देखते हुये आप इस विधेयक के द्वारा जो फैसले हुये हैं उनको जायज करार न दे सकेंगे और अगर वह जायज न होंगे तो भविष्य में भयंकर परिस्थिति पैदा हो सकती है और बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी और उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। इसलिये मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया है और आशा है कि इस गड़बड़ की आशंका को दूर करने की ओर आप ध्यान देंगे। यह हो सकता है कि प्रवर समिति में जाने से इसमें देर लगे इसलिये आप यह भी कर सकते हैं कि आप इस का विचार एक घंटे के लिये स्थगित कर दें और थोड़े से वक्त में इसे संशोधन करके फिर रखें। मैंने आपके सामने अपना दृष्टिकोण रख दिया और अगर आप समझते हैं कि मेरा यह दृष्टिकोण सही है और आप समझते हैं कि इस विधेयक के द्वारा जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसका समाधान नहीं होता तो मैं आशा करता हूं कि आप या तो इसे प्रवर समिति में भेज देंगे या कोई दूसरा रास्ता निकालें और कोशिश करेंगे कि ये कठिनाइयां दूर हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस भवन के माननीय सदस्य श्री केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय मैं इसका विरोध करता हूं। यह एक ऐसा छोटा सा विधेयक है और जिस उद्देश्य से यह उपस्थित किया गया है उसको देखते हुये इस बात की बिल्कुल आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो दलीलें उनकी तरफ से पेश की गई हैं कि प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय उनमें मैंने ऐसी कोई बात नहीं पाई जिससे उनका प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें होंगी अगर इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय। तीन पंच जब एकत्रित रहें तभी वे

मुकदमे को फैसल कर सकें और उसी को सही फैसला समझा जाय। इस संबंध में जो बातें उन्होंने कहीं वे बातें वास्तव में ठीक नहीं हैं। धारा ८४ का उल्लेख करते हुये उन्होंने बतलाया कि मेजारिटी का होना आवश्यक है। धारा ८४ में उन्होंने यह पढ़ा "In the event disagreement between the Panches the opinion of the majority shall prevail".

तीन पंच हैं। दो की एक राय हुई, एक की एक राय तो दो की राय मानी जाय। उन्होंने यह कहा कि दो का फैसला मान्य हो जायगा। इसलिये यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है मुनासिब नहीं है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि कानून के अन्दर कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होती, किसी और धारा का मुकाबिला करते हुये भी धारा ७७ में जो संशोधन किया गया है उससे उसमें कोई अड़चन पड़े। ऐसी कोई कठिनाई नहीं पड़ती। ठीक है, पंचायत ५ पंच की होती है। ५ पंच नहीं आते, ४ या ३ आते हैं। उन पंचों को अधिकार होना चाहिये काम करने का। हम लोग जो देहात के रहने वाले हैं उन्होंने देखा है कि अक्सर ५ पंच नहीं आते। ऐसी सूरत में ४ या ३ पंच आते हैं। मुकदमें की कार्यवाही करते हैं। अभी माननीय मंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुये बतलाया कि ५ पंच का फैसला न होने का कारण फैसले रद्द किये गये। हम लोगों ने अपने जिलों में देखा होगा कि पंचायत के फैसलों के खिलाफ रिवीजन पर रिवीजन फाइल हो रहे हैं। न जाने कितने फैसले रद्द हुये, न जाने कितने रद्द हो जायेंगे। तो न ५ पंच इकट्ठा हों, न फैसला होगा। कठिनाई जो वास्तव में है वह यह है कि अक्सर ५ पंच इकट्ठा नहीं होते। बहुत से पंच मुकदमों में दिलचस्पी नहीं लेते या ऐसा भी हुआ कि ५ पंच इकट्ठा हुये, दो की राय एक तरफ और तीन की राय एक तरफ। कुछ ऐसा आभास मिला तो दो पंच जो खिलाफ हैं वह अपने को गैर हाजिर कर लें जिससे फैसला होवे ही नहीं। यह समझ कर कि न हम जायेंगे न फैसला होगा इसलिये वह अपने को गैरहाजिर कर लेते हैं और इस तरह से ५ पंच होने पर भी फैसला कभी न होने दें। इस तरह से २ पंच आयें नहीं, ५ पंच पूरे हों नहीं, इस तरह से मुकदमें का फैसला कभी हो पाये नहीं। इन बातों को देखते हुये ३ पंच का फैसला होना आवश्यक है। इसलिये जैसा कि उन्होंने कहा कि पांच पंच जब रहें तभी फैसला हो यह बात अनावश्यक है। इसमें बड़ी कठिनाई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि दो पंच राय कर लें और न आये, मुदई से लिम जाय या मुद्दालेह से मिल जाय।

श्री केशव गुप्त—मैं पहले ही कह चुका हूं और मैंने कहा था कि कठिनाइयां हैं और मैं इसको महसूस करता हूं कि पांच पंचों का होना असम्भव है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इन कठिनाइयों को देखते हुये और जो फैसले रद्द हुये हैं उनको देखते हुये धारा ७७ का संशोधन आना आवश्यक है। आपने यह कहा कि मैजोरिटी तीन में दो आदमी जिस तरफ हों वही फैसला होगा। अगर तीन पंच इकट्ठा होते हैं और दो की एक राय होती है और एक की अलग हुई तो जो दो पंचों की राय है वही फैसला होगा।

एक बात और कही गई कि जिस गांव का मुद्दई है वहां का एक पंच हो और जिस गांव का मुद्दालेह है वहां का एक पंच हो और बकिया और जगह के हों। हमारे बेचन राम जी ने कहा कि पांच पंचों का होना जरूरी है। कानून को देखते हुये और पंचायत राज्य ऐक्ट को देखते हुये यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बेंच जो बनाई जाय उसकी कार्यवाही उसी तरह से हो। बेंच बनाने के लिये ठीक है कि बेंच बनाते वक्त मुद्दई और मुद्दालेह के पंच हों, लेकिन कार्यवाही के लिये यह जरूरी नहीं है कि जब तक गांव का पंच न आये मुकद्दमा न हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिये जब तीन पंच आयें तो मुकद्दमे की कार्यवाही हो, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात अनावश्यक है।

मैं श्रीमान् के द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि अभी पंचायत राज अधिनियम का संशोधन आने वाला है। उस समय बहुत सी बातों पर विचार किया जायगा। बहुत सी धाराओं पर और कठिनाइयों पर जो इतने दिन के अनुभव के

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

बाद महसूस हुई हैं उनपर विचार किया जायगा। लेकिन इस समय इसमें विलम्ब करना बहुत ही हानिकर होगा और विलम्ब करने में जो मुकद्दमे फैसल हो चुके हैं उनमें गड़बड़ी होगी और पंचायतों के बहुत से फैसले उलट जायेंगे। प्रवर समिति की कोई दलील मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी ऐसी बात है जो आप संशोधन के जरिये से नहीं ला सकते हैं। कोई बात अनुचित प्रतीत होती हो तो संशोधन के जरिये विचार हो सकता है। प्रवर समिति में वह चीज लानी चाहिये जो लम्बी और उलट फेर की हो इसलिये कतई आवश्यकता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। जिस रूप में यह विधेयक आया है उसी रूप में पास होने में कोई वैधानिक कठिनाई उपस्थित नहीं होती। मैं निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति का संशोधन वापिस ले लिया जाय क्योंकि इससे भवन का कोई कल्याण नहीं होगा।

श्री कमला सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने इस वक्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट सन् १९५२ ई० पेश है। मैं इस सदन का ध्यान यू० पी० विलेज कोर्ट्स ऐक्ट सन् १८९० की तरफ दिलाता हूं। जब पहले पहल अदालतें यू० पी० के अन्दर कायम हुई थीं उस वक्त पंचायतों का कार्य मुंसिफ के जरिये से संचालन होता था और वह मुंसिफ उनका फैसला करता था। साथ ही साथ यह भी था कि जो ऐसे मुकद्दमात जिनका विलेज कोर्ट्स को देखने का जूरिसडिक्शन (कार्यक्षेत्र) था आफिसरान होते उनको मुंसिफ और जो दूसरे थे वह भी देख सकते थे। उसके बाद जब १९२० और २१ का कानून आया उस वक्त सरकार को यह ख्याल आया कि अब पंचायतों को अधिकार देने चाहिये। ऐसी हालत में विलेज पंचायत ऐक्ट १९२० का निर्माण हुआ। इसमें जितनी पंचायतें थीं उनमें जैसे पहले मुंसिफ एप्वाइंट (नियुक्त) किये जाते थे और उनका चुनाव कलेक्टर के द्वारा हुआ करता था वैसे ही इस ऐक्ट में पंचायतों में पंचों को कलेक्टर चुना करते थे और जो लिखा पढ़ी का काम करते थे और पंचायतों की देखभाल किया करता था वह सरपंच होता था। उस पंचायत के मेम्बर्स होते थे। उसमें कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात आदमी हुआ करते थे। इन पांच और सात का निर्णय कलेक्टर किया करते थे। कलेक्टर अगर चाहता था कि पांच आदमियों की पंचायत रखी जाय तो पांच आदमियों की पंचायत रखी जाती थी और अगर वह चाहता था कि सात की हो तो सात की होती थी। लेकिन उस वक्त भी जब पांच या सात का चुनाव होता था तो भी बहुमत की बात मानी जाती थी, यानी उन्हीं का निर्णय मान्य समझा जाता था। इसमें भी जब पंचों की उपस्थिति मौत या अन्य किसी कारण से नहीं होती थी तो उससे जो पंचायतों की कार्यवाही होती थी वह अवैधानिक नहीं समझी जाती थी। उसमें एक चीज लिख दी गई थी कि अगर पंचों की संख्या तीन हो या इससे अधिक हो तब तक वह कार्यवाही अवैधानिक न मानी जाय और इसलिये ही कम से कम तीन सदस्य उन पंचायतों में अवश्य रखे जाते थे। लेकिन जितने पंच थे वह उसी सर्किल के रहने वाले थे जिस अदालत में या जिस पंचायत में वह मुकदमा आता था और साथ ही साथ १९२० के विलेज पंचायत ऐक्ट की दफा १३ के जरिये से यह कोरम बनाया गया था।

मैं इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त की जो पंचायतें थीं उसमें जैसा कि मौजूदा पंचायत राज्य ऐक्ट में है नहीं था कि पंच उस गांव का हो जहां का मुद्दई या मुद्दालेह रहने वाला हो या कोई ऐसा पंच उसमें जरूर हो जहां मुद्दालेह रहता हो। साथ ही साथ अगर ४७ के ऐक्ट को आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसके ५१ वीं धारा के खंड (२) में पुलिस केसेज का कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है कि उस वक्त लोगों का ख्याल न रहा हो कि पुलिस के केसेज भी पंचायतों को दिये जायं। लेकिन जब ऐक्ट बना तो पुलिस के केसेज के मुताल्लिक भी अमेंडमेंट हुआ और वह इस मौजूदा ऐक्ट की धारा ४९ में आ गया है। अब ग्राम हुकूमत बिल के बाद जब सेलेक्ट कमेटी के पास यह बिल

आया तो पंचायत राज ऐक्ट १९४७ उसका नाम कर दिया गया और जब यह पास हुआ तो उसमें धारा ४९ जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने यहां सदन के सामने पढ़कर सुनाई है उसके अन्दर रखी गई ।

उस धारा ४९ के खंड (२) में यह है--

"49(2)Every such Bench shall include one Panch who resides in the area of the Gaon Sabha in which the plaintiff of a suit or proceeding or the complainant of a case resides and likewise one Panch residing in the area of the Gaon Sabha in which the defendant or the accused resides and three Panches residing in the area of the Gaon Sabha in which neither party resides."

इस तरह से इसमें जितने भी मुकदमे हैं उनको दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। एक तो वे मुकद्दमें जो जनरल पब्लिक (सामान्य जनता) के होते हैं। उसके मुतालिक मुस्तगीस और मुल्जिम दोनों के गांव के रहने वाले एक एक पंच का रहना अनिवार्य है। साथ ही साथ ३ पंच और भी होने चाहिये जो निष्पक्ष हों और वे दोनों में से किसी भी पार्टी के गांव के न हों। इसके अलावा पुलिस के मुकदमों के लिये दूसरी सूरत रखी गई है और वह यह है कि--

"Provided that in police cases one Panch shall be such as may be residing in the area of the Gaon Sabha in which the offence was committed, one Panch residing in the area of Gaon Sabha in which the accused resides and three Panchhes residing in the areas other than those mentioned above."

चूंकि पुलिस के केस में सरकार मुद्दई होती है इसलिये यह सोचा गया कि अगर मुद्दई के घर या गांव का कोई आदमी होगा तो उचित न होगा। उसके लिये यह कहा गया है कि एक पंच उस गांव सभा के क्षेत्र का हो जहां का वह मुल्जिम रहने वाला है और दूसरा उस गांव सभा का हो जहां कि वाक़या हुआ हो और बाकी ३ पंच इन दोनों क्षेत्रों से बाहर के रहने वाले होंगे। इस तरह से यह देखा जाता है कि दो प्रकार के केसेज का बटवारा किया गया है एक तो पुलिस के केसेज और दूसरे जनरल पब्लिक के केसेज । लेकिन दोनों में यह देखा जाता है कि तीन पंच ऐसे होंगे जो दोनों स्थानों में से एक भी स्थान के न होंगे यानी निष्पक्ष होंगे। साथ ही साथ यह प्रावीजनस् जो ४९ में रखा गया है mandatory (आदेशात्मक है) discretionary नहीं है । आज जो संशोधन आया है वह भी सब्जेक्ट टू सेक्शन४९ (धारा ४९ को बाधित करते हुये) है वह इस प्रकार है--

"77A. (1) If any Panch appointed to a bench constituted under section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at any hearing, the remaining Panches may, notwithstanding anything contained in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, howeuer, that at least three Panches including the Chairman, are present."

इस तरीके से हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट में सेक्शन ४९ का जिक्र किया गया यानी सेक्शन ४९ मेन सेक्शन (मुख्यधारा) है । इसलिये जब तक दफा ४९ में ५ पंच का प्रावीजन है और यह भी लिखा हुआ है कि ये वे पांच पंच किसी खास किस्म के हों तब तक मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कैसे कहा जाता है कि ५ पंच के बजाय ३ कर दिया जाय। मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा। यह भी मैं सदन के सामने प्रेस करना (जोर देना) चाहता हूं कि जो द्वितीय संशोधन विधेयक आया है उसके उद्देश्य और कारखानों में यह लिखा हुआ है कि--

"यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट १९४७ की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामला वाद या कार्यवाही (केस सूट और प्रोसीडिंग्स) पर विचार तथा निर्णय पांच पंचों की बैंच द्वारा किया जायगा।"

[श्री कमला सिंह]

इसमें भी इस बात को माना गया है कि पांच पंचों का रहना जरूरी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आया प्रत्येक कार्यवाही के दिन पांच पंचों का रहना आवश्यक है या नहीं। इसको भी तो उद्देश्य और कारणों में साफ कर दिया गया है। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पांचों पंच किसी किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्रायः एक या दो पंच अनुपस्थिति ही रहे। यानी ऐसी हालत में पांच पंचों का रहना जरूरी है फिर भी दो तीन पंच ऐसे थे जो लगातार गैर हाजिर रहे या कभी कभी गैर हाजिर रहे। तो कोरम (गणपूर्ति) निश्चित करना जरूरी मालूम हुआ और इस कठिनाई को दूर करने के लिये बहुत कुछ सुझाव पेश किये गये। हम इस सदन का ध्यान पंचायत राज राज के अधीन नियम ८७ ए-की तरफ दिलाना चाहते हैं कि जब यह कठिनाइयां अदालतों के सामने आने लगीं उस वक्त इस सदन को यह ख्याल हुआ कि किसी तरह से कोई अमेंडमेंट (संशोधन) कोरम के मुताल्लिक कर दिया जाय ताकि ये कठिनाइयां दूर हो जायं। और इस तरह से कोरम के मुताल्लिक अगर आप पंचायत राज ऐक्ट के रूल्स को देखेंगे तो उनमें जो ८७ ए-रूल है उसमें कोरम कान्सटीट्यूट किया (बताया) गया है .....

"Three Panches of the Panchayat Adalat shall constitute the quorum for the meeting of any Panchayat .

माननीय अध्यक्ष—आप डिटेल (विस्तार) में जा रहे हैं। यह रूल जो अवैधानिक करार दिया गया है वही सवाल सदन के सामने है। उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमला सिंह—नियम ८७—ए-१ फरवरी सन् ५० में बनाकर भी माननीय हाई कोर्ट ने नहीं माना। इस तरीके से जो यह दूसरा अमेंडमेंट इस सदन के सामने है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसके जो उद्देश्य और कारण हैं उनके मुताबिक ५ पंचों का रहना बहुत जरूरी है। और जो द्वितीय संशोधन सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसमें तीन पंचों का जिक्र किया गया है। ऐसी हालत में ४९ सेक्शन जो मेन सेक्शन (प्रधान धारा) है उसपर ७७ ए-रेस्ट करता (आधारित) है। इस तरीके से मैं इस सदन से इस्तदुआ करता हूं कि यह संशोधन जो रखा गया है न पेश किया जा सकता है और न पास किया जा सकता है। जब तक सेक्शन ४९ रिपील (निराकृत) न हो तब तक निश्चित है कि यह किसी आधार पर पास नहीं किया जा सकता है क्योंकि उद्देश्य और कारण के विपरीत जाता है और यह एक अहम सवाल है अतः सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह कानून जो कि आज इस सदन के सामने है वह एक आपत्ति का पहलू है। पंचायत अदालत का जो शब्द ऐक्ट के अन्दर इस्तेमाल हुआ है वह यह है कि उसके ५ पंच होंगे, पांच ५ मिलकर एक अदालत बनायेंगे हाई कोर्ट ने भी यही माने लगाया और यह कहा कि अगर पांच पंच के बजाय किसी अदालत में ३ पंच आयें, या ४ पंच आयें गरजे कि ५ से कम हों तो यह माना जायगा कि यह पंचायत अदालत नहीं है और इसी वजह से वे कायदे जोकि बने हुये हैं कि ३ का कोरम होगा, अल्टराबायरस (अवैध) हैं, यानी जब ऐक्ट के अन्दर ५ पंचों को मिलाकर एक अदालत बनेगी तो ३ के कोरम से वह अदालत नहीं बन सकेगी। नतीजा यह हुआ कि ५०,६० हजार मुकदमें जो केवल ३ पंचों ने किये वे हाईकोर्ट की तजवीज के अनुसार खिलाफ कानून ठहरें। अब इस सदन के सामने सवाल यह है कि क्या उन ५०, ६० हजार तजवीजों को नाकिस करार दिया जाय जिससे दोबारा मुकदमे करने पड़ें, दोबारा खर्च हो और उनमें से बहुत से मुकदमों की मियाद भी निकल जाय। गरजे कि इससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हर शख्स जानता है कि धारा ८७ के अनुसार बहुमत की राय जायज मानी जानी चाहिये, लेकिन निर्णय के समय पांचों पंच शामिल होने चाहिये

और जब उन सबका एक मत नहो यानी उनमें "disagreement" हो तो बहुमत (यानी ३ पंचों का) फ़सला जायज होगा पर उपर्युक्त ५०,६० हजार पंचायतों के मुकदमों में बजाय ५ पंचों के सिर्फ ३ ही पंच आये कभी कोई तीन और कभी कोई तीन और फैसला भी केवल ३ ही पंचों ने दिया। ऐसी तजवीजें एक्ट के विरुद्ध हैं और नाजायज हैं और यह एक बड़ी उलझन है और वह उलझन उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम यह कानून जो अब हमारे सामने है मंजूर न करें।

इस बिल के अन्दर यह लिखा है कि यदि किसी वाद या प्रोसीडिंग या केस में केवल ३ ही पंच मौजूद हों और वह ३ पंच उस मुकदमे की सुनाई करें और वे ३ पंच भी अदलते बदलते रहें और तजवीज भी दें तो वह तजवीज जायज है और थी। एक मुकदमे की शुरुआत जब से वह दायर होता है और जब तक उसकी तजवीज होती है लफ्ज ट्राई के अन्दर शामिल है। इस तरह से ऐक्ट जो हम बनाना चाहते हैं उसके अन्दर हम यह कहते हैं कि अगर ३ पंच किसी मुकदमे को समाप्त करें और उसकी तजवीज हो और उसकी ट्राई की हो तो वह जायज है। यही नहीं जो आइन्दा होंगे वह भी जायज होंगे बल्कि जो मुकद्दमात तय हो गये उन पर भी यह लागू होगा। इन मुकदमों के मुताल्लिक जो दूसरे सदस्यों ने ऐतराज किये हैं वह ऐतराज सही हो सकते हैं। आज अगर हम यह ऐक्ट बनाना चाहते हैं और तरमीम करना चाहते हैं तो यह तय करें कि पंचायत बजाय ५ पंचों के ३ पंचों की ही हो और वह जायज होगा और ४९ धारा में यह तरमीम करने की जरूरत है जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है बहुत जल्द वह दूसरी तरमीम लायेंगे और इसलिये इस बिल के पास करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर तीन पंचों से ज्यादा पंचायत में न रहें तो भी काम चल सकता है। एक पंच वादी का, एक पंच प्रतिवादी का और एक पंच इनके अतिरिक्त गावों का होगा। ऐसे ही तीन पंचों से ही पंचायत का फैसला जायज माना जायगा।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनःआरम्भ हुई।)

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल—माननीय अध्यक्ष महोदय अगर थोड़ी सी देर के लिये इस तरमीम के उद्देश्य और कारण को नजरअन्दाज करें या उन्हें आंखों से ओझल कर दिया जाय तो मुझे इस बिल में खराबी नजर आती है। मैं महसूस करता हूं कि यह एक ऐसी तरमीम है जो कानून के मक़सद के खिलाफ है। धारा ४९ में ५ आदमियों की पंचायत बनती है। मेरी यह भावना है कि जब तक किसी पंचायत में वे पांचों पंच जो धारा ४९ से चुने गये हैं जब तक वे पांचों ही मौजूद न हों तब तक पंचायती अदालत नहीं कहीं जा सकती। यह दूसरी बात है कि आप उसे कानूनन जायज करार देदें लेकिन जब तक वह कानून पास नहीं होता, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने तजवीज किया है, वह पंचायती अदालत का फ़ैसला नहीं कहा जा सकता है। वह अदालत नहीं मानी जा सकती है। इस तरमीम से अगर दूसरे अल्फाज में कहा जावे दफा ४९ को बेकार करना है और यह कहीं अच्छा है कि धारा ४९ को ही तरमीम कर दिया जाय और तीन ही पंचों की पंचायत बना दी जाय। लेकिन ४९ धारा को क़ायम रखना और उसके बाद यह तरमीम करना, चाहे यह तरमीम इस कारण से जायज हो कि इससे जो फ़ैसले हो चुके हैं या जो आइन्दा हों वे वैलीडेट (जायज) हो जायं, ठीक मालूम नहीं होता लेकिन अगर कोई शख्स केवल कानून बनाने की बुद्धी पर निगाह रखे तो उस को यह ख्याल जरूर होगा कि बजाय इस बात के करने के कि तीन पंचों का कोरम बनाया जाय और उनके फैसले ठीक माने जावें, यह कहीं बेहतर होता कि उस पंचायत के पंचों की तादाद बजाय ५ के तीन ही कर दी जाती इसी तरह से मैं यह कहता हूं कि इस तरमीम से जो और धारायें असिल ऐक्ट के अन्दर मौजूद हैं उनकी भी खिलाफवर्जी होती है। जैसा दफा ७९ में लिखा है कि अगर कोई एक्स पार्टी (एकतर्फा) फ़ैसला हो यानी अगर कोई फ़रीक़ हाजिर न हो तो पंचायत को यह अख्तियार होगा कि दोबारा उसकी सुनाई करे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस सूरत में पंचायती अदालत से ३ आदमियों की अदालत से मानी होंगे या ५ की से होंगे। और उस अदालत को यह अधिकार दफा ७९ की रू से दिया गया है। इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि इस तरमीमी बिल के अन्दर नुक्स हैं और रहेंगे।

तीसरा जुर्म मुझे यह मालूम होता है कि दफा ८४ है जिसमें यह लिखा है कि बहुमत का फैसला मान्य होगा। कौन सी मैजारिटी (बहुमत) होगी? आज जब दफा ८४ को तरमीम नहीं किया गया है और केवल दफा ७७ (ए) बढ़ाई जाती है। अगर दफा ७७ (ए) न हो तो धारा ८४ में मैजारिटी को क्या मानी है। यही है कि पांचों पंच अदालत के अन्दर मौजूद हों और जैसा लिखा है कि अगर उनमें इत्तिफाक राय न हो तो बहुमत का फैसला मान्य होगा इत्तिफाक राय तभी हो सकता है जब पांचों के पांचों पंच मौजूद हों। अगर पांचों मौजूद नहीं हों तो इत्तिफाक राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाइत्तिफाकी तभी होगी जब वे सब मौजूद हों और वे इत्तिफाक न करें यानी किसी फैसले से मुत्तफिक न हों। धारा ८४ जैसी कि कानून के अन्दर मौजूद है उसका एक ही अभिप्राय है कि अगर पांचों पंच अदालत में मौजूद हों और उनमें खिलाफ राय हो तो कसरत राय से फैसला होगा। आज आप उसे तरमीम नहीं करते तो इसके मानी यह हैं कि उस धारा को आप बदस्तूर कायम रखते हैं। इस तरह से आप जिन फैसलों को वैलिड (वैध) करार देना चाहते हैं, शायद वह नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ८४ धारा के अर्थ इस तरमीम के करने के बाद बदल जाते हैं यानी यह कि जो कसरत राय से मतलब था वह ३ से २ हो जाता है तो दूसरी बात है। अगर धारा ८४ तरमीम नहीं होती तो मैं यह तो समझता हूं कि हमारे माननीय वजीर इस बात से बेखबर नहीं हैं। उनको यह मालूम है कि इसके अन्दर कुछ नुक्स हो जाता है। लेकिन आज कानून को ठीक करना उतना हमारे सामने नहीं है जितना कि उन फैसलों को वैलिडेट करना है जो कि हो चुके हैं और जिनकी तादाद ५०, ६० हजार के करीब बताई जाती है। अगर कानून के शिकंजे को थोड़ी देर के लिये नजरअन्दाज कर दिया जाय तो उन फैसलों में कोई नुक्स नहीं है। अगर पांचों पंच भी होते तो भी नतीजा यही रहता था। जब अदालत ५ आदमियों की रखी है तो कोरम मुकर्रर करने के मानी यह हैं कि आप ५ के बजाय ३ पंचों में चलाना चाहते हैं जो कानून के खिलाफ है और इस वजह से हाई कोर्ट ने इस रूल को नाजायज करार दे दिया है। कोरम का रूल जो रखा गया है वह आज भी नाजायज है और तरमीम के बाद भी नाजायज रहेगा। अगर पांच के बजाय तीन की अदालत मानी जाय तो अगर तीन ही हाजिर हों चाहे कोई से भी हों तो वह फैसला जायज माना जायगा। लिहाजा वह कानून तो नाजायज ही है। इस रूल की बिना पर कुछ पंचायतों के फैसले गलती से ३ पंचों से जाहिर हो गये हैं। हम आज उसे वैलिडेट करना चाहते हैं जैसा कि श्री केशव गुप्त जी ने कहा यह फैसले वैसे भी वैलिडेट हो सकते हैं, किसी भी फैसले को अगर आप चाहें तो कानून की जद में लाकर उसे वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिये एक कायदा होता है।

हमारे श्रीमान मंत्री जी ने इस बात की अभी एक अन्डरस्टैंडिंग सी (आश्वासन) दी थी और यह फरमाया कि यह ऐक्ट तो तरमीम होने जा रहा है और जितने नुक्स हमारी आंखों के सामने आवेंगे उन्हें हम दुरुस्त करेंगे लेकिन आज इस तरमीम को करना निहायत जरूरी है। और मैं भी यही समझता हूं क्योंकि अगर यह तरमीम नहीं होगी तो वे फैसले इनवैलिड (अवैध) रहेंगे। ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा खराबियां पैदा होंगी। इसलिये मैं सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस बिल को मंजूर फरमाया जाय। इससे हमारे प्रांत का फायदा होगा और इसलिये हमें इसे पास करना चाहिये।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहुत कुछ बहस मैंने सुनी। माननीय मंत्री जी के भाषण से यह जाहिर हुआ कि हाई कोर्ट की रूलिंग (व्यवस्था) होने से हजारों मुकदमे जो अभी तक फैसल हो चुके हैं उनमें एक अड़चन हो गयी है और उस अड़चन को रफा करने के लिये वैलिडेट (वैध) करने के लिये यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत कुछ कठिनाइयां इसमें दिखायी गयीं और कठिनाइयां भी अवश्य हो सकती हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विधेयक के पास होने से अदालती पंचायत का जो मकसद है वह पूरा होता है या नहीं। हमें यह देखना है कि पंचायती अदालत को जो स्थापित

हुई थी वह किस ध्येय से स्थापित हुई थी। जहां तक सन् १९४७ के पंचायत राज ऐक्ट में देखा गया है और जो उसमें दफायें रखी गयी हैं उनका मकसद यह है कि गांव वालों को इंसाफ मिले और इन्साफ तुरन्त मिले और अधिक खर्च न करना बड़े । यह मकसद कैसे पूरा हो उसके लिये यह व्यवस्था की गयी है जैसा कि पहले कहा गया वह यह है कि प्रत्येक मुकदमे के लिये ५ पंचों का एक बेंच मुकर्रर किया जाय, जिस में एक वादी के ग्राम क्षेत्र का पंच हो, एक प्रतिवादी के ग्राम क्षेत्र का पंच हो, और तीन ऐसे पंच हों जिन का वादी या प्रतिवादी से कोई संबंध न हो। ऐसी पंचायती अदालत द्वारा जो निर्णय दिया जायगा वह निर्णय सही मानों में निष्पक्ष कहा जा सकता है। इस वक्त जो बिल हमारे सामने पेश है उसका जो मकसद है वह यह है कि जब ५ पंच हाजिर नहीं होते हैं तो मुकदमा फैसल होने से रह जाता है। इसलिये अगर ५ पंचों की जगह ३ पंचों को यह अधिकार दिया जाय कि उनका किया हुआ निर्णय वैलिड (वैध) माना जायगा तो यह संभावना संभव है कि फैसले जो हों वे जल्दी जल्दी हो सके, यह मैं मानता हूं कि यह प्वाइन्ट कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन सदन को तो यह भी देखना है कि केवल मुकदमों के फैसल कर देने से जनता की भलाई नहीं हो सकती है और पंचायती अदालत का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है। पंचायती अदालत का उद्देश्य यह है कि फैसले जल्दी होने के साथ ऐसे भी हों जो निष्पक्ष हों और जिन में सही मानों में इन्साफ किया जाय। हाँ, इस विधेयक के देखने से एक कमी यह दिखाई पड़ती है कि ५ पंचों के बजाय ३ पंचों का निर्णय काफी समझा गया है और उसमें भी यह जरूरी नहीं है कि उन ३ पंचों में से १ पंच ऐसा रखा जाय जो प्रत्येक सुनवाई में हाजिर रहा हो। यह भी हो सकता है कि ३ पंच जो पहले कभी सुनवाइयों में हाजिर न रहे हों आखिरी सुनवाई में हाजिर हो जायं और निर्णय दे दें।

मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से जो निर्णय होगा वह एक आदमी का निर्णय माना जायगा। ऐसा हो सकता है कि दो, तीन पंच मुकद्दमे की सुनवाई में हाजिर न हों और फैसले के रोज केवल पंच एक रह जाता हो जो लिखना पढ़ना जानता हो और दो पंच और हों जो उस रोज हाजिर हों जाते हों, जिनको वह पढ़ा लिखा पंच जो चाहे कार्यवाही बयान आदि की पढ़ कर सुना दे। तो ऐसा होने से जिन पंचों ने कभी उस मुकदमे के मुताल्लिक़ वादी और प्रतिवादी की न सूरत देखी न बयान सुने वह निर्णय देंगे और यह निर्णय सही होगा इसमें मुझे संदेह है, खासकर जब कि हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण पंच भाई बहुत अशिक्षित हैं और बहुत से ऐसे भी हैं, जो दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं। इसलिये यह कह देना कि उन तीन पंचों द्वारा जो निर्णय होगा वह इन्साफ होगा, इसमें बहुत संदेह है। इसलिये अगर यह विधेयक जैसा कि प्रस्तुत किया गया है उसी तरह पास किया जाता है तो पंचायती अदालत का जो उसूल है और इस सदन ने जो न्याय और इन्साफ जनता को पंचायत राज ऐक्ट पास करके देना चाहा है उसका गला घुट जायगा। हमे तो यह देखना है कि जनता को सही और जल्द इन्साफ मिले। लेकिन जल्दी मिलने में भी अगर कुछ देर हो जाय और सही इन्साफ मिले तो वह अच्छा है। आमतौर से जिसके खिलाफ इन तीन पंचों द्वारा फैसला होता है वह पार्टी असन्तुष्ट रहती है और रहेगी और अदालत में रिवीजन (निगरानी) के वक्त अपनी दरख्वास्त में उसे यह कहने की गुंजाइश रह जाती है कि जिस रोज फैसला हुआ उस रोज जो दो पंच थे उन्होंने मुक़द्दमे की कार्यवाही पहले कभी सुनी ही नहीं है,। यानी जो कुछ भी फैसला किया गया वह एक ही आदमी ने किया और उस एक पंच के लिये यह भी कहा जा सकता है कि उसने दूसरे के पक्ष में मिल कर बयान वगैरह गलत सुना दिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में कुछ संशोधन करके इसे पारित किया जाय और संशोधन में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि अगर सब पंचों का हाजिर रहना मुश्किल है तो एक, दो पंचों का हाजिर रहना आवश्यक कर दिया जाय। तीन पंचों द्वारा वह फैसला तभी माना जायगा जब कि कम से कम दो पंच ऐसे हों जो मुकद्दमे की सुनवाई लगातार करते रहे हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह होगा कि फैसले जल्दी जरूर हो जाया करेंगे, लेकिन इन्साफ नहीं होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इन बातों को विचार कर और संशोधन करके इस विधेयक को पास किया जाय।

श्री शिवसरन लाल श्रीवास्तव---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि किसी मुकदमे, नालिश या गवाही में पंचायती अदालत के सामने कोई पंच गैर-हाजिर हो जाता है तो उसके गैर-हाजिर होने के कारण वह मुकदमे की कार्यवाही नाजायज नहीं होगी। लेकिन शर्त इसके साथ यह भी लगाई गयी है कि किसी भी हालत में दो से ज्यादा गैर-हाजिर नहीं होने चाहिये, तीन तो हाजिर रहने ही चाहियें।

अभी अभी हमारे सामने धारा ४९ के ऊपर कुछ रोशनी डाली गयी थी कि अधिनियम की धारा ४९ में ऐसा है कि जब कोई मुकदमा, नालिश या गवाही किसी पंच के सामने आती है तो एक पंच चुना जायगा जहां का वादी हो और एक चुना जायगा जहां का प्रतिवादी हो और तीन निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन उसमें जो कठिनाई बतलाई गयी वह यह थी कि अगर तीन पंच होंगे तो यह कैसे संभव होगा कि एक वहां का हो जहां वादी रहता हो और एक वहां का हो जहां प्रतिवादी रहता हो यह नहीं हो सकता। तो धारा ४९ में तो केवल यही है पंच किस तरह से बुलायें, लेकिन धारा ८४ में यह कहा गया है कि मैजारिटी (बहुमत) का फैसला मान्य होगा। अब यदि ५ पंचों की पंचायत बनी है तो जरूर ही तीन आदमियों की मैजारिटी होगी। लेकिन अगर तीन का कोरम फिक्स (गण संख्या नियत) कर दें, वह क्यों कर दें यह मैं आगे चलकर बताऊंगा, तो दो की मैजारिटी हो जाती है। दो जिस तरफ फैसला देंगे वही मान्य होगा। हमारे कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि अगर पांच आदमियों की पंचायत बनी हो जाय तो उसको देखते हुये दो आदमियों का फैसला माइनारिटी (अल्पमत) का हो जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस हालत में जरूर हो जाता है जब पांच पंच को मान लें, लेकिन जब कोरम तीन का फिक्स कर देते हैं कि तीन आदमी ही कोई फैसला या कार्रवाई कर सकते हैं तो उनका कोरम हो जाता है और दो की मैजारिटी हो जाती है और अगर वह बैठकर फैसला करते हैं तो वह नाजायज नहीं होगा। यह एक कठिनाई ऐसी है कि इस तरह का कोई प्राविजन आपके अधिनियम में नहीं था। ऐसा हुआ कि पंचायती अदालत के सामने कितने ही मुकदमे आते रहे जब कि तीन या चार पंच ही उपस्थित रहे। तो ये फैसले बराबर होते रहे। इसमें तमाम फैसले हाई कोर्ट को भेजे गये। हाई कोर्ट ने विधान के अनुसार फैसला दिया कि जब ५ पंच न मौजूद हों और किसी भी पंच की अनुपस्थिति में कोई भी फैसला होगा तो वह नाजायज होगा। यह फैसला आपके हाई कोर्ट ने किया। इसलिये यह जरूरी समझा गया कि हम कोई ऐसा प्राविजन अपने अधिनियम में लायें जिसके आधार पर अगर कोई भी पंच उपस्थित नहीं रहता है तो भी फैसले जायज रहें, लेकिन पंचों की तादाद कम से कम तीन तो जरूर ही होनी चाहिये। अभी-अभी यह भी हमारे सामने कहा गया कि पांच पंच का होना जरूरी है, क्योंकि पांच पंच के मानी है पंचायत। मैं यह समझता हूं कि पंचायत और पांच पंच का कोई संबंध नहीं है। पांच की भी पंचायत हो सकती है, १० की भी हो सकती है, २० की भी हो सकती है, २ की भी हो सकती है और एक भी काम कर सकता है। पंचों की तादाद से और पंचायत से कोई संबंध नहीं है। तो यह तीन और पांच का जो सवाल है इस संशोधन में यह है कि अगर तीन पंच भी बैठ जांय तो वह भी फैसला कर सकें।

मैं आपका ध्यान पंचायती अदालतों की स्थापना के उद्देश्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंचायती अदालतों की स्थापना का उद्देश्य यह था कि हमारे ग्रामीण भाइयों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले और हमारे ग्रामीण भाई वास्तविकता के आधार पर अपनी पंचायती अदालतों में बैठकर अपने गांव के मामले खुद ही सुलझा लिया करें। वहां पर यह कोशिश की गयी कि एक पंच वहां का हो जाय जहां का वादी है और एक पंच वहां का हो जाय जहां का प्रतिवादी है। दोनों की नुमाइन्दगी हो जाय ताकि सारे तथ्य पंचों के सामने आ जायं। लेकिन यदि वे दोनों नहीं आते तो इसके यह मानी नहीं हैं कि कार्यवाही रुक जाय और ऐसा हुआ भी कि पंचों के न आने से मुकदमें काफी दिन तक पड़े रहें। इसलिये इस कठिनाई को हल करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि कम से कम तीन की संख्या निर्धारित कर दी जाय क्योंकि ऐसे अवसर आते हैं जब कि पंच किसी न किसी कारण पंचायती अदालतों की

बैठकों से अनुपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि तीन का कोरम रखा जाय।

अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम यह समझते हैं कि वास्तविकता के आधार पर न्याय हो और यही पंचायती अदालत का मुख्य उद्देश्य था। इसी लिये उनके लिये एक खास प्रोसीड्योर (प्रक्रिया) एक सरल तरीका रख दिया गया जिस के अन्तर्गत वह अपने गांव के फैसले आसानी से तय कर लिया करें। तो वह धारा ७७ थी जिसमें यह बतलाया गया था कि वह किस तरह से कार्यवाही करें। धारा ७७ में अब यह संशोधन लाया गया है कि अगर तीन पंच भी मौजूद हों तो भी पंचायती अदालत की कार्यवाही जायज़ मानी जायगी। इसके द्वारा यह कोशिश की गयी है कि उन को एक ऐसा प्रोसीड्योर दिया जाय जिससे वह इस प्रकार की कठिनाई में न पड़ें। इस सदन का यह कर्त्तव्य रहा है कि हम इन ग्रामीण भाइयों, जिन की दशा से इस सदन के माननीय सदस्य काफी वाकिफ हैं, के लिये पंचायत की इस विशाल योजना के अन्तर्गत, जिस में साढ़े आठ हजार पंचायतों का संचालन है कोई ऐसा सरल तरीका रख दें जिससे हमारे भोले भाले भाई उस की कठिनाइयों के जाल में फंस कर उलझन में न पड़ जायं, बल्कि उनका काम सरलतापूर्वक चलता रहे। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि जो संशोधन लाया गया है वह यह बहुत उचित है और इससे पंचायती अदालतों का काम सरलता से चलता रहेगा। यदि इस को इस वक्त रोक दिया जाय और सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो काफी वक्त लगेगा। अब बरसात होने वाली है बोने का समय आने वाला है। किसान ज्यादातर उसमें लग जायेंगे और उन्हीं किसानों में अदालत के पंच भी हैं। वह भी न आ सकेंगे। फिर हमारा सेशन पता नहीं अगस्त में हो, सितम्बर में हो, इस बीच में जितने भी मुकद्दमात होंगे सारे झगड़े में पड़ जायेंगे। इसलिये इससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि यह जो संशोधन लाया गया है यह मान लिया जाय। उसके बाद एक कांप्रीहेंसिव बिल (व्यापक विधेयक) जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, आने वाला है। उसमें अभी तक इसे विशाल योजना के संचालन में जितनी भी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है उनके आधार पर कितने ही संशोधन उसमें आने वाले हैं। उन से यह तमाम कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर ज्यादा वादविवाद न बढ़ावें। एक छोटा सा प्रश्न है कि पांच पंचों की जो अदालत है उसमें तीन का कोरम निर्धारित कर दिया जाय। वे इसको मान लें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राज नारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य और कारण को लेकर यह पंचायत राज ऐक्ट के संशोधन के लिये बिल प्रस्तुत है मैं उसी को सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं और वह यह है कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक मामला, वाद या कार्यवाही (केस, सूट और प्रोसीडिंग) पर विचार तथा निर्णय पांच पंचों की बेंच द्वारा किया जायगा। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पांचों पंच किसी किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्रायः एक या दो पंच अनुपस्थित ही रहे। नियमों के अधीन कोरम (गणसंख्या) निश्चित करके इस कठिनाई को दूर करने का उपाय सोचा गया। इस बिल के पक्ष में और विरोध में बहुत सी बातें कही गयीं। मैं थोड़े में अपने आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब इस बिल की ४९ वीं धारा में वह संशोधन नहीं कर रहे हैं और वह इसी प्रकार चलती है और इसको कई बार पढ़ा भी जा चुका है कि इस धारा में पंचायती अदालत जो बैठाई जायगी वह किस तरह से बैठायी जायगी और जो झगड़े होंगे वह भी उसी गांव के होंगे और ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हर पक्ष के लोग वहां अच्छी तरह से आवें और विचार विनिमय करें और दोनों पक्षों की बातें सुनें तब निर्णय दें। मगर जो संशोधन बिल उपस्थित है उसमें ४९वीं धारा को संशोधित करने की बात नहीं कही गयी है। पंचमंडल की स्थापना ५२ वीं से होगी और धारा ८४ कहती है कि बहुमत का निर्णय मान्य होगा। अब यहां वैधानिक कठिनाई और कानूनी

[श्री राजनारायण]

बारीकियों में जायें तो वादविवाद हो सकता है। कहा जा सकता है कि ३ का कोरम कर देंगे तो मेजारिटी २ की हो जायगी लेकिन अगर ग्राम पंचायत ऐक्ट की आत्मा को देखा जाय तो वह इसलिये बनाया गया था कि जिस से राज्यसत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो और इसीलिये रखा गया था कि ५ आदमी जिस फैसले को करेंगे उसमें विकेन्द्रीयकरण की भावना ज्यादा होगी और ३ आदमियों का फैसला ५ के मुकाबले में कुछ संकुचित हो सकता है।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा भवन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत ऐक्ट में यह देखा जाता है कि हर दो तीन महीने के बाद उस में संशोधन लाना पड़ता है मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। अभी फरवरी के महीने में संशोधन किया गया फिर मई के महीने में किया गया और अब आज फिर यह पेश है और यह भी कहा जाता है कि महीने दो महीने के बाद एक और व्यापक बिल इस संबंध में आने वाला है जो सब चीजों को साफ कर देगा। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह परिपाटी अच्छी नहीं है। अच्छा हो यदि एक बार अच्छी तरह से सोच समझकर और सब बातों का अच्छी तरह से निरीक्षण करके हम एक ऐसा क़ानून बनावें जिस को बार बार हर दो तीन महीने बाद संशोधित करने की आवश्यकता न हो। अगर यह सदन बार बार इस तरह का अवसर प्रदान करेगा, यह जानते हुये कि यह बिल अधूरा है हमें शक है कि अगर यह आज पास भी हो जायगा तो फिर यह हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से उसको इन्टरप्रेट (निर्वचन) करते हैं, दूसरा उसको अपनी तरह से इन्टरप्रीट कर सकता है। ५ आदमी की बेंच बनती है तो दो आदमी को बहुमत नहीं कहा जा सकता, ५ आदमी की बेंच में तीन को ही बहुमत कहा जायगा, कोरम के लिये आप दो कर सकते हैं। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी उतावलेपन में आकर इस बिल को पास न कर दें, इस पर मनन होना चाहिये। बार बार सदन में कहा जाता है कि यह बिल अभी पास हो। आप सोचते नहीं, विचारते नहीं। एक बिल ला कर सदन में रख देते हैं और जब उस पर आपत्तियां आती हैं तो कहते हैं कि उसको पास कर दिया जाय और जो कुछ गड़बड़ियां रह जायंगी वे ठीक कर दी जायंगी। अब सदन का समय नष्ट न किया जाय। मुझे यह निवेदन करना है कि अब इस परिपाटी को खत्म करना चाहिये, आप क्यों जिद करते हैं। जब आप स्वयं महसूस करते हैं कि इस बिल में खामियां हैं, यह बिल आपके उद्देश्य को पूरा नहीं करता तो इस बिल को आप इस समय सिलेक्ट कमेटी में ले जाइये और जल्दी से जल्दी उसे बैठा कर सारी बातों को ले कर एक फाइनल शेप (अंतिम रूप) में इस कानून को लाइये। दो चार वर्ष चलाइये ताकि महीने दो महीने में हमको उसे सुधार करने की आवश्यकता न हो।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो भावना शुरू में व्यक्त की थी जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) में उस भावना की पूर्ति इसी बात के द्वारा होगी कि इस बिल को विवेचना के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। अभी श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से हमारी बातें हुई। श्री द्वारका प्रसाद जी ने इसे माना कि इसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां उठ सकेंगी लेकिन आगे चल कर हम उनका निराकरण करेंगे। हाई कोर्ट ने भी रूलिंग्स (व्यवस्थायें) दी हैं जिनसे बहुत से मुकदमे पड़े रह जायेंगे। यहां पर मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि मैं भी गांव में रहता हूं पंचायती अदालतों की कार्यवाही से परिचित हूं। कौन मुकदमे रह जायेंगे? आप कहते हैं कि एक दो पंच नहीं आया करते एक दो पंच नहीं आया करते तो दो तीन महीने तक मुकदमे ज्यों के त्यों पड़े रह जायेंगे, उनका कोई फैसला नहीं होगा और जिनका फैसला हो चुका है अगर उस पर कोई आपत्ति है तो उन मुकदमों के विरोध में अपील हो सकती है।

पंचायत राज्य ऐक्ट का बुनियादी उसूल यही था कि गांव के भाइयों में सहयोग की भावना हो, उनके आपस के झगड़े आपस थे विचार विनिमय करके खत्म किये जायं। लेकिन जब आप तीन की कमेटी का निर्माण करने की बात कहते हैं तो आप झगड़े को बढ़ाते हैं चाहे आप किसी

झगड़े के फैसले में जल्दी करने की गुंजाइश इस बिल के द्वारा कर दें। मगर आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे झगड़ा बढ़ेगा। अगर पंचायती अदालत में दो ग्रुप (समूह) हो गये और तीन आदमियों की बेंच कायम हो गयी तो वह कहीं बैठ कर फैसला कर देंगे, दो की राय को जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे और ४९वीं धारा जो ऐक्ट की है उसकी आत्मा मर जायगी। धारा में कहा गया है कि हर तरह के लोग पंचायती अदालत में आयें, हर तरह की बातों की जानकरी करने के बाद वे फैसला दें। लेकिन यह जो बिल हमारे सामने पेश किया जा रहा है उससे तो झगड़े गांव में बढ़ जायेंगे और इस तरह से पंचायत राज्य ऐक्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जायगा। कहा गया है कि "एब्री कुक मस्ट लर्न हाउ टू कुक फूड" (प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम जानना चाहिये)। घरेलू व्यवस्था चलाने की योग्यता हर गृहिणी में आनी चाहिये। गांधी जी ने कहा कि एक किसान का बेटा, मैं चाहता हूं, कि राज्यमंत्री हो, तो किसान का बेटा अगर राज्य मंत्री न हो तो गांव का मंत्री तो हो सकता है। तो हमारी तो सारी व्यवस्था डिसेंट्रेलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर (राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण) पर है। लेकिन आप तो किसी झगड़े का जल्दी फैसला कराने के लिये लालायित हैं और उसके लिये तो जो आप नियम और उप-नियम बना रहे हैं वह सारे उद्देश्यों पर पानी फेर देते हैं। इसलिये मैं थोड़े में फिर आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह बिल को जल्द पास कराने के लिए परेशान न हो। अगर बिल पास नहीं होगा तो हालत नहीं बिगड़ेगी, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। जो मुक़दमात हैं, अगर पांच पंच इकट्ठे नहीं होते हैं तो वह पड़े रह जायंगे। इसके अलावा और कोई झगड़ा नहीं पैदा होगा। अगर कोई नाजायज फैसला हुआ तो उसकी स्वीकृति के लिये पांचों की जरुरत पड़ेगी या कोई नाजायज फैसला कर दिया तो न्याय प्राप्त करने के लिये वह व्यक्ति ऊपर अदालत में जा सकता है। इस बिल में जिस उद्देश्य को प्रकट किया गया है वह उद्देश्य नष्ट हो जाता है अगर यह सदन इस बिल को पास करता है।

श्री भगवानदीन तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जिन माननीय सदस्यों ने कुछ कानूनी आपत्तियां इस विधेयक की निस्बत कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ नम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक की मंशा केवल इतनी ही है कि दफा ७७ में एक दफा ७७(ए) जोड़ दी जाय। बात यह है कि पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ था। उसके अन्दर कुछ रूल्स बने थे और दफा ४९ पंचायत राज्य ऐक्ट में यह था कि पांच पंचों की बेंच बने और वह मुक़दमों को देखे। रूल्स में यह व्यवस्था की गई थी कि कम से कम तीन पंच ही मुक़दमात की सुनवाई और फैसला कर सकते हैं। जब फैसले हाई कोर्ट में गये तो वहां यह देखा गया कि रूल्स (नियम) ऐक्ट (विधान) के हिस्से नहीं हैं और अगर कोई ऐसी व्यवस्था जो ऐक्ट की स्प्रिट (विधान की भावना) के खिलाफ है तो उसकी मान्यता हाई कोर्ट ने नहीं दी और जो तीन पंचों ने फैसले किये थे उनको हाई कोर्ट ने रद्द समझा। ठीक ही समझा क्योंकि व्यवस्था दफा ४९ में पांच पंचों की थी और रूल्स में था तीन ही पंच सुनवाई कर सकते हैं। इसलिये ऐक्ट की स्प्रिट के खिलाफ रूल्स में था उसको हाई कोर्ट ने मान्यता नहीं दी। माननीय मंत्री महोदय ने अभी बतलाया है कि ५०,००० मुकदमे ऐसे हैं जिन पर हाई कोर्ट के फैसले का असर पड़ सकता है और लाखों आदमियों की किस्मत पर इसका असर पड़ता है। इसलिये जरूरत है कि फौरी कार्यवाही करके इस दफा में मुनासिब तरमीम करके वह व्यवस्था की जाय कि उनके हकूक की रक्षा हो सके। इसलिये यह विधेयक सदन के सामने आया है। इसको बहुत जरूरी समझ कर मंत्री महोदय ने पेश किया है

बात यह कही जाती है कि दफा ४९ की स्प्रिट (भावना) के खिलाफ यह हो रहा है। दफा ४९ में यह व्यवस्था है कि पंचायत किस तरह से कायम की जाय।

[श्री भगवानदीन तिवारी]

उसमें कार्यवाही किस तरह से की जाय यह नहीं है। बल्कि यह है कि सरपंच कैसे पंच अदालत को कायम करेगा। पांच पंचों की बेंच अदालत बनाने की व्यवस्था है और यह तफसील है कि एक पंच मुद्दई के गांव का हो और एक मुद्दालेह के गांव का हो और बकिया तीन दूसरे गांवों के हों। प्रोसीजर (प्रक्रिया) का जहां तक ताल्लुक है वह दफा ७७ में दिया गया है। उसी दफा में जो रूल्स अभी तक थे उनको ही दफा ७७ (ए) में बढ़ाया जा रहा है। इससे जो मंशा पहले था उसी को दफा ७७ (ए) में ला दिया गया है। इसलिये जिस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने फैसले रद्द किये थे उसको हटा दिया गया है। तो इसमें कोई अड़चन नहीं आती। एक बात जिन माननीय सदस्यों ने की है वह यह है कि दफा ८४ के मुताबिक फैसले में, जो मंशा ऐक्ट का है वह यह है कि पांच पंचों में से तीन के फैसले को मान्य समझा जाय। यह मंशा था दफा ८४ के मुताबिक लेकिन अब उसमें दिक्कतें पड़ सकती हैं और इसलिये अब यह रखा गया है कि तीन करेंगे तो दफा ८४ में यह व्यवस्था की जाय कि अगर दो पंच फैसला करेंगे तो वही फैसला मान्य होगा। इसमें और पुराने में कोई असंगतता नहीं दीखती यानी यह कि दफा ४९, ७७, ७७ (ए) और दफा ८४ इन सबको मिला कर अगर पढ़ें तो कोई असंगतता इस विधेयक में आती नहीं है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने आपत्तियां की हैं वे इस ऐक्ट की मंशा के विरुद्ध न होने के कारण निर्मूल हैं। इसलिये मैं इन शब्दों के द्वारा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक श्रीमन के सम्मुख आज आया है उसमें बहुत सी बातें इस सदन के समक्ष उपस्थित की गई हैं और उनके सम्बन्ध में केवल यह कह देना कि यह साधारणतौर पर सदन के समक्ष केवल वादविवाद के लिये उपस्थित की गई हैं सम्भवतः अनुचित होगा। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसका बहुत गहरा सम्बन्ध हम जो नवीन ग्रामीण जीवन इस प्रान्त की जनता को देने जा रहे हैं उससे है और प्रारम्भ में जब कि पंचायत राज की व्यवस्था इस प्रान्त में की गई तो विचारा गया था कि इस व्यवस्था के द्वारा हम अपने ग्रामीण जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। ग्रामीण मुकद्दमेबाजी से थका होता है, वकीलों से थका होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था न्याय देने के लिये, ग्रामीणों के लिये विदेशी शासकों द्वारा निर्मित की गई थी उसके द्वारा ग्रामीण पीसा जा रहा था। इस सबको समाप्त करने के लिये एक नवीन शासन प्रणाली विकेंद्रीय करण की योजना जिसमें शासन का विकेन्द्रीयकरण करके ग्रामीण जन-स्वशासन की ओर अग्रसर हो सकें, इस अधिनियम द्वारा जनता को देने का प्रयास किया गया है। उसमें कुछ मुख्य बातें थीं और बहुत मुख्य बात इस सम्बन्ध में थी कि वकीलों को इन न्यायालयों के समक्ष जाने से रोका गया। आज भी जब कि माननीय स्वशासन मंत्री ने इस विधेयक को इस सदन के समक्ष उपस्थित किया तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि वकीलों के द्वारा ग्रामीण जनता को आगे परेशान न किया जाय और अपीलें दायर करके यह तीन और पांच वाला जो पंचायतों का निर्णय है उनको निर्मूल करने का प्रयास वकील न करें। इसी के हेतु यह विधेयक सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है। मैंने बहुत बार इस चीज को विचारा और सत्य यह है कि माननीय स्वशासन मंत्री महोदय के वह उद्गार बहुत विचित्र थे। हमारे जीवन में जो एक रोग था उसको समाप्त करने के लिये पेश किये गये थे। यह तो सत्य है कि यह चीज स्वतंत्र भारत की जनता के योग्य भी नहीं थी। किन्तु जब ये उद्गार सदन के समक्ष आये तो उसका एक गंभीर अर्थ भी हो सकता है। वकीलों को आप पंचायतों के निर्णय से अलग रख सकें, पंचायतों के निर्णयों में वे न जायं यह तो उचित ही है, लेकिन उनके संबंध में

यह कहना कि वे ग्रामीण जनता को परेशान न करें यह संभवतः उचित नहीं होगा। इसको मैं इस रूप में लेता हूं कि वह वकील ही हैं जो अगर आपके अधिनियम में कोई कमी है तो उसको ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है, आपके समक्ष उसको रखता है और उसे ठीक कराता है। वह वकील ही है जो उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करता है और जो सही चीज होती है उसे निश्चित कराता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो अधिनियम बनाया गया था उसमें बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई जिनमें बहुत सी खामियां थीं। उनमें से दो ये हैं। एक तो वह जिसकी चर्चा भवन के समक्ष हो रही है। जिसके बारे में कहा गया कि यदि आप पंचायत में से ५ पंचों की व्यवस्था को समाप्त करते हैं तो आप पंचायत की आत्मा का हनन करते हैं। इसके संबंध में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि आप इस सदन के द्वारा इस ऐक्ट को संशोधित भी कर देंगे जैसा कि किया जा रहा है तो भी वह हाई कोर्ट को मान्य नहीं हो सकता और वह अन्त में जाकर समाप्त हो जायगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं इस सम्मति से सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि हाई कोर्ट के निर्णय में केवल इस बात पर आक्षेप किया गया है कि अधिनियम में कोई व्यवस्था इस बात की नहीं है कि ३ पंचों द्वारा आप कोई निर्णय करा सकें। अधिनियम अभी तक ऐसी व्यवस्था से शून्य था। अब यदि आप यह निर्णय करा देते हैं कि आपका कोरम ३ पंचों का होगा तो इस पर यह कहना कि यह मूल अधिनियम के विरुद्ध है या इसको स्वीकार नहीं किया जायगा, यह आक्षेप व्यर्थ है। यह कहना कि सरकार ने यदि यह व्यवस्था भी कर दी तो भी इसका कोई अर्थ न होगा यह बिल्कुल निर्मूल है। यदि इस अधिनियम द्वारा आपका कोरम केवल ३ पंचों से पूर्ण हो सकता है तो निश्चय रूप से वह आपत्ति समाप्त हो जाती है, जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा हुई। माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि पंचायत राज अधिनियम का आमूलचूल परिवर्तन किया जायगा तो मैं यह समझता हूं कि संभवतः वह प्रश्न भी हमारे सामने आयेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री और इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के समक्ष ऐसे भी केसेज (मामले) आये जिनमें पंचायती अदालत ने अपने यहां के केसेज को किसी किस्म की तहकीकात के लिये बाहर के लोगों को भेज दिया। इस प्रकार से भेज देना व्यर्थ हो जाता है। हमारी कुछ और भी समस्यायें इस पंचायत राज ऐक्ट के सम्बन्ध में विचारणीय हैं। हो सकता है कि वह समस्या इस प्रकार की हो कि पंचायत राज अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि किसी न्यायालय ने किसी शख्स के ऊपर कोई कार्यवाही की हो और किसी स्टेज (प्रक्रम) पर उसको पता लगे कि जैसा आरोप वे देख रहे हैं वह केवल पंचायती अदालत क्षेत्र के अन्तर्गत है तो उसको पंचायती अदालतों को भेज दें किन्तु जहां तक कि इस नियम की व्यवस्था है आगे चल कर कोई नियम इस प्रकार की अपील अदालतों अथवा माननीय हाई कोर्ट के सम्बन्ध में नहीं है। दूसरी बातें भी हो सकती हैं। या तो आप इस अधिनियम की इस धारा को समाप्त करें या यदि अदालतों के समक्ष कोई ऐसा आरोप आ जाय जो केवल पंचायती अदालतों के क्षेत्र के अन्तर्गत है और वे इस निर्णय पर पहुंचें कि पंचायती अदालतों को इसका निर्णय करना चाहिये तो उसे उनको वहां भेजना होगा।

खास तौर से जो बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं वह धारा ८४ के सम्बन्ध में है। मैं भी उस धारा की सब बातों को हृदयंगम नहीं कर सका हूं। धारा ८४ पर विरोधी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत कुछ कहा गया है। यदि हम इस पर विचार करें तो इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि जहां तक तीन और पांच पंचों का प्रश्न है यहां पर बहुमत

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

का प्रश्न उठ सकता है। लेकिन जिस दिन यह धारा इस सदन के सम्मुख रखी गयी थी उस दिन ५ पंचों को दृष्टि में रख कर ही रखी गयी थी कि पांच पंचों की अदालत में यदि तीन या चार पंचों के बहुमत से कोई निर्णय किया जायगा तो वह मान्य होगा। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। मैं उस अधिनियम को पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन उसका अर्थ केवल यही है कि यदि किसी दिन पंचायत का कोई पंच अनुपस्थित हो तो उस पंच की अनुस्थिति में भी पंचायत की कार्यवाही चल सकेगी। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये कि किसी मुकद्दमे की कार्यवाही में पहले दिन पांचों पंच उपस्थित थे और दूसरे दिन उसी केस में जब कि उसका निर्णय होने वाला है चार ही पंच उपस्थित हुए जिनमें दो पंच तो कहते हैं कि यह शख्स निरपराध है इसने कोई अपराध नहीं किया है इसे छोड़ दिया जाय और दूसरे दो पंच कहते हैं कि नहीं यह व्यक्ति अपराधी है इसलिये इसे दंड दिया जाय। अब आप ही बतलाइये कि ऐसी हालत में क्या किया जा सकेगा।

श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि आखिर उसके लिये आपके पास क्या व्यवस्था है? धारा ८४ जिस प्रकार से स्टेटयूट बुक (विधि पुस्तक) पर है उसको मैं अन्त तक सोच नहीं पाया कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। इस मौके पर तो मुझे उन नियमों की बात याद आती है जिस समय कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में कुछ नियम थे और निश्चय रूप से जाब्ता फौजदारी में उसके नियम लिखे हुये हैं। उसके अन्दर स्पष्ट धारायें हैं और उनमें जो चीज है वह बहुत ही स्पष्ट है कि आनरेरी बेंच का जो चेयरमैन होगा उस चेयरमैन के द्वारा सारी कार्यवाही होगी और उस कार्यवाही में वह निर्णय भी दिया कि अगर कहीं पर कठिनाई आ जाय तो वहां पर ऐसा किया जाय कि अगर दोनों तरफ की सम्मति बराबर हो तो अन्त में वह आरोप कलेक्टर के पास भेज दिया जायगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि इसके सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है? आप आखिर तीन के ही बारे में क्यों सोचते हैं। कभी चार भी हो सकते हैं अगर कभी चार हों तो उस समय आपने उसके लिये क्या व्यवस्था की है। आप एक विधेयक आज इस सदन में पास कर रहे हैं और इसकी कठिनाइयों से मैं भी परिचित हूं। मैं भी इसी व्यवसाय से सम्बन्ध रखता हूं और बहुत सी अपीलों में इस आरोप के सम्बन्ध में उपस्थित होने का अवसर मिलता है। इसलिये मैं भी जानता हूं कि निश्चय रूप से यदि इस विधेयक को पास होने की आज्ञा नहीं देते तो पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा जो हम देश के अन्दर क्रान्ति करना चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और साथ ही अगर इसको पास करते हैं तो पंचायत की आत्मा का हनन करना है, लेकिन फिर भी यह विधेयक तो स्वीकार करना ही है क्योंकि अगर इस समय नहीं करते हैं तो हजारों जो इधर फैसले हुये हैं वह सब रद्द हो जायंगे। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इस विधेयक को तो स्वीकार कीजिये ही और अभी जो कार्य पंचायती अदालतों के द्वारा हो चुका है वह पूरा हो सकता है। लेकिन साथ ही जिस की ओर हाई कोर्ट ने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि कभी पंच अगर वहां उपस्थित न हों तो फैसला नहीं माना जा सकता उसकी ओर भी आपको ध्यान देना है। इसलिये जो धारा इससे सम्बन्धित है अगर उसमें सुधार नहीं करते तो कठिनाई पैदा होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे कहूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाय और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है उस विश्वास की पूर्ति भी अवश्य की जाय उससे और जो भी कठिनाई सामने आयगी वह सब दूर हो जायगी। इस विधेयक के अन्दर जो नियम हैं उनकी भी प्रतिष्ठा होगी और उनकी रक्षा हो सकेगी। साथ ही जो इस समय निर्णय हो चुके हैं उनकी रक्षा भी हो जायगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक अवश्यक है और इस विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री ऐजाज रसूल---जनाब स्पीकर साहब, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं इस बहस में हिस्सा लूं लेकिन चूंकि मैं पंचायत राज ऐक्ट से शुरू से वास्ता रखता हूं और जब कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया और वहां से इस भवन में पास हुआ बराबर इसका मेम्बर रहा लिहाजा मेरी भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी इस बहस में हिस्सा लूं। हजूरवाला, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस बिल पर कोई बहस नहीं हो सकती है। इस पर गैगिंग रेजोलूशन (मुंह बन्द करने वाला संकल्प) आया था और उस रेजोलूशन के पास होने के बाद यह ऐक्ट पास कर दिया गया था। हजूरवाला को यह बखूबी मालूम है कि इस तरह से इस बिल के अन्दर बहुत खामियां रह गई हैं और आज तक उसमें खामियां चली आती हैं और आगे भी रहेगी जब तक कि कोई नया अमेंडिंग बिल (संशोधन बिल) यहां पर न आवे। मुझे मालूम है कि एक अमेंडिंग बिल तैयार हो चुका है और वह जल्द ही आने वाला है मगर वक्त न मिलने की वजह से अभी तक इस ऐवान में पेश नहीं हो सका है। लेकिन अब हमारे आनरेबिल मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने वायदा फरमाया है कि वह बहुत जल्द इस बिल को पेश करने वाले हैं। अब रहा यह कि आया यह बिल जो कि इस वक्त भवन के सामने है उसको मंजूर करना चाहिये या सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये। मेरा ख्याल हुजूरवाला यह है कि यह एक एमरजेंसी बिल है। हाई कोर्ट का जजमेंट हो जाने की वजह से यह बिल पेश किया गया है और अगर यह बिल मंजूर नहीं होता है तो हजारों फैसले जो इस वक्त तक हुये हैं और जो आयन्दा होने वाले हैं वह सब ग़लत साबित होंगे।

अगर्चे यह बिल जो पेश है इसमें खामियां मौजूद हैं लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि भवन इस बिल को जल्द से जल्द पास कर दे। पहले जिस वक्त यह बिल पास हुआ था तो उसमें यह रखा गया था कि एक पंच मुद्दई के गांव का हो और एक मुद्दाअले के गांव का हो जो कि वहां के मुकामी हालात से वाकिफ हों, और बाकी तीन अजनबी हों और वह सब मिल करके फैसला करें, लेकिन कोरम पूरा न होने की वजह से नतीजा यह हुआ कि हजारों जजमेंट (निर्णय) ग़लत हो गये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस भवन को फिर गौर करना चाहिये और ग़ौर करने के बाद इस बिल को मंजूर कर लेना चाहिये। जहां तक हमारे अपोजीशन (विरोधी दल) के लोगों का ताल्लुक़ है वह तो महज अपोजीशन फार अपोजीशन (विरोध के लिए विरोध) करते हैं। जहां उनको मौका मिल गया उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर हमला कर दिया। लिहाजा मैं फिर इस भवन से दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल, जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, मंजूर किया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---सूचना के लिये एक बात जानना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---वह बात आप किसी और समय जान लीजियेगा। प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जितनी भी तक़रीरें इस समय इस बिल पर हुई हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने शुरू में कह दिया था और इस बात का मुझे अफसोस रहा कि यदि सदस्यगण मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लेते तो बहुत ज्यादा बहस वहीं समाप्त हो जाती। जो कुछ बहस हुई है उसका निचोड़ यह है कि सेक्शन ४९ में जिस प्रकार की पंचायती अदालत की बनावट हम देते हैं वह, अगर हम यह तय करें कि ३ पंच फैसला कर दें, पूरी नहीं होती।

[माननीय श्री मोहनलाल गौतम]

यही एक बात है जो कई सदस्यों ने इस भवन के सामने रखी है। दफा ४९ में यह बयान किया गया है कि पंचायती अदालत किस प्रकार बनेगी, एक पंच एक पार्टी के गांव का होगा, एक दूसरी पार्टी के गांव का होगा और तीन और जगह के होंगे। इस प्रकार का कम्पोजीशन (निर्माण) पंचायती अदालत का दफा ४९ में बताया गया है और उसको लेकर यह बहस की जाती है कि जब तक वे सब न हों उस दफा ४९ की बात पूरी नहीं होती। इस समय सवाल यह नहीं है कि कुछ पंचों को या पांच में से दो पंचों को उसमें अलग किया जाता है। पंच पांच हैं, पांचों रहेंगे, पांचों बुलाये जायेंगे, पांचों को अधिकार होगा कि वे तमाम कार्यवाही में भाग लें और फैसले के वक्त मौजूद हों। किसी को वहां से अलग नहीं किया जाता है। सवाल जो है वह यह है कि अगर किसी ऐसे कारण से जो उस पंच के काबू से बाहर हो कोई पंच ग़ैरहाजिर होता है और तजुर्बे ने यह बताया कि सब पंचों का मौजूद होना मुश्किल है तो ऐसी हालत में क्या किया जाय। यह एक नया तजुर्बा हो रहा है। जो अब तक जजों के बारे में हम सोचते रहे हैं वह यह है कि जज तनख्वाह पाने वाला एक मुलाजिम होता है जिसको एक नियत समय पर अदालत में आना पड़ता है, जो एक नियत समय तक अदालत में बैठेगा और हर एक मुकदमा जो उसके सुपुर्द होगा उसमें वह भाग लेगा। यह नक्शा अदालतों का हर जगह है। लेकिन यह एक नया तजुर्बा है कि गांव में हम पंचायती अदालतें बनाते हैं और उन लोगों को जो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं फैसला करने का अधिकार देते हैं और जिनके ऊपर कोई इस तरह का अनुशासन नहीं है कि उनकी हाजिरी जबरदस्ती हम कर सकें। ऐसे लोगों के सुपुर्द जब हम पंचायत का काम देते हैं तो यह कठिनाई आती है कि उनमें से कोई न कोई कभी न कभी ग़ैरहाजिर हो जाता है। इसलिये दो ही रास्ते हैं आप इस अमेंडमेंट को जो इस वक्त है उसे मंजूर करें या आप यह कह दें कि पंचायती की अदालतें काम नहीं कर सकती हैं इसलिये हम उनको खत्म करते हैं। बीच का रास्ता अभी थोड़े दिन तक तो नजर नहीं आता। आगे जब नजर आयेगा तो उस पर विचार होगा। इसलिये यह जरूरी है कि आप आज यह फैसला करें कि अगर कोई ग़ैरहाजिर हो तो तब भी पंचायती अदालत फैसला दे सके। इसमें एक फायदा तो यह है कि अगर कोई मजबूरन ग़ैरहाजिर हुआ तो उस वक्त पंचायती अदालत काम कर सकेगी लेकिन उससे भी ज्यादा मैं सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर पांच पंचों की एक बेंच बने और उसमें से चार पंच एक राय के हों और एक पंच दूसरी राय का हो, चाहे वह स्वतंत्रता से दूसरी राय का हो या किसी पक्षपात के कारण। अब अगर आप एक पंच को यह अधिकार देंगे कि अगर वह ग़ैर हाजिर हो जाय तो तमाम काम रोक दिया जाय और कोई फैसला न होने पाये तो इसके माने यह होते हैं कि आप उस एक पंच को विटो की पावर (निरस्तकारिणी शक्ति) देते हैं कि वह ग़ैरहाजिर हो जाय और उन चार पंचों की मौजूदगी को बेकार कर दे। इसलिये एक आदमी को विटो की पावर देना कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी। हम पंचों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वे हर पेशी पर मौजूद हों।

इसलिये अगर यह हो जायगा तो जो पंच चाहेगा वह ख्वामख्वाह गैरहाजिर हो जायगा क्योंकि वह यह समझेगा कि हमारे हाथ में तो विटो की पावर है ही। हमने किसी पंच को रोका नहीं है। जो दफा ४९ में पोजीशन है अदालती पंचायत की उसको किसी पंच को हमने यह नहीं कहा कि तुम न शरीक हो। लेकिन अगर वह शरीक न होना चाहे तो पंचायती अदालत अपना कार्य करती जायगी, यह सब इस अमेंडमेंट का मतलब है। जहां तक दफा ८४ का ताल्लुक है उसमें यह जरूर है कि अगर आपका कानून यह है कि ५ पंच होंगे और पंचों की मौजूदगी जरूरी है तो स्वाभाविक रूपसे तीन आदमियों की मैजारिटी (बहुमत) होगी। लेकिन जब आप यह अमेंडमेंट करते हैं कि तीन आदमी ही काफी हैं

पंचायती अदालत में काम करने के लिये और फैसला देने के लिये तो उसका कुदरती नतीजा यह होगा कि जो भी तीन आदमी वहां मौजूद होंगे उन्हीं की मैजारिटी काफी होगी। यह तो एक मामूली नियम है। इसमें यह कहना कि पांच ही की मैजारिटी होगी, यह चलेगा नहीं। जिन आदमियों को जजमेंट देने का अधिकार है उनकी मेजारिटी जजमेंट दे सकेगी। हो सकता है कि वह पांचों में माइनारिटी (अल्पसंख्या) में हों, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसलिये दफा ८४ के मानी जो कुछ भी लगाये जायंगे वह यह हैं कि जितने आदमियों को अदालत में फैसला देने का अधिकार है उनकी मैजारिटी जब तक नहीं होगी तब तक फैसला नहीं दिया जा सकता।

मेरे एक दोस्त ने एक और सवाल उठाया है। वह यह है कि पांच की भी मैजारिटी (बहुमत) हो सकती है और ४ में दो-दो दोनों तरफ बैठे हुए हैं तो उस हालत में क्या होगा। मैं उनका ध्यान रूल्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। रूल ८४ (सी) में यह लिखा हुआ है कि—

'Where by reason of disagreement among the panches, constituting a bench, it becomes impossible for them to give a decision by the opinion of the majority, the Sarpanch shall constitute another bench which will rehear the case, suit or proceeding and decide the same :

Provided that no Panch, who was a member of the former bench shall be included in the newly constituted bench:

Provided further that the Sarpanch shall immediately send a report of the action taken by him to the prescribed authority."

[किसी बेंच के पंचों में आपस के मतभेद के कारण उनके लिए बहुमत की राय से कोई निर्णय देना असंभव हो जायगा तो सरपंच दूसरी बेंच बनायेगा, जो फिर से उस मामले, मुक़दमे या कार्रवाई की सुनवाई करेगी और उसका निर्णय करेगी :

शर्त यह है कि कोई ऐसा पंच जो पहली बेंच का सदस्य रहा हो, नवीन रूप से निर्मित बेंच में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

यह भी शर्त है कि सरपंच अपने द्वारा की गई कार्यवाही का एक प्रतिवेदन तुरन्त ही निर्धारित अधिकारी के पास भेज देगा।]

इसलिये वह बात हल हो जाती है। अगर मैजारिटी से पंचायत फैसला नहीं दे सकती तो उसके लिये दूसरा कायदा रखा हुआ है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने जिस नियम की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, क्या वह नियम मूल अधिनियम में कोई व्यवस्था न होने पर भी वैध रह सकेगा ?

माननीय श्री मोहनलाल गौतम—यह तो साफ बात है कि अगर कोई नियम ऐक्ट के खिलाफ है तो वह नहीं रह सकता, इसमें तो दो रायें नहीं हैं। सवाल यह है कि यह कैसे ऐक्ट के खिलाफ है, यह मैं चाहूंगा कि सदस्य साहब इस पर कुछ प्रकाश डालते। लेकिन मैं अभी बीच में दखल देने का मौका नहीं दूंगा। तो इस प्रकार जो दफा ४९ के बारे में बार बार कहा गया उसको मेरे कुछ मित्रों ने, खास कर शिवशरण लाल जी ने अच्छी तरह से समझा दिया और मैं यह समझता हूं कि अगर इसम इस वक्त देर की गयी तो काफी नुक़सान होगा। हमारे समाजवादी दल के नेता ने बहुत ज़ोर से इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश की है और उन्होंने कई बातें कही हैं। एक तो यह कि यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि बार बार संशोधन लाये जांय।

[माननीय श्री मोहनलाल गौतम]

मैंने शुरू से ही अर्ज कर दिया था कि यह एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसका इस भवन से तुरन्त पास होना आवश्यक है। अगर इस अमेंडमेंट को रोककर सबको एक साथ लाने के लिये बैठा रहा जाय और इस बीच में जितना नुक़सान होने वाला हो उसको बरदाश्त किया जाय तो उनकी बात मानी जा सकती है। लेकिन जो जो कमियां इस वक्त किसी भी वजह से कहीं भी नजर आती हों और उनसे नुक़सान होने का अन्देशा है तो मेरा यह ख्याल है कि गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि उस कमी और खराबी को फौरन दूर करे ताकि नुक़सान कम से कम हो सके। उसी के अन्दर यह अमेंडमेंट आता है।

आत्मा का बहुत कुछ हवाला दिया गया और किस प्रकार आत्मा कुचली जायगी और तीन पंचों के बनाने में किस प्रकार झगड़े बढ़ेंगे इन सब बातों के समझने से मैं कासिर रहा। अपनी इस कमी को मैं महसूस करता हूं। जो समाजवादी दल के नेता ने यह बातें कहीं वह कुछ तथ्य नहीं रखतीं, इसलिये कि चाहे पांच पंच हों या तीन जब हजारों आदमियों में से पांच या तीन आदमियों को फैसला करने का अधिकार दिया जाता है तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य यह है कि झगड़ों को गांवों में ही खत्म कर दिया जाय। यही हमारी कोशिश है। यदि कभी तय करने में कोई बात सामने आयेगी तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको दूर करें। लेकिन तीन या पांच में कोई फर्क होता है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ इस वक्त दफा ४९ और ८४ के हवाले से कहा गया है वह यह है कि दफा ४९ में पंचायती अदालत का कम्पोजीशन (निर्माण) है और दफा ८४ में उसकी मैजारिटी के फैसले की बात कही गयी है और जो यह अमेंडमेंट है उसमें यह दिया गया है कि कोई भी तीन पंच फैसला कर सकते हैं और दफा ८४ का यही मतलब लगाया जायगा कि जितने पंच मौजूद होंगे उन्हीं की मैजारिटी से काम लिया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री केशव गुप्त--मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति मांगता हूं

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो, "Case" "suit" or "proceeding" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ७७ के बाद नई धारा ७७–ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"77-A. (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted under section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at any hearing, the remaining *Panches* may, notwithstanding anything contained in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, however, that at least three *Panches* including the Chairman, are present, and provided further that at least one of the *Panches* present is able to record evidence and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have been invalid by reason merely that all the five *Panches* forming the Bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandis* apply to an inqiury made by a Panchyati Adalat under section 63."

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव इस पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत दिया था वह छपा नहीं है। क्या आप उसकी अनुमति देंगे कि मैं उसको प्रस्तुत कर सकूं।

मुझे मालूम हुआ कि चूंकि वह हिन्दी में था इसलिये वह नियमित नहीं था और उसके बाद मैंने अंग्रेजी में भी भेज दिया।

माननीय अध्यक्ष—यह आपका संशोधन कल २ बजकर ७ मिनट पर हमारे सचिव को प्राप्त हुआ लेकिन यह नियम के अनुसार ३६ घंटे पहिले सचिव के पास आना चाहिये और इसीलिये इसको नियम के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैंने ४ रोज पहले इसे हिन्दी में उपस्थित किया था और बाद में जब मुझे मालूम हुआ कि अंग्रेजी में उपस्थित करना चाहिये तब मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजा। इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे इसे उपस्थित करने की इजाजत मिलनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—हिन्दी में जो संशोधन आपने दिया था वह आप को समय के अन्दर लौटा दिया गया था और चूंकि मूल बिल अंग्रेजी में था इसलिये संशोधन समय के अन्दर अंग्रेजी में आना चाहिये था।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि वह मुझे नहीं लौटाया गया और जिस वक्त मुझ से कहा गया कि चूंकि मूल ऐक्ट अंग्रेजी में है इसलिये वह अंग्रेजी में आना चाहिये। उस पर मैंने अनुवाद देने के बाद कहा कि इसको अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस समय खंड ३ पर विचार हो रहा है इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बिल यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल से हमारे पास आया है उसकी हिन्दी की वर्जन में तो खंड ३ की उपधारा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(२) में छपा है कि "No trial as aforesaid shall be deemed to be or even to have been invalid." और जो अंग्रेजी वाला है उसमें छपा है कि "No trial as aforesaid shall be invalied by reason merely that all the 5 Panches etc." मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सही है।

माननीय अध्यक्ष—इस सदन की भाषा हिन्दी होने की वजह से हिन्दी वर्जन सही माना जायगा। जब तक उसके सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा या वहां के चेयरमैन द्वारा उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण न प्राप्त हो, मैं समझता हूं कि जो हिन्दी का वर्जन है उसमें जो शब्द हैं वह सही हैं और उसी के ऊपर इस सदन में इस समय वाद-विवाद होगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार मैं अपने संशोधनों को उपस्थित नहीं करता।

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ७७-ए की उपधारा (१) में शब्द "is absent" के उपरान्त निम्नलिखित शब्द लिखे जायं और शेष सब वाक्य पृथक कर दिये जायं—

"at three consecutive and subsequent hearings he may be replaced by another *panch* and the suit or proceeding may continue in presence of all the five *panches* and no decision shall be legal or valid unless the main proceedings have been attended and signed by all."

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम—यह जो संशोधन लाया गया है बिल के जो मेन आब्जेक्ट्स (मुख्य उद्देश) हैं उसके खिलाफ है। माननीय उच्च न्यायालय की रूलिंग के बाद जब यह मसला पेश हुआ कि जो पंचायती अदालतों के फैसले हैं वे ५ पंचों के फैसले होने चाहिये, इससे जो पंचायतों ने फैसले दिये, उसमें बड़ी दिक्कत हुई इसलिये यह बिल जो लाया गया है कि ५ पंचों का फैसला नहीं, बल्कि तीन पंच भी फैसला कर सकते हैं और तीन पंच भी अगर कुल हियरिंग (सुनवाई) में रहें तो वह फैसला जायज माना जायगा। लेकिन इस संशोधन के जरिये से वह मकसद बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिये यह संशोधन अवैधानिक है। दूसरा प्वाइंट, माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने यह रखना चाहता हूं कि पंचायती अदालतों के अधीन तीन किस्म के मुकदमे होते हैं, एक केस, एक सूट और एक प्रोसीडिंग। फौजदारी, दीवानी और लैंड रेवेन्यू के मुताल्लिक जितनी दरख्वास्तें होती हैं वही सब वहां होती हैं। दूसरा संशोधन जो है उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"At three consecutive and subsequent hearings he may be replaced by another *Panch* and the suit or proceeding may continue in presence of all the five *Panches*."

सूट और प्रोसीडिंग का तो इस संशोधन में जिक्र किया गया है, लेकिन केस का इसमें कोई जिक्र नहीं है अगर यह संशोधन मान लिया गया तो भी एक दिक्कत इस विधेयक में हो सकती है कि केस के मुताल्लिक क्या कहा जायगा। इस मानी में भी यह संशोधन अवैधानिक है। तीसरा प्वाइंट जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर यह संशोधन मुसल्लिमा तौर से मान लिया गया तो खंड ३ का उपखंड (२) है उसमें जो लिखा हुआ है—

"No trial as aforesaid shall be invalid by reason merely that all the five *Panches* forming the bench were not present at any hearing or that the same *Panches* were not present at all the hearings."

जब खंड ३ के उपखंड (१) में यह संशोधन कर दिया जायगा तो उपखंड (२) का क्या होगा। दोनों में कांट्रेडिक्शन (विरोध) हो जायगा। उपखंड में यह कहा जाता है कि ५ पंचों का हर एक हियरिंग में रहना जरूरी नहीं है और संशोधन के जरिये यह हो जायगा कि हर एक हियरिंग में ५ पंचों का रहना जरूरी है। एक प्वाइंट श्रीमान् के सामने यह भी रखे देता हूं जैसा कि संशोधन कर्त्ता ने कहा है कि जितनी हियरिंग होती हैं मुसल्लिमा की मुसल्लिमा एक केस या सूट या प्रोसीडिंग की प्रोसीडिंग कही जाती हैं, तो जब कि जजमेंट ५ आदमियों का होगा संशोधन के जरिये से तो फिर भी जो विधेयक का मक़सद है वह खत्म हो जाता है। इन तीन कारणों से यह संशोधन अवैधानिक हो जाता है और नहीं आना चाहिये।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं)। मेरे लायक दोस्त ने जो तीन बातें इसके अवैध होने की बाबत कहीं, उसके अलावा चौथी बात भी है। जो खंड ४ में यह बात लिखी हुई है कि जो फैसले इसके पहले हुये हैं और वह किसी उच्च अदालत से मंसूख नहीं हुये हैं उन पर भी यह जो ऐक्ट है वह लागू होगा। माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि अभी चौथा खंड पेश नहीं हुआ है। अगर तीसरा खंड स्वीकार किया जाता है तो चौथा खंड बदला जा सकता है। इसलिये इस समय यह बहस में नहीं आ सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें इसका समावेश होना ही गलत होगा।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य (श्री कमला सिंह से) वैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री कमला सिंह--अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारण जो इस विधेयक के मुताल्लिक दिये हुये हैं वे यह हैं कि पांच पंच के द्वारा ही फैसले होने चाहिये, लेकिन जल्दी फैसलों के लिये यह कोशिश की गयी है कि पांच से तादाद तीन कर दी जाय और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने जो निश्चय किया है उसको ठीक करने के लिये भी यह योजना की गयी है। लेकिन असल में यह देखा जाय तो सेक्शन ४९ जैसा कि पहले था वैसा ही अब भी मौजूद है और उसका इंटरप्रेहेशन (निर्वचन) जो पहले था वह अब भी वही है। हमें तो ऐसा बनाना है कि इस ऐक्ट के उद्देश्य और कारणों को भी ठीक रखते हुये जो धारा ४९ में दिया हुआ है उसको भी चलायें और हाई कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है उसको भी ठीक रास्ते पर ले आयें। इसलिये जो अमेंडमेंट हमारी तरफ से पेश किया गया है और जो शब्द उसमें लिखे हुये हैं वे किसी कदर हाई कोर्ट की रूलिंग और ऐक्ट से कहीं भी कंट्राडिक्ट (विरोध) नहीं करते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने आक्षेप किया है उसके मुताल्लिक मुझे इस्तदुआ करना है कि प्रोसीडिंग्स की तारीखें ऐसी होती हैं जब कि मुद्दई और मुद्दाअलेह हाजिर होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। मेन प्रोसीडिंग्स (मुख्य कार्यवाही) से मतलब काम से है यानी जब मुस्तगीस वगैरा के बयान लिये जायं या मुलजिम वगैरा के बयान सफाई वगैरा लिये जायं और इसके साथ ही साथ ऐक्ट में पांच पंचों के लिये कहा गया है। दिक्कत यह पड़ती है कि जहां पांच पंच हैं वहां वे हाजिर नहीं होते और इससे मुकद्दमे के फैसलों में देरी होती है। इसलिये जो शब्द बनाये गये हैं यह हैं कि--

"At three consecutive and subsequent hearings he may be replaced by another panch and the suit or proceeding may continue in presence of all the five *Panches* and no decision shall be legal or valid unless the main proceedings have been attended and signed by all."

[श्री कमला सिंह]

यानी पंच के रिप्लेसमेंट (प्रतिस्थापित करने) का है उससे हाई कोर्ट के रूलिंग में कोई बाधा नहीं पड़ती है बल्कि हम सुचारू रूप से अपना काम चला सकते हैं। हमारे संशोधन में शब्द "के Consecutive" से यह है कि हमारे माननीय सदस्य .....

माननीय अध्यक्ष---इसमें जो वैधानिक आपत्ति है उसी पर माननीय सदस्य कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते।

श्री कमला सिंह---इस तरीके से जो ऐक्ट के कारण और उद्देश्य हैं उनका किसी तरह से विरोध नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष---विश्वनाथ सिंह गौतम जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठाई उसके संबंध में यह स्पष्ट ही मालूम है कि आपत्ति कोई साधारण नहीं है, क्योंकि यदि यह संशोधन भवन स्वीकार कर लेता है तो जिस उद्देश्य से यह विधेयक भवन के सामने आया है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एक तो हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उससे जिस नियम के कारण दिक्कत पैदा हुई वह नियम वैसा का वैसा बना रहता है और दूसरे जो ५०,६० हजार फैसले हो चुके जिनको विधेयक उचित करार देने का उद्देश्य रखता है वह उद्देश्य नष्ट हो जाता है। एक आपत्ति और भी इसमें है कि संशोधन के सम्बन्ध में नियम १७७(२) इस प्रकार है:---

"An amendment may not be moved which, if carried, would have merely the effect of a negative vote."

[कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जा सकता जो स्वीकृत हो जाने पर केवल नकारात्मक मत का बोधक हो।]

इस नियम का संशोधन उल्लंघन करता है। तो यह स्पष्ट बात है कि विधेयक का जो उद्देश्य है और उसमें जो जो प्राविजन हैं, आपत्तियां हैं उन सबसे चाहे धारा ३ हो चाहे ४ हो चाहे अन्य हो सबके विरुद्ध यह अमेंडमेंट जाता है और केवल विरोध का रूप रखता है। इसलिए मैं इसको अवैध निश्चित करता हूं और इस संशोधन को पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ७७-की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाय---

"and further provided that atleast two of the *Pancheg* forming the benchare present at all the hearings.

मैं संशोधन ऐक्ट की मूल धारा ७७-ए० और अपने संशोधन को मिला कर पढ़ता हूं---

"77-A. (1) If any *Panch* appointed to a bench constituted under section 49 for the trial of a case, suit or proceeding is absent at any hearing, the remaining *Panches* may, notwithstanding anything contained in this Act, try the case, suit or proceeding, provided, however, that at least three *Panches* including the Chairman, are present, and provided further that at least one of the *Panches* present is able to record evidence and proceedings, and further provided that at least two of the *Panches* forming the bench are present at all the hearings."

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह इस लिये रखा गया है कि हमारे पंचायत राज ऐक्ट का जो मुख्य ध्येय है वह यही है कि लोगों को सही इन्साफ मिल जाय। इस विधेयक में कोरम (गणपूर्ति) तो ३ का रखा गया है और इस ध्येय से रखा गया है कि पंच बहुत कम हाजिर होते हैं तो अगर यह संशोधन जो मैंने पेश किया है रख दिया जाय तो जिन समस्याओं को हल करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया जा रहा है उसमें ज्यादा अड़चन नहीं आती है क्योंकि जितने मुकदमें हैं उनमें से अधिकांश मुकदमे ऐसे हैं जिनमें सब पंच हाजिर नहीं हुये और इसलिये रखा गया है कि दो पंच अवश्य ही हाजिर रहें। तो इस तरह जो डिफ़ीकल्टी (कठिनाइयां) महसूस की जा रही हैं इससे दूर हो जायेंगी इस संशोधन के आने से वह दिक्कतें

दूर हो जायेंगी। मैं सदन के सामने यह बात बतला देना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी हो जाता है कि फैसले जल्दी जल्दी किये जायं लेकिन यह जरूर ख्याल रखने की बात है कि फैसला जो हो उसमें इंसाफ तो हो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि जहां तक इन पंचायती अदालतों के फैसले की बात है यह नहीं कि जो पिछले मुकदमात हैं उन्हीं से यह विधेयक सम्बन्धित है, बल्कि भविष्य में जो मुकदमे आवेंगे उन पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। हमारे पंच अशिक्षित हैं, अगर फैसले के रोज नये पंच आ जाते हैं और हम उनसे यह उम्मीद करें कि वे सही फैसला देंगे, यह कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अदालतों में मैजिस्ट्रेट्स के सामने भी यह सिद्धांत रखा गया है कि जब किसी मैजिस्ट्रेट या हाकिम का तबादला होता है जिसके सामने फौजदारी का कोई मुकदमा हो और उस समय जब कि कोई नया मैजिस्ट्रेट या जज के आने पर मुलजिम यह ख्वाहिश करे कि इसकी सुनाई फिर से होनी चाहिये तो उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है कि अदालतों में जहां मुकम्मल रिकार्ड रहते हैं वहां जब मुलजिम यह ख्वाहिश करता है कि अजसरे नौ सुनवाई हो और उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसे पंच जो कि पंचायत अदालत से गैरहाजिर हों, जिनके सामने सुनवाई न हुई हो, वे किसी मुकद्दमे में क्या फैसला दे सकते हैं, और उसकी क्या जानकारी रख सकते हैं, क्या इन्साफ कर सकते हैं। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि यह संशोधन जरूर रखा जाय, क्योंकि लिखने, पढ़ने और बोलने में बहुत अन्तर होता है। जिस वक्त कोई वादी प्रतिवादी अदालत में अपना बयान देता है उस वक्त उसके बयान लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह हो जाता है कि लिखने में कुछ त्रुति हो जाती है। अगर वे बयानात वगैरह नहीं सुनते और पढ़ना भी नहीं जानते हैं तो यह मुमकिन है कि वे फैसले भी गलत कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि फैसला देने के लिये पंचों के लिये कानून की जानकारी भी आवश्यक है और उसके लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि जिस वक्त साक्षी अदालत में अपना बयान दे तो उस समय उसके हाव-भाव की तरफ भी ध्यान रखें और उसके बिहेबियर (आचरण) को नोट करने से उनको फैसला देने में सुविधा हो जाती है। इसलिये इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुये मैंने कहा कि चूंकि जब हम जानते हैं कि ३ पंच या ५ पंच हमेशा हाजिर नहीं रह सकते तो कम से कम ऐसी व्यवस्था जरूर करदी जाय कि कम से कम तीन पंच जो फैसला देने वाले हों, उनमेंदो व्यक्ति ऐसे जरूर हों जिन्होंने पूरी सुनवाई में भाग लिया हो। मगर इसमें ऐसा कोई प्राबीजन नहीं रखा गया है। लेकिन इस तरह से जहां तक मुमकिन हो सकता है अगर हम ऐसा प्रावीजन बना दें तो हर एक पंच को अपनी जिम्मेदारी महसूस हो जाती है। जैसा मैंने पहिले कहा इस संशोधन से ऐसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पिछले मुकद्दमों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिये ऐसा कर दिया जाय कि इन आगे आने वाले मुकद्दमों में दो कम से कम ऐसे हो जिन्होंने उस मुकद्दमे को सुना हो। इस दृष्टि से आप इस संशोधन को देख लीजिये। सिर्फ आप इस ओर ही न जाइये कि फैसला जल्द से जल्द हो, उसके साथ ही साथ आपको यह भी सोचना चाहिये कि इन्साफ भी हो। इसलिये कम से कम ऐसे दो पंच अवश्य होने चाहिये जो सुनवाई में भाग लेते रहे हों। अगर दो पंच ऐसे हैं तो जो एक पंच लिखने वाला है उनको वह धोखा नहीं दे सकता:— इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां——स्पीकर महोदय, जो तरमीम इस वक्त हमारे सामने है, मुझे अफसोस है कि मैं उसकी मुआफ़िकत नहीं कर सकता। उसकी मुआफिकत न करने में यह बात नहीं है कि तरमीम उन बेंचेज़ से आई है। मैं यह तो महसूस करता हूं कि यह तरमीम और जितनी भी तरमीमें पहिले पेश हुईं उनसे इम्प्रूब्ड (सुधार युक्त) सूरत में है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हमारी पंचायतों के कंपोज़ीशन (निर्माण) का जो पंचायत राज ऐक्ट में कानून है

[श्री सुल्तान आलम खां]

उसमें यह तरमीम फीजीबिल (कार्यान्वित होने योग्य) नहीं है। ऐतराज यह किया गया है कि जो तरमीमी बिल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है वह पंचायत राज ऐक्ट की दूसरी दफाओं के साथ इंफ्रिजमेंट (भंग करना) है, यह सही नहीं है। अगर हम गौर से इस दफा को पढ़ें तो जो तरमीमी बिल की दफा ३ है उससे यह साफ मालूम होता है कि उसका मकसद सिर्फ यह है कि पहले कानून में जो हाई कोर्ट ने नुक्स निकाला है उसको सही करने के लिये कोशिश की जाय। और इस बिल के जरिये यही किया गया है। इस बिल के जरिये से यह नहीं किया गया कि पंचायत के ५ पंचों के बजाय ३ या उससे कम पंच रख दिये जायं। उसमें तो यह प्रावीजन किया गया है कि अगर ५ पंच किसी सूरत से हाजिर नहीं हैं और उनको हाजिर नहीं किया जा सकता है तो ऐसी सूरत में कम पंच ही उसका फैसला कर दें, इसलिये यह तरमीम लाई गयी है।

इसके पहले एक तरमीम और आई थी जिसको स्पीकर महोदय ने अपने पाइन्ट आफ आर्डर से रद्द कर दिया। अगर वह रह जाती तब तो मैं समझता हूं कि उससे इस बिल का मकसद ही फौत हो जाता। उसमें यह था कि अगर कोई पंच न आये तो दूसरा पंच मुकर्रर कर दिया जाय। अगर दूसरा पंच मुकर्रर कर दिया जाता है और एक या दो बार वह भी नहीं आता तो फिर क्या होगा और उसका नतीजा क्या होगा? मुझे बड़ी खुशी हुई कि वह तरमीम आउट आफ आर्डर (अनियमित) करार दे दी गयी। जो बेंच मुकर्रर की जाय उस बेंच में कम से कम दो आदमी ऐसे हों जो शुरू से आखिर तक उस मुकदमे की समाअत कर सकें। जनाबवाला, मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं यह महसूस करता कि अगर यह मुमकिन हो तो अच्छा है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह मुमकिन नहीं है, वरना इस बिल को लाने की जरूरत भी नहीं होती। पंचायत राज के मातहत किसी शख्स को पंचायत के बारे में मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उसके ऊपर किसी तरह से आने की पाबन्दी आयद हो।

दूसरे पंचायतों की हालत इब्तदाई तजुरबे की हालत में है वहां की बॉडीज किस तरह से चल रही है, हम लोग जानते हैं, उसको देखते हुये इस बात की किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि हर शख्स यहां पर पाबन्दी के साथ आ सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर आदादोशुमार लिये जायं तो शायद मुश्किल से कोई मुकदमा ही ऐसा मिल सकेगा जिसमें शुरू से आखिर तक पंच बराबर और किसी गैरहाजिरी के हाजिर रहे हों। तो ऐसी हालत में जब अमलीतौर पर इस किस्म का होना नामुमकिन है और ऐसी सूरत अभी इस में पैदा नहीं हुई है तो फिर इस किस्म की दफा को हम यहां पर लागू कर दें यानी इस बिल के अन्दर तरमीम की शक्ल में लागू कर दें तो उसका नतीजा यह होगा कि जो नफा हम जनता को पहुंचाना चाहते हैं वह नफा नहीं पहुंचा सकेंगे और जनता उस नफे से महरूम रह जायगी।

जनाबवाला, इस कानून के लाने की जो जरूरत महसूस हुई है उसके मुतअल्लिक दो राय नहीं हो सकतीं और यह दफा और इसके मातहत जो यह तरमीम आई है वह बिल कुल ऐसी है जिसके ऊपर हमको ठंडे दिल से गौर करना चाहिये और यह भी है कि मुझे अफसोस है कि इसके प्रावीजन को हमें रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट (पूर्वगामी प्रभाव) से मानना पड़ रहा है और वह इसलिये कि जो मुकदमे इस वक्त अदालत के अन्दर हैं और जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं और जो हाईकोर्ट की रूलिंग की वजह से गलत साबित हो रहे हैं उनको हम सही समझें और उनके लिये जो लेबर (श्रम) और रुपया सर्फ हुआ है वह जाया न हो और उनके लिये जो जजमेंट (निर्णय) हो चुके हैं वह अपनी जगह पर कायम रहें। इस वजह से इसको रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट (पूर्वगामी प्रभाव) से लागू किया जा रहा है गो कि यह उसूली चीज नहीं है। इस चीज को देखना चाहिये कि अगर हम ऐसा न करें तो हमारे यहां अदालतों में जो मुकदमे फैसल हो चुके हैं उनके लिये एक हंगामा पैदा होगा और मेहनत जाया होगी। इन सब चीजों को देखते हुये मजबूरन इस बिल को लाना पड़ा है और मैं यह समझता हूं कि जो इस किस्म के मुकदमे होते हैं उनके लिये किसी हद तक रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट मानना पड़ता है। मैं तो यह कहूंगा कि कि मेरे दोस्त ने जो तरमीम पेश की है इसमें भी प्रकाशन

(सावधानता) ली गयी है। बहुत अच्छी तरमीम वह कही जा सकती है अगर ऐसा होना मुमकिन होता, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह मुमकिन नहीं है और अगर दफा ३ में इस तरमीम को शामिल कर दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि इस बिल की दफा ३ के जरिये से जो नफा हम पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा ।

इस प्राविजन से हम यह इन्श्योर करना चाहते हैं कि कहीं पर अगर ३ पंचों के जरिये से भी कार्यवाही जारी रही तो वह उसी तरह से जारी रहे, रुके नहीं और मुकदमों की समाअत होती रहे ।

ऐसी हालत में मैं आनरेबिल मूवर से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी तरमीम से मुझे हमदर्दी है, उन्होंने जो बात पेश की है वह हालांकि अपनी जगह पर सही है, लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुये मैं यह महसूस करता हूं कि यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है। प्रयोगात्मक इसलिये मैं उनसे फिर दरख्वास्त करता हूं कि वह अपनी तरमीम को वापस लेलें ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं इस संशोधन का समर्थन करूं । यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि इसमें पंचायत राज्य ऐक्ट के मुताबिक पंचायत को ३ चीजों के फैसला करने का अख्तियार दिया गया है मालगुजारी के मुकदमों की कार्यवाही की जाती है और उसके अलावा वह जो मुन्सिफ के यहां रुपये, पैसे के लेने के जो मुकदमे होते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरे क़िस्म के मामले वे हैं जो क्रिमिनल कहे जाते हैं । फौजदारी क्रिमिनल कोर्टस का यह तरीका है कि अगर कोई जज या मैजिस्ट्रेट वहां नहीं रहता है या उसका तबादला हो जाता है तो दूसरे जज के सामने मुलजिम को यह हक़ हासिल है कि वह यह कह है।सके कि हमारे मुक़द्दमे में गवाही अजसरे नौ लिखी जाय। इसमें बहुत बड़ी बात होती हर शख्स यह समझता है कि अगर हमें २ रुपया भी जुर्माना हो गया तो हमारी आबरू में बट्टा लगेगा ।

मेरे लायक़ दोस्त ने यह संशोधन बहुत ही सोच समझ कर रखा है और मैं अर्ज़ करूंगा वह बहुत ही आवश्यक है । मेरे पूर्व वक्ता ने भी चार पांच बार यह कहा कि यह बहुत ही कि अच्छा संशोधन है मगर उन्होंने इसे मानने से इन्कार कर दिया क्यों कि इधर से यह बात कही गई इसलिये इस संशोधन को मानना चाहिये ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसके लिये यह तो मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह बिलकुल ग़लत है या जिन्होंने यह पेश किया है उनकी सब की सब बातें ग़लत हैं । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने संशोधन उपस्थित करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो ५०, ६० हजार मुक़द्दमे हो चुके हैं और जिन्हें ठीक करना है उन्हीं के लिये यह विधेयक लाया गया है । इन मामलों में यह मालूम करना कि लगातार दो सदस्य उपस्थित रहे हैं या नहीं बड़ा कठिन होगा और फिर इसी बात पर अपीलें और रिवीजन बहुत से हो जावेंगे । इससे कम्प्लीकेशन्स कठिनाइयां पैदा होंगे । आगे के लिये यदि ऐसी बात कही जाय तो अच्छा है । इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है और इससे फैसले होने में अधिक सहूलियत होगी। लेकिन इसमें बहुत सी बातें बिचार करने की हैं। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पंचायत राज्य का एक वृहद संशोधन आने वाला है जिसमें पंचायतों के संबंध में बड़ीबड़ी कठिनाइयां जो महसूस की जा रही हैं वे दूर की जावेंगी। तो उस समय हम एसा संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इस मौजदा विधेयक में इस संशोधन के मानने से तो खराबियां ही पैदा होंगी।

मैं यह नहीं कहता कि एक समय कोई पंच आवे और फिर कोई आवे। मैं तो जयेन्द्र सिंह जी की बात से सहमत हूं। लेकिन यह मौका इसके उपस्थित करने का नहीं है। जरूरत इस समय यह है कि पुराने केसेज को वैलिडेट (वैध) किया जाय। इस संशोधन से तो हमारी

[श्री द्वारका प्रसाद भौर्य]

वह कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रहेगी और नई कठिनाइयां क्रियेट (उत्पन्न) होंगी। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री मोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल जो सज्जन इस संशोधन के हक में बोलते हैं वे ऐसा समझते हैं कि अदालती पंचायत उसी प्रकार की पंचायत है, जैसे कि जज, मैजिस्ट्रेट या बेंच मैजिस्ट्रेट होते हैं। जिन सज्जनों ने यह कहा है कि जो पंच निर्णय देने के समय उपस्थित हों वे हर हियरिंग (सुनवाई) पर पहले मौजूद रहें, वे यह चाहते हैं कि अदालती पंचायत के पंच भी उसी प्रकार का काम करें जैसे कि जज या मैजिस्ट्रेट काम करते हैं, परन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे पंच हैं और पंच की तरह उनको काम करना है।

अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन ने पंचायत राज ऐक्ट पास किया तो उस समय यह बात ध्यान में थी कि जनता को सच्चा इन्साफ मिले, कम खर्च पर मिले और आसानीसे मिले। जज या मजिस्ट्रेट के बारे में हमें यह शिकायत रहती है कि उनको सच्चा हाल नहीं मालूम होता है। जज उस बात का निर्णय करता है जो उसके सामने सबूत होता है, मैजिस्ट्रेट भी उसी बात का निर्णय करता है जो उसके सामने सबूत होता है। उस वक्त यही प्रश्न उठता है कि कौन आदमी क्या बयान देता है, लेकिन जहां पर पंचायत का मामला है, वहां पर यह क्यास किया जाता है कि हर पंच तमाम हालात से वाकिफ है। जज, और मैजिस्ट्रेट की अदालत में और पंचायती अदालत में फर्क यह है कि जज और मैजिस्ट्रेट गवाहियां ले करके बयान सुन करके निर्णय करते हैं परन्तु अदालती पंचायतों में यह होता है कि पंच मौके पर रहते हैं इसलिये वे जानते हैं कि कौन गलत बात कहता है और कौन सच बात कहता है। यह हो सकता है कि कोई पंच किसी हियरिंग (सुनवाई) में किसी कारण से न हाजिर हो सके, क्योंकि यह सब जानते हैं कि उनके पास बहुत काम रहते हैं, परन्तु यह बात मानी हुई है कि वे सब पास-पड़ोस के होते हैं और पंच की तरह से बरताव करते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो पेश किया गया है कि वे दोनों के दोनों पंच जो निर्णय दें हर एक हियरिंग पर हाजिर हों, इसकी आवश्यकता नहीं है और इस संशोधन के मान लेने से जो बिल का मतलब है वह पूरा ही नहीं बल्कि खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि संशोधन-कर्ता महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री सिया राम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भवन के सदस्यों के सामने कुछ कहना चाहता हूं। मेरा कहना वैसे तो असंगत है क्योंकि अधिकांश माननीय सदस्य मुझ से बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, परन्तु एक सदस्य के नाते मैं इस भवन के मित्रों से बताना चाहता हूं कि कानून बनाना हम सब का काम है और उसे ठीक तरह से चलाना भी हम ही लोगों का कर्तव्य है। पंचायत का जो नियम पेश है पास करना ही ठीक है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि पंचायती अदालत में पांच पंचों की हाजिरी जरूरी है तो हम सबको चाहिये कि अपने अपने हल्के में जा कर इसका उद्योग करें कि ज्यादा से ज्यादा पंचायती अदालतों में हाजिर हों। अगर पंचायत के बने हुये नियम असफल होते हैं तो यह हम सब लोगों का दोष माना जायगा क्योंकि यह ऐक्ट कांग्रेस दल के सदस्यों और दूसरे दलों के सदस्यों का बनाया हुआ है। इसलिये अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हम सब उनके जिम्मेदार होंगे।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो समय वे इस विधेयक का विरोध करने में खर्च कर रहे हैं उतना समय अपने-अपने हल्के में जाकर इन पंचायतों के पंचों को सुझाव देने में लगायें और उनको इस बात के लिये तैयार करें और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह उन्हें समझायें कि तुम किस लिये पंचायत के सदस्य बनाये गये थे और तुम्हारा क्या कर्तव्य था तो

ज्यादा अच्छा हो। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह विधेयक जो आज इस भवन के सामने पेश है पास करें और माननीय सदस्य अपने अपने हल्के की पंचायतों में जितने भी अदालती पंच हैं सब से अनुरोध करें कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में हाजिर हो कर पंचायत को सफल बनाने की कोशिश करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर जो कुछ आपत्तियां उठायी जा रही हैं वे सिर्फ इस गरज से कि जो भी मुक़द्दमे हो चुके हैं उनमें अड़चन पड़ेगी और भविष्य का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्वगामी प्रभाव) से इस कानून का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वह भविष्य के लिये भी तो होगा। और जिनको यह भय है उन महाशयों का ध्यान मैं इस बिल के जो उद्देश्य और कारण हैं उनकी ओर आकर्षित करता हूं। उसमें यह साफ़ लिखा हुआ है।

"यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४९ में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामला, वाद या कार्यवाही (केस, सूट और प्रोसीडिंग) पर विचार तथा निर्णय पांच पंचों की बेंच द्वारा किया जायगा। फिर भी ऐसा हुआ कि बेंच के पांचों पंच किसी किसी मामले की पूरी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके और प्रायः एक या दो पंच अनुपस्थित ही रहे।"

इससे साफ जाहिर है कि बहुत कम मुकदमे हैं जिन में दो से अधिक पंच अनुपस्थित रहे होंगे। अब इसको चाहे इस तरह मान लें कि बाज मुक़द्दमों में एक या दो पंचों की अनुपस्थिति रही और चाहे इस तरह से मानलें कि एक या दो पंच उपस्थित रहे फिर भी इस संशोधन को सपोर्ट (समर्थन) करता है। तो यह भय करना कि जो पिछले मुक़दमे हुये हैं जिनके लिये यह बिल पास किया जा रहा है उसमें बड़ी अड़चन पड़ेगी इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह उनकी भूल है। उन मुकद्दमों पर इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसी वास्ते मैंने इस उद्देश्य और कारण को देख कर सिर्फ दो ही पंचों की हाजिरी को जरूरी रखा है। मेरा तो सुझाव यह है कि उन तीन व्यक्तियों द्वारा जो निर्णय माना जायगा उसमें इतना फ़र्क़ जरूर रहेगा कि उन तीन में से दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो पूरी कार्यवाही में उपस्थित रहे हों। तो इससे दोनों समस्यायें हल हो सकती हैं। पिछले बहुत से मुकदमों में ऐसा हो सकता है जिनमें दो पंच अवश्य हाजिर रहे हों। तो बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले मेरा कहना यह है कि हमें आगे के लिये भी सोचना चाहिये। अगर हमेशा ही ऐसे लोग फैसला देते रहेंगे जिन्होंने कभी कुछ सुना न हो, पढ़ा न हो, देखा न हो, तो न्याय नहीं मिल सकता। आप यह न देखिये कि यह संशोधन विरोधी पक्ष से आ रहा है। लेकिन अगर आप इंसाफ से देखते हैं और जिस ध्येय से यह रखा गया है तो संशोधन में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल जिस उद्देश्य से उपस्थित किया जा रहा है वह भी इससे पूरा हो जाता है और इंसाफ भी हो जाता है। बस यही मुझे कहना है।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, विष्ट जी ने जो यह संशोधन पेश किया है और जो उसके संबंध में उन्होंने कहा है उसमें बहुत सा विरोधाभाव है। विष्ट जी का कहना यह है, और उन्होंने वही पुरानी दलील दोहराई है जो जनरल डिस्कशन (सामान्य विवाद) के वक्त पर दी गयी थी कि वही पंच फैसला करें जो शुरू से लेकर आखिर तक कार्यवाही में मौजूद हों। इस सदन ने यह मुनासिब समझा कि जहां तक पंचायती अदालतों का संबंध है इस पर बहुत ज्यादा जोर देना इस वक्त मुनासिब नहीं है। फिर मैं यह पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफ़त कि विष्ट जी अगर यह जोर देते हैं कि जो आदमी मौजूद न रहा हो, अनुपस्थित रहा हो उसको फैसला करने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने तीन में से दो की मौजूदगी

[माननीय श्री मोहन लाल गौतम]

क्यों जरूरी समझी और तीसरे को गैरहाजिर होने की क्यों आज्ञा दे दी। या तो आप यह कहिये कि तीन हों तो तीन ही मौजूद रहें और अगर तीन में से दो मौजूद हों तो आपका यह सिद्धांत निकला कि जो अनुपस्थित हो उसका फैसला न्याय संगत नहीं हो सकता। आपने यह भी माना है कि ऐसे मुकदमे भी हैं जहां कि यह शर्त पूरी नहीं हो सकती। आपका कहना है कि बहुत से मुकदमे तो ऐसे होते हैं जिन में यह शर्त पूरी हो जायगी। इस पर तो आपकी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विष्ट जी भी यह मानते हैं कि ऐसे मुकदमे हैं। आपने [illegible] मेरे पास पर बहस कर सकते हैं। कोई उसको अधिक बताये, कोई कम बताये। [illegible] तो वह फिगर्स (आंकड़े) नहीं है जिसमें मैं ठीक-ठीक बता सकूं कि ऐसे किस मुकदमे हैं जिनमें दो सदस्य कम से कम हर पेशी पर मौजूद रहे हों, प्रेजेंट एट आल [illegible] वह कितने ऐसे मुकदमे हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं और कितने ऐसे हैं जो पूरा नहीं करते, उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जब नहीं है तो कितने मुकदमों पर इसका असर पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। तो आप कुछ मुकदमों के लिये तो यह सहूलियत देना चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट के पास करने से कुछ फैसले जो हुये हैं जिनमें सब पांच पंच न हों उनको वैलिडेट (वैध) कर दें और कुछ को आप फिर भी इनवैलिड (अवैध) रहने देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। इसमें एक दिक्कत और होगी। चाहे दो पंच किसी मुकदमे में लगातार मौजूद रहे हों लेकिन आज हमारे पास ऐसा रेकार्ड नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि कम से कम यह दो पंच हर मुकदमे में हर बैठक में मौजूद थे। क्योंकि यह फैसले जो हुए हैं वे हमारे उस रूल के मुताबिक हुए हैं जिसमें हमने यह कह दिया था कि कोरम तीन का होगा। इसलिये जब तीन पंच हो गये तो उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। हो सकता है कि बहुत से मुकदमे इसी पर हों कि यह ऐसा मुकदमा है जिसमें दो पंच हर बैठक पर मौजूद नहीं थे। इससे बहुत सी कठिनाइयां और दिक्कतें होंगी और जिस लिए यह संशोधन लाया गया है इसका बहुत सा मतलब खत्म हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ७७—ए की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाय—

"and further provided that atleast two of the *panches* forming the bench are present at all the hearings."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक जो हुई उसको मैं संशोधन के रूप में इस भवन के सामने रख दूं और वह यह है कि जो हिन्दी का यह बिल कौंसिल में स्वीकृत हुआ था उसमें ७७—(ए) सब-क्लाज २ में जो ये शब्द हैं 'deemed to be or even to have been' लेकिन जैसा कि आपके सामने अंग्रेजी का बिल है उसमें यह शब्द नहीं हैं। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इन शब्दों को यहां से डिलीट कर (निकाल) दिया जाय। इसमें कोई खास बात नहीं है। जो इसका भाव है वह स्पष्ट है सिर्फ भाषा की गलती की वजह से यह संशोधन मैं आपके सामने रख रहा हूं और अपर हाउस में चूंकि मंजूर हो गया था इसलिये मैं इसको रखने के लिये आपसे क्षमा चाहता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपने तो इसको स्वीकार नहीं किया था!

माननीय अध्यक्ष—मैंने यह कहा था कि सही वर्जन वह है जो उस भवन से हिन्दी विधेयक में आया है जिसके शब्द हैं "deemed to have been") अब इसके ऊपर कोई संशोधन पेश कर सकता है इसलिये कि मंत्री जी उसमें संशोधन पेश करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के अन्तर्गत प्रस्तावित खंड ७७ (ए)—के उपखंड (२) से शब्द "deemend to be or even to have been" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ जैसा कि वह संशोधित हुआ है इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—यदि इस अधिनियम के आरम्भ के बाद निम्नलिखित के वैध या विधि के अनुकूल होने का प्रश्न उठे—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग पंचायती अदालत द्वारा सुनवाई (ट्रायल) का, अथवा

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४९ के अधीन किसी केस, सूट अथवा प्रोसीडिंग में पंचायती अदालत द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये तथा उक्त प्रारम्भ से पूर्व किसी समर्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णित न हुआ कोई निर्णय, डिक्री या आज्ञा के, अथवा

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ६३ के अधीन पंचायती अदालत द्वारा की गयी कोई जांच;

तो उसका अवधारण इस प्रकार होगा मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर प्रचलित थे जिनका इस विषय में कोई महत्व हो (ऐट आल मैटीरियल डेट्स)।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'प्रोसीडिंग' के बाद और शब्द 'पंचायती' के पूर्व शब्द 'की' जोड़ दिया जाय।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—यह तो श्रीमान् जी भाषा का संशोधन है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि आपको अधिकार है और यदि आप दुरुस्त कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—विधान परिषद् से जो बिल पास होकर आता है वह जिन शब्दों में रहता है मैं उस का शाब्दिक संशोधन भी नहीं कर सकता हूं। इसलिये इसका प्रश्न रखा जायगा।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'प्रोसीडिंग' के बाद और शब्द 'पंचायती' के पूर्व शब्द 'की' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) की तीसरी पंक्ति का प्रथम शब्द 'का' निकाल दिया जाय।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--मैं इसे स्वीकार करता हूं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (क) की तीसरी पंक्ति का प्रथम शब्द 'का' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'पूर्व' के बाद और शब्द 'तथा' के पूर्व शब्द 'दिये गये' के स्थान पर शब्द 'दिया गया' रख दिये जायं और उपखंड (ख) की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'आज्ञा' के बाद तथा चिन्ह 'कामा' के पूर्व शब्द 'के' निकाल दिया जाय।

माननीय श्री मोहन लाल गौतम--मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'पूर्व' के बाद और शब्द 'तथा' के पूर्व शब्द 'दिये गये' के स्थान पर शब्द 'दिया गया' रख दिये जायं और उपखंड (ख) की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'आज्ञा' के बाद तथा चिन्ह 'कामा' के पूर्व शब्द 'के' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "निर्णित" के स्थान पर शब्द "निर्णीत" रख दिया जाय।

माननीय श्री मोहनलाल गौतम--मुझे स्वीकार है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द "निर्णित" के स्थान पर शब्द "निर्णीत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४, जैसा कि उसका संशोधन हो चुका है, इस विधेयक का अंश माना गया।

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

१--(१) इस अधिनियम का नाम यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो यह विधेयक पास हो चुका है लेकिन जिन उद्देश्यों और कारणों को लेकर यह बिल लाया गया है वह अधूरे रह जायंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो फैसला दिया है उसकी नक़ल मेरे पास है।

माननीय अध्यक्ष—उस नक़ल को सब जानते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—थोड़ा सा मैं पढ़ कर दरियाफ्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—अब इस वक्त इस बात का कोई मौका नहीं है।

माननीय श्री मोहनलाल गौतम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा अमेंडिंग बिल था। इस पर इतनी अधिक बहस हो चुकी है कि अब इसमें कोई ऐसी बात बाकी नहीं रही जो इस वक्त मुझे कहनी हो। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि बिना बहस मुबाहिसे के यह विधेयक यह हाउस स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग (तृतीय पठन) में मैं कुछ कह सकता हूं?

माननीय अध्यक्ष—जो शाब्दिक संशोधन हुए हैं उन्हीं पर आप कुछ कह सकते हैं। इस समय केवल अमेंडमेंट के संबंध को छोड़ कर आप किसी प्रश्न के ऊपर विवाद नहीं कर सकते। केवल शाब्दिक संशोधन ही इसमें हुए हैं। इस विषय में आपको कुछ आपत्ति हो तो कह सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—शाब्दिक आपत्ति ही है। एक आध जगह जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में कुछ कहना है और एक आध जगह कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है उसके बारे में भी कहना है।

माननीय अध्यक्ष—परिवर्तन करने के विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। जो शाब्दिक संशोधन हो चुके हैं उन पर अगर कोई आपत्ति हो तो आप कह सकते हैं।

(कुछ समय पश्चात्)

प्रश्न यह है कि यू० पी० पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, सन् १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक निहायत ही सादा सा क़ानून है। दफा १९२ जो हमारे कांस्टीटयूशन की है, उस दफा में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स आफिस आफ प्राफिट स्वीकार करेगा तो वह असेम्बली का मेम्बर या विधान परिषद् का मेम्बर नहीं रह सकता है। इसी के साथ साथ दूसरी दफा में यह भी लिखा हुआ है कि अगर

यह विधेयक विधान सभा की २७ मई, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

इसके मुताल्लिक कोई कानून बना लिया जाय तो ऐसी सूरत में वह आफिस आफ प्राफिट स्वीकार कर सकता है और असेम्बली तथा कौंसिल का मेम्बर रह सकता है। इसके सिलसिले में कि आफिस आफ प्राफिट क्या है और क्या नहीं है बहुत लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है और अभी तक इसका तसफिया नहीं हो सका है कि कौन कौन से ऐसे आफिसेज हैं जो आफिस आफ प्राफिट नहीं कहलायेंगे और कौन-कौन से आफिसेज ऐसे हैं जो आफिस आफ प्राफिट कहलायेंगे। इसकी सफाई करने के लिये ही यह बिल पेश किया गया है। मेम्बरों को देखने से यह मालूम होगा कि इस बिल में भी कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है कि जिसके ऊपर यह कहा जा सके कि इसके जरिये से यह चीज आखिरी हद तक पहुंच सकी और इसके अलावा और कोई आफिस आफ प्राफिट कहलायेगा या नहीं। तफसील यह की गई है कि कम्पेंसेटरी अलाउन्स क्या चीज है-ट्रेवलिंग अलाउन्स, डेली अलाउन्स और कन्वेयेन्स अलाउन्स वगैरह रखे गये हैं और हाउस अलाउन्स रखे गये हैं। इसके अलावा यह भी लिख दिया गया है कि अगर कोई भी चीज ऐसी होगी जिसके मुताल्लिक जरूरत पड़े और अगर ओहदे को किसी मेम्बर को दिया जाय तो उसकी तफसील और उसके सिलसिले में क्या क्या चीज उनको मिलेगी वह सब इस हाउस के सामने पेश करदी जायेंगी और हर शख्स को इत्तिला हो जायगी कि क्या किया जा रहा है और इसकी गरज क्या है।

यहां के मेम्बरों को बखूबी मालूम होगा कि अक्सर ऐसे काम होते हैं जिनमें मेम्बरों को रखा जाता है। बाज ऐसे ओहदे होते हैं कि सिवाय डेली अलाउन्स (दैनिक भत्ता) और ट्रेवलिंग अलाउन्स (यात्रिक भत्ता) के और कुछ मेम्बरों को नहीं मिलता है और बाज ओहदे ऐसे होते हैं जिनमें उनके अलावा और भी कुछ न कुछ देने की जरूरत होती है। इसके मुताल्लिक तफसील कर दी गई है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो छुपिया हो इसलिये दफा ३ में इसके मुताल्लिक इंतजाम कर दिया गया है कि किसी का तक़र्रुर होगा तो वह तीन दिन के अन्दर लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने पेश कर दिया जायगा। मेरे ख्याल में इन सब बातों के बाद बिल के ऊपर कोई एतराज नहीं होगा और यह बिल पास होगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये हमारे माननीय न्याय मंत्री ने खुद ब खुद एक आशंका जिसके बारे में हम लोग पहले ही से विचार कर रहे थे प्रकट कर दी। उन्होंने कहा है कि आफिस आफ प्राफिट का आज तक भी अर्थ ठीक नहीं लग सका। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में उठा हुआ है। सैकड़ों वर्षों से अमेरिका और इंग्लैण्ड और अन्य देशों में जहां-जहां प्रजातंत्र प्रणाली पर काम होता है यह प्रश्न बड़े बड़े विधान वेत्ताओं को परेशान करता रहा है। ऐसी सूरत में जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया है उसमें बातें स्पष्ट नहीं हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिनसे हमारे सरकारी दल ने बहुत फायदा उठाया है और होशियारी के साथ सरकारी दल ऐसी भी बातें उसमें समावेश कर देना चाहता है कि आइन्दा भी वह इस विधेयक के मातहत अपने पार्टी के मेम्बरों को ऐसे ऐसे पद दिया करे जिससे कि वह नाजायज फायदा उठा सकें और आसानी से अपनी कार्यवाही कर सकें।

जहां तक आफिस आफ प्राफिट का प्रश्न है लोगों का मत यह है कि कोई ऐसी चीजें ही उसमें नहीं आतीं जिसमें कुछ मासिक भत्ता मिलता हो या तनख्वाह मिलती हो, या कम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिलता हो, उसमें ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि जिसमें

एक पैसा भी भत्ता न मिले, लेकिन आशंका ऐसी हो कि जिस पर पहुंच कर अपने प्रभाव से वह माननीय सदस्य जिनको वह जगह दी जाय सरकारी दल के लिये बहुत बड़ा काम कर सके और विधान सभा के सदस्यों को तोड़ फोड़ कर अपनी पार्टी के बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकें। इस बिल में जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बातें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हैं। अच्छा तो यह होता कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये साफ साफ यह लिख दिया जाता कि इस विधेयक के अन्तर्गत हमारे न्याय मंत्री या हमारा सरकारी दल कौन कौन सी जगहें समावेश करना चाहता है। एक दो जगहों का जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसी जगहें बहुत सी छोड़ दी गई हैं जिससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिये मजबूरी हुयी कि इस विधेयक का विरोध किया जाय। गो कि न्याय मंत्री ने कहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी भारी आपत्ति यह है कि इस अस्पष्ट विधेयक के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में और बहुत कुछ नाजायज गड़बड़ियां हो सकती हैं।

मेरा विचार यह है कि अगर बिल में यह समावेश कर दिया जाय कि हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य जो भत्ता या एलाउन्स वे बहैसियत विधान सभा के सदस्य के पाते हैं उसके अलावा उनको कार व भत्ता, मोटरकार, टेलीफोन वग़ैरा न दिया जाय। ऐसी जगहें आफिस आफ प्राफिट में न समझी जायं। ऐसे भी उदाहरण पहले के हमारे सामने मौजूद हैं जब कि किसी को कोई भत्ता नहीं दिया गया था, लेकिन उसी जगह पर जब उनको बैठा दिया गया तो उस जगह का इस्तेमाल उन्होंने सरकारी पक्ष के लिये किया है।

मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन कौन कौन सी किताबें पठनीय रखी जायं इसके लिये जिन माननीय सदस्य को उस जगह पर रखा गया था उसमें काफी गड़बड़ियां उन्होंने कीं। इस विषय की चर्चा इस सदन में पहले भी आ चुकी है। ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं जहां सरकारी दल ने लाभ उठाया है। जहां पर लेबर इन्क्वायरी कमेटी के संयोजक को बंगला मिलता है, टेलीफोन मिला है, कार मिली है और उसका प्रयोग उन्होंने हमेशा पार्टीबाजी और दलबन्दी के लिये किया है। ऐसी सूरत में हम इस विधेयक के द्वारा जिन अवैधानिक चीजों को हमारे न्याय मंत्री ने सदन के सामने रखा है, इसके बारे में तो जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन खंड खंड पर विवाद होगा तो हम अपनी वैधानिक आपत्तियां सदन के सामने पेश करेंगे। लेकिन इतना साफ है कि इस तरह के बिल से जिन जिन माननीय सदस्यों को इसका मौका लगा है उन्होंने बुरा इस्तेमाल किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री अपनी तरफ से इसमें अमेंडमेंट करके हमें स्पष्ट रूप से यह बता दें कि ऐसे कौन से ओहदे होंगे तब हमें यह विधेयक मान्य हो सकेगा और विरोधी दल अपनी सहर्ष स्वीकृति इसको दे देगा। आसानी से यह कह कर इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, इस मसले को जल्दी से इस विधान भवन के सामने रख कर, जल्दबाजी में विधान भवन के सदस्यों के अज्ञान से लाभ उठा कर पास करा देना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

सदन का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित किया गया है उसकी समाप्ति तक यह भवन बैठे। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस सदन की यह अनुमति है कि उपस्थित विधेयक के समाप्त होने तक यह भवन बैठे।

श्री राज नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि ११ रूल को संशोधित करके हमने कल का समय दिया है। आज हमारे और खास-

[श्री राज नारायण]

खास प्रोग्राम लगे हुये हैं लिहाजा हम आपसे अपील करेंगे और मौर्य जी से प्रार्थना करेंगे कि वे अनावश्यक ढंग से हम लोगों को बांध कर इस प्रस्ताव को पास न करावें। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। हमारी एक मीटिंग निश्चित रूप से ५ से ६ तक है और ६ बजे दूसरी मीटिंग ओल्ड कौंसिलर्स रेसीडेंस में कमरा नं० ६ में है। श्रीमान् जी, यदि श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य का संशोधन मान लिया जायगा तो हमारे दूसरे एंगेजमेंट (कार्य) सब कैंसिल (निराकृत) हो जायेंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा। कल का पूरा दिन हमारे लिये बाकी है और जिस प्रकार हम कल के लिये प्रस्ताव लाये थे उसी प्रकार संडे (रविवार) के लिये भी प्रस्ताव ला सकते हैं और हम सैटरडे (शनिवार) और संडे (रविवार) दोनों दिन बैठ सकते हैं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—मैं जनाब के जरिये से मौर्य जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने अभी पेश किया है उसे वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

(इसके पश्चात् सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० मई, १९५२ ई०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२६ एल० ए०—१९५२—८५०